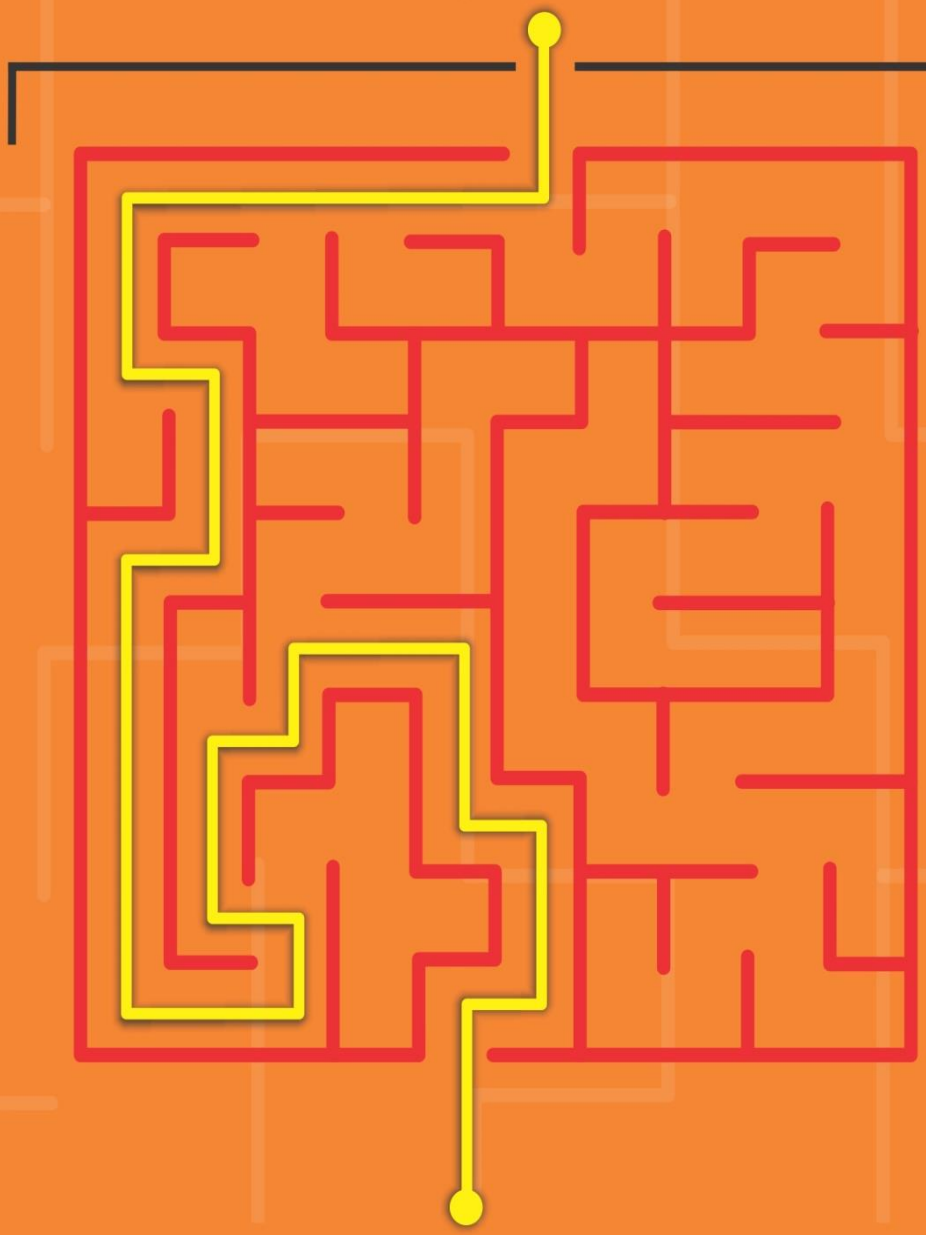
सहायक व्यक्तियों के लिए हैंडबुक

2021

लैंगिक हिंसा से पीड़ित बच्चों की सहायता करना।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 और पॉक्सो नियम, 2020 के संदर्भ में।



enfold | प्रेरणा PRERANA

unicef for every child

बचाव और सुरक्षा यूँ ही नहीं हो जाती, वे सामूहिक सहमति और सार्वजनिक निवेश का परिणाम हैं। हम अपने बच्चों, जो कि हमारे समाज के सबसे कमजोर नागरिक हैं, के लिए हिंसा और भयमुक्त जीवन देने के लिए ऋणी हैं।

–नेलसन मंडेला, पूर्व राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रिका

© Enfold Proactive Health Trust and UNICEF. (2021)

Disclaimer: This Handbook is intended to be a tool for Support Persons and stakeholders for assisting them in performing their roles. It is not meant to serve as an authoritative exposition on the law. Any feedback can be mailed to info@enfoldindia.org

प्रस्तावना

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर
पूर्व न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय, भारत।

जिन अधिक तनावपूर्ण मामलों से निपटने के लिए एक न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, मुझे यकीन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत बाल लैंगिक शोषण के प्रकरण यदि शीर्ष पर नहीं तो शीर्ष के करीब होंगे।

लेकिन, जो अधिक महत्वपूर्ण है, और जिसे कभी–कभी एक न्यायाधीश द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, वह है लैंगिक शोषण से पीड़ित बच्चे का हित और वह तनाव जिससे बच्चे और सहायक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। एक न्यायाधीश इस बात से अनजान होता है कि 'पर्दे के पीछे' क्या होता है और पीड़ित और सहायक व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ क्या होती हैं। ये सहायक व्यक्ति, चाहे वे डॉक्टर हों, नर्स हों, परिवार के सदस्य हों या अन्य देखभाल करने वाले हों, एक जज की कल्पना से कहीं अधिक तनाव से गुजरते हैं।

सामान्यतः सहायक व्यक्ति के लिए इस पुस्तिका को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे खुशी है कि यह पुस्तिका अब प्रकाशित हो रही है और यह वास्तव में ईमानदारी से समर्पित व्यक्तियों द्वारा किया गया एक उल्लेखनीय प्रयास है। अपने दृढ़ संकल्प और ऊर्जा के माध्यम से, उन्होंने बाल लैंगिक शोषण के शिकार बच्चों के पुनर्वास में एक महत्वपूर्ण और शायद अपनी तरह का पहला योगदान दिया है। यह भारत में बाल अधिकारों के साहित्य के लिए एक मूल्यवान योगदान है।

यह हैंडबुक लैंगिक शोषण से पीड़ित बच्चों और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों के साक्षात्कार पर आधारित है। उनके अनुभवों और सीखों को व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है ताकि सहायक व्यक्तियों की पीढ़ी बाल लैंगिक शोषण के शिकार व्यक्तियों को अधिक से अधिक सार्थक सहायता प्रदान कर सके।

हैंडबुक को कई अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसकी शुरूआत बाल लैंगिक शोषण के आयामों की व्याख्या के माध्यम से मूल बातों से होती है। कुछ बच्चे जोखिम में क्यों होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? हैंडबुक ने सहायक व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाया है और कुछ पहचाने गये 'सर्वोत्तम अभ्यासों' पर विचार किया है जो बाल लैंगिक शोषण के शिकार बच्चों के सर्वोत्तम हित और कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक लंबा

रास्ता तय करेंगे।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बाल लैंगिक शोषण एक अपराध है और इसकी जाँच अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ की जानी चाहिए। अपराधियों के पीड़ित और उसके परिवार के परिचित होने के भी कई उदाहरण मिलते हैं। ऐसे मामलों में, जाँच अधिक कठिन हो जाती है क्योंकि पीड़ित का बयान दर्ज करना है। चुनौतियाँ अनेक हैं, और प्रकरण की सुनवाई कानूनी जटिलताओं से भरी हुई है।

अपराधों की जाँच पुलिस से शुरू और खत्म नहीं होती है। घटना की प्रकृति के आधार पर, लैंगिक अपराध के मामलों में पीड़ित का चिकित्सकीय परीक्षण आवश्यक हो जाता है। चिकित्सा कर्मी – डॉक्टर और नर्स – बाल लैंगिक शोषण के मामलों से कैसे निपट सकते हैं? ऐसी स्थितियों में सहायक व्यक्तियों की क्या भूमिका है? कभी–कभी नैतिक प्रश्न भी उठते हैं, उदाहरण के लिए, अपराधी पीड़ित का करीबी रिश्तेदार (कभी–कभी सौतेला पिता) होता है और पीड़ित का परिवार घटित घटनाओं की वास्तविक प्रकृति को छिपाने पर जोर देता है।



मदन बी. लोकुर

संदेश

सोलेडाड हिरेरो
बाल संरक्षण प्रमुख,
यूनिसेफ, इंडिया

हर साल, दुनिया भर में हजारों बच्चे लैंगिक हिंसा और शोषण का सामना करते हैं। बच्चों के खिलाफ लैंगिक और अन्य प्रकार की लिंग आधारित हिंसा हर जगह – हर देश में और समाज के सभी वर्गों में होती है। एक बच्चा घर पर, स्कूल में, खेल के मैदान में, या उनके समुदाय में, लैंगिक शोषण या अन्य प्रकार के शोषण का शिकार हो सकता है। अक्सर यह शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे बच्चा जानता है – जो कि आघातपूर्ण अनुभव को और बढ़ा देता है, जबकि कभी–कभी यह शोषण अजनबियों द्वारा किया जाता है। इंटरनेट ने बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने, खेलने और जानकारी हासिल करने का अमूल्य अवसर प्रदान किया है, विशेष तौर पर कोविड–19 के समय में, लेकिन यह लैंगिक शोषण, हिंसा और शोषण के अन्य रूपों के जाल में पड़ने वाले जोखिमों को बढ़ा देता है।

भारत इस संकट से नहीं बच पाया है। हाल के वर्षों में, भारत ने 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाकर, जन जागरूकता बढ़ाने और बाल शोषण के हजारों मामलों पर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कानूनी ढाँचे को मजबूत करने के क्रम में वर्ष 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट प्रावधानों को शामिल करके और निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के माध्यम से रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जाँच और अपराधों के परीक्षण के लिए स्पष्ट तंत्र स्थापित करके बच्चे के सर्वोत्तम हित की रक्षा करना है।

जागरूकता बढ़ाने और न्याय तक पहुँच में सुधार के प्रयासों के बावजूद, बच्चों के खिलाफ लैंगिक हिंसा और शोषण के प्रकरण काफी हद तक कम रिपोर्ट किये जाते हैं। बच्चे और परिवार अक्सर पुनः पीड़ित होने से डरते हैं या बस अभिभूत होते हैं कि एक लम्बी और जटिल कानूनी प्रक्रिया से बच पाने में समर्थ हुए हैं।

पॉक्सो नियम 2012 और संशोधन 2020 में कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान एक बच्चे की सहायता करने, क्षतिपूर्ति तक पहुँच, और उपचार प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए 'सहायक व्यक्तियों' की नियुक्ति का प्रावधान है। सहायक व्यक्ति उन चिंताओं, भय और आशंकाओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो बच्चों और उनके परिवारों की हो सकती हैं – एक मुश्किल समय में उनका समर्थन करने के लिए एक कुशल दोस्त।

यह पुस्तिका कानूनी ढाँचे पर प्रकाश डालती है, तथा भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की व्याख्या करती है, और उन पेशेवरों के लिए अच्छी प्रथाओं का विवरण देती है जो पॉक्सो के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों की भूमिका निभाते हैं। यह एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट और प्रेरणा के व्यापक अनुभव से संभव हुआ है, जो इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव वाले दो प्रतिष्ठित संगठन हैं। यूनिसेफ इन संगठनों को उनके काम को आगे बढ़ाने और देश भर में सहायक व्यक्तियों की क्षमता निर्माण करने हेतु समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कुछ रिपोर्टिंग बाधाओं और पीड़ितों के समग्र अनुभव पर काबू पाने में सहायक व्यक्तियों के एक पेशेवर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित काडर का निर्माण निर्णायक सिद्ध हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तिका से सहायक व्यक्तियों के एक बेहतर प्रशिक्षित काडर बनाने की दिशा में मूल्यवान योगदान हो सकता है, जो बाल पीड़ितों को न्याय प्रक्रिया तक पहुँचाने में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है तथा जो उनके अधिकारों, उनकी गरिमा और उनके विश्वास को पुनःस्थापित करता है।

यह करना सही है, क्योंकि ये है उनका अधिकार।



सोलेडाड हिरेरो
बाल संरक्षण प्रमुख
यूनिसेफ इंडिया

आभार

सहायक व्यक्तियों के लिए इस पुस्तिका को एनफोल्ड ट्रस्ट द्वारा प्रेरणा, मुंबई के साथ साझेदारी में और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से संकलित किया गया है।

कई लोगों ने अपने अनुभव, ज्ञान और इस क्षेत्र के मुद्दों की समझ, हितधारकों के साथ उनकी बातचीत और उनके काम के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के साथ पुस्तिका के संकलन में योगदान दिया है।

हम इस अवसर पर इस पुस्तिका को संकलित करने में दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए दिल से सराहना करते हैं।

विशेष धन्यवाद

यूनिसेफ इंडिया
अपार समर्थन और प्रोत्साहन के लिए

जस्टिस मदन बी. लोकुर
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2012–2018) – प्रस्तावना हेतु

सोलेडाड हिरेरो
बाल संरक्षण प्रमुख, यूनिसेफ इंडिया – संदेश हेतु

प्रेरणा मुम्बई
सहयोग हेतु

यह पुस्तिका कई हितधारकों के साक्षात्कार के बिना संभव नहीं होती जो अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य करना जारी रखते हैं। उनके समृद्ध अनुभव ने ही इस पुस्तिका को आकार दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन सभी बच्चों और परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके साथ हमें काम करने और सीखने का अवसर मिला है। उनकी सकारात्मकता, लचीलापन और उनकी ताकत हमें अभीष्ट तक पहुँचने के लिए प्रेरित करती है।

सहायक व्यक्ति
बाबू के.वी., वसुमति भास्कर, सुजा सुकुमारन, कुशी कुशलप्पा–एनफोल्ड ट्रस्ट, बेंगलुरु ।
मल्लिका मन्नाडियार और गीतारानी लौरेम्बम– प्रेरणा, मुंबई।
शिवांगिनी सिंह और निमिषा श्रीवास्तव – काउंसल टू सिक्योर जस्टिस, दिल्ली।
राधा आर. – चाइल्डलाइन बेंगलुरु।
विद्या रेड्डी– तुलिर, चेन्नई।

गैर सरकारी संगठन

वासुदेव शर्मा और नागमणि– चाइल्ड राइट्स ट्रस्ट, बेंगलुरु।
लक्ष्मी–साइबासा, बेंगलुरु।
शेख रहीम – नीड बेस इंडिया, एन.जी.ओ., बेंगलुरु ।
इशिता और लिशा– रूबरू एन.जी.ओ., मुम्बई।

बाल कल्याण समिति सदस्य
तेजस्विनी हिरेमठ, बागलकोट।
हनीफ महबूब शेख, अहमदनगर।
अंजलि रमन्ना, बेंगलुरु शहर।
चौडप्पा, कोलार अनीता पार्वतीकर, सिरसी।

पुलिसः (बेंगलुरु)
एच.डी. कुलकर्णी, निरीक्षक, गिरीनगर थाना।
वसंत कुमार एम., निरीक्षक, हेनूर थाना।
विद्या सी. हैबत्ती, उप निरीक्षक, जेबी नगर।
चन्नम्मा जी. प्रधान आरक्षक, हनूर थाना।
सिद्दे गौड़ा, निरीक्षक, गंगम्मा गुड़ी थाना।
प्रशीला बी.एस, उप निरीक्षक, इंदिरानगर थाना।

वकील
अशोक जीवी, पार्टनर– फैक्टम लॉ।

जिला बाल संरक्षण ईकाई
वसंती उप्पर, डी.सी.पी.ओ., तुमकुर।
मुमताज एच. आई., डी.सी.पी.ओ., बेंगलुरु।
शिवप्पा एम., जिला बाल संरक्षण ईकाई, बेंगलुरु ग्रामीण।

स्वास्थ्य देखरेख पेशेवर
डॉ. राधिका चेतन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सहायक प्रोफेसर–वानीविलास अस्पताल।
डॉ. सुमा के.एस., स्त्री रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ–वानीविलास अस्पताल।
डॉ. जगदीश नारायणरेड्डी, प्रोफेसर –फोरेंसिक मेडिसिन और एच.ओ.डी. –वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
ज्योत्सना के.ए., मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, बेंगलुरु ।
डॉ. शैब्या सलदान्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ।
डॉ. तेजस्विनी– वानीविलास अस्पताल।

हैंडबुक की समीक्षा
निम्नलिखित लोगों ने इस प्रकाशन के अध्यायों पर बहुत मूल्यवान सुझाव और प्रतिक्रियायें

प्रदान कीं। हम सामग्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में उनके इन महत्वपूर्ण प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं।

महरुख अदनवाला– अधिवक्ता एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता।
स्वागता राहा, हेड, रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेज– एनफोल्ड ट्रस्ट।
रोविना बास्टियन, ट्रेनर– विहान।
डॉ. जगदीश नारायणरेड्डी, प्रोफेसर और फॉरेंसिक मेडिसिन के विभागाध्यक्ष–वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
लक्ष्मी प्रसन्ना, सदस्य– बाल कल्याण समिति, बेंगलुरु।
डॉ. शैब्या सलदान्हा, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सह–संस्थापक, एनफोल्ड ट्रस्ट।
डॉ. संगीता सक्सेना, सह–संस्थापक, एनफोल्ड ट्रस्ट।
कुशी कुशलप्पा, प्रमुख, समर्थन और पुनर्वास–एनफोल्ड ट्रस्ट।
सुजा सुकुमारन, सह–प्रमुख, समर्थन और पुनर्वास– एनफोल्ड ट्रस्ट।
आरती गौर, गीतारानी लौरेम्बम, मल्लिका मन्नाडियार, कशीना करीम, प्रीति पाटकर– प्रेरणा, मुंबई (प्रेरणा के अनुभव, दिशानिर्देश, सुझाव और विचार साझा करने के लिए)

टीम के लिए धन्यवाद का एक विशेष नोट
हम एनफोल्ड टीम के सदस्यों के अथक प्रयासों को स्वीकार करते हैं जिनके उत्साही समर्थन, समय और प्रयासों के उदार योगदान ने इस पुस्तिका को संभव बनाया।

विशेष उल्लेख
भूमिका साहनी – अनुसंधान, साक्षात्कार और लेखन के लिए।
कुशी कुशलप्पा और सुजा सुकुमारन – संकलन और संपादन के लिए।
श्रुति रामकृष्णन – पॉक्सो अधिनियम का सारांश संकलित करने के लिए।
सेरीना डिसूजा, गीता नायर, भावना रवि और रानू तिवारी – प्रशासनिक सहायता के लिए।

इंटर्न्स
दीया मारिया अब्राहम, तनीषा आहूजा, दिव्या सिंघानिया, मुस्कान सिंगला, रिद्धि वी और शिखा शाह।

हैंडबुक डिजाइन
अजीत कुमार।

हिन्दी अनुवाद
संध्या कुकरेती।

प्रूफरीड व अनुवाद टिप्पणी
प्रशांत दुबे– निदेशक आवाज, भोपाल

विषय

पॉक्सो अधिनियम का सारांश	i
संक्षिप्त रूप	vi
पुस्तिका के बारे में	viii
लेखकों और सहयोगियों पर संक्षिप्त टिप्पणी	121-123
1 बाल लैंगिक शोषण के आयाम	1-7
2 सहायक व्यक्तिः नियुक्ति, भूमिकाएं, सर्वोत्तम अभ्यास	8-19
3 प्रकरण की रिपोर्ट करना और पुलिस जाँच	20-41
4 चिकित्सकीय हस्तक्षेप	42-59
5 मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग	60-66
6 बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय में काम करना	67-79
7 बाल पीड़ितों के लिए पुनर्वास और अन्य हस्तक्षेप	80-88
8 न्यायिक प्रक्रियाएं	89-102
9 मुआवजा और विशेष राहत	103-111
10 सहायक व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ	112-120

पॉक्सो अधिनियम का सारांश

लैंगिक हिंसा और शोषण से बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ('पॉक्सो अधिनियम'), 2012 में अधिसूचित किया गया था। पॉक्सो अधिनियम बाल लैंगिक शोषण को संबोधित करने के लिए भारत में पहला विशेष कानून है।

लैंगिक अपराधों को पहले भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.), की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निहित किया गया था। हालाँकि, आई.पी.सी. ने बच्चों के खिलाफ लैंगिक हिंसा को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। पॉक्सो अधिनियम, बाल लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूपों को संबोधित करता है और इन अपराधों की जाँच और परीक्षण के लिए एक बाल अनुकूल प्रणाली प्रदान करता है।

इस अधिनियम में एक 'बच्चे' को '18 वर्ष' से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, अधिनियम प्रभावी रूप से लैंगिक गतिविधि के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है। आई.पी.सी. के विपरीत, पॉक्सो, लैंगिक अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है, जिसमें बच्चों के विरुद्ध गैर–स्पर्श आधारित लैंगिक अपराध भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम अपराध के कुछ संगीन (गंभीर), रूपों को संबोधित करता है या जहाँ बच्चा, दिव्यांगता या 12 वर्ष से कम उम्र के कारण अधिक जोखिम में है, या जहाँ हमले के परिणामस्वरूप बच्चे की मृत्यु हो गई है या उसे गंभीर चोटें लगी हैं।

पॉक्सो अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता उच्च न्यूनतम अनिवार्य सजा के अंतर्गत बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराधों के लिए निर्धारित कठोर दंड है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने वाले न्यायाधीश के पास अपराधी को अनिवार्य न्यूनतम सजा से कम अवधि की सजा देने का विकल्प नहीं है। पॉक्सो अधिनियम, वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था, जहाँ बाल लैंगिक शोषण के लिए सजा के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया था।

पॉक्सो अधिनियम द्वारा परिभाषित अपराधों की सूची और उनसे संबंधित दंड

यू/एस – धारा के अंतर्गत; सी.वी. (कनविक्शन) – दोषसिद्धि; एस. – धारा (सेक्शन)

अपराध	सजा		
	न्यूनतम	अधिकतम	जुर्माना

धारा 4(1): प्रवेशन लैंगिक हमला: यहाँ 'प्रवेशन' को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है और इसमें लिंग, मुँह, शरीर के अन्य अंगों या वस्तु द्वारा प्रवेश शामिल है। इसी तरह, प्रवेश बच्चे के मुँह, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग में हो सकता है। इस प्रावधान के अंतर्गत केवल वयस्क नहीं बल्कि बच्चे के द्वारा प्रवेश कराना भी एक अपराध है।	10 वर्ष	उम्र कैद	हाँ
धारा 4(2): 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला	20 वर्ष	उम्र कैद (शेष जीवन हेतु)	हाँ
धारा 6: गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला से तात्पर्य प्रवेशन लैंगिक हमले की घटना से है, जो अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी गुरूत्तर स्थिति को पूरा करता है।	20 वर्ष	5 वर्ष	हाँ
धारा 8: लैंगिक हमला लैंगिक हमले से तात्पर्य बच्चे के शरीर के निजी अंगों में बिना प्रवेश के किसी भी लैंगिक स्पर्श से है। इस अपराध को स्थापित करने के लिए अपराधी की ओर से लैंगिक आशय एक आवश्यक तत्व के रूप में सामने आना चाहिये।	3 वर्ष	5 वर्ष	हाँ
धारा 10.: गुरूत्तर लैंगिक हमला गुरूत्तर लैंगिक हमला ऐसे लैंगिक हमले को संदर्भित करता है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी गुरूत्तर स्थिति को पूरा करता है।	5 वर्ष	7 वर्ष	हाँ
धारा 12: लैंगिक उत्पीड़न लैंगिक उत्पीड़न एक गैर–स्पर्श आधारित अपराध है और एक बच्चे के साथ लैंगिक संचार को संदर्भित करता है किसी के शरीर के अंगों को दिखाना या बच्चे द्वारा उसके शरीर के अंगों को उजागर करना, बच्चे का पीछा करना, बच्चे को अश्लील साहित्य दिखाना आदि। लैंगिक उत्पीड़न की घटना	–	3 वर्ष	हाँ

की तरह, अपराध को स्थापित करने के लिए आरोपी व्यक्ति की ओर से लैंगिक आशय एक आवश्यक तत्व होगा।			
धारा 14(1): अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना यह अपराध मीड़िया के किसी भी रूप में बच्चे के किसी भी अभद्र, अश्लील या लैंगिक प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है।	प्रथम सी.वी.: 5 वर्ष द्वितीय सी.वी: 7 वर्ष	–	हाँ
धारा 14(1) + धारा 3: अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करने के उद्देश्य से एक बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना।	सजा यू/एस 4+एस 14(1)	–	हाँ
धारा 14(1) + धारा 5: अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करने के उद्देश्य से एक बच्चे पर गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला करना।	सजा यू/एस 6+एस 14(1)	–	हाँ
धारा 14(1) + धारा 7: किसी बच्चे का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से उस पर लैंगिक हमला करना।	सजा यू/एस 8+एस 14(1)	–	हाँ
धारा 14(1) + धारा 9: किसी बच्चे का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से उस पर गंभीर लैंगिक हमला करना।	सजा यू/एस 10+एस 14(1)	–	हाँ
धारा 15(1):साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से एक बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण और निर्धारित प्राधिकारी को हटाने/नष्ट/रिपोर्ट करने में विफलता।	–	–	पहली बार: कम से कम 5000 रु. दूसरी बार/बाद के अपराध: कम से कम रु. 10000
धारा 15(2): रिपोर्टिंग के उद्देश्य या न्यायालय में सबूत के रूप में उपयोग के अलावा किसी भी समय किसी भी तरह से प्रसारित या प्रचार या प्रदर्शित या वितरित करने के लिए किसी	–	3 वर्ष	हाँ

भी रूप में अश्लील सामग्री का भंडारण या आधिपत्य।			
धारा 15(3): किसी भी रूप में अश्लील सामग्री का भंडारण या अधिग्रहण जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए एक बच्चा शामिल है।	प्रथम सी.वी.: 3 वर्ष द्वितीय/उसके बाद सी.वी.: 5 वर्ष	प्रथम सी.वी.: 5 वर्ष द्वितीय/उस के बाद सी. वी.: 7 वर्ष	प्रथम सी. वी.: वैकल्पिक द्वितीय/ उसके बाद सी. वी.: हाँ

उपरोक्त के अतिरिक्त, **पॉक्सो अधिनियम, अपराध करने के प्रयास और किसी भी अपराध के लिए उकसाने को भी दंडित करता है।** जबकि किसी अपराध को करने के प्रयास में आधी अवधि का कारावास या जुर्माने का प्रावधान, प्रयास किए गए अपराध के लिए किया गया है, वहीं किसी अपराध को करने के लिए उकसाने के कार्य में भी वही दंड है जो अपराध को करने में है।

पीड़िता के बयान दर्ज करने के चरण से लेकर आरोपी व्यक्ति पर मुकद्मे तक, पॉक्सो अधिनियम बच्चों की और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर बाल अनुकूल और उम्र अनुरूप अनुभव का प्रावधान करता है। **धारा 19(1)** किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की रिपोर्ट करना अनिवार्य करता है, जिसे अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की जानकारी या संदेह या आशंका है। धारा 19(7), धारा 19(1) के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक जानकारी देने के लिए किसी व्यक्ति को दीवानी (सिविल) या आपराधिक दायित्व से छूट देती है। हालांकि, अधिनियम के अंतर्गत जानबूझकर की गई **झूठी शिकायत** दंडनीय है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों को किसी अपराध की हर सूचना को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य किया जाता है, और ऐसा करने में विफलता को एक अपराध माना गया है। साथ में, **अनिवार्य रिपोर्टिंग और अनिवार्य रिकॉर्डिंग** के प्रावधान को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों के खिलाफ लैंगिक शोषण की घटनायें किसी भी प्रकार से असूचित न रह जाएँ।

आपराधिक कानून के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया से हटकर, पॉक्सो अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की **धारा 161 और धारा 164** में बच्चे का बयान, बच्चे के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति जिस पर बच्चे का भरोसा या विश्वास हो, में दर्ज करने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, पुलिस और मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने के लिए **अनुवादकों, विशेष शिक्षकों या दुभाषियों की सहायता ले सकते हैं**। यह अधिनियम बच्चे के बयान की ऑडियो–विजुअल रिकॉर्डिंग के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। पुलिस को, विशेष रूप से, वर्दी में बच्चे का बयान दर्ज करने से मना किया जाता है और बच्चे के बयान को बच्चे के निवास या किसी अन्य स्थान पर जहाँ बच्चा सहज हो लिया जाना चाहिए। सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे **बच्चे की निजता और गोपनीयता बनाए रखें** और यह सुनिश्चित करें कि बच्चे की पहचान संबंधी कोई भी जानकारी मीडिया को तब तक जारी न की जाए जब तक कि विशेष न्यायालय द्वारा इस तरह के प्रकटीकरण की अनुमति न दी गई हो।

बच्चे को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, जैसे ही विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस. जे.पी.यू.) या स्थानीय पुलिस में शिकायत की जाती है, बच्चे की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि बच्चे को आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में रिपोर्ट करने के चौबीस घंटे के भीतर भर्ती करना। एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस को भी आवश्यकता पड़ने पर बच्चे के दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर प्रकरण की रिपोर्ट **बाल कल्याण समिति** (सी.डब्ल्यू.सी.) को देनी होती है।

अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जाँच करने के लिए, कानून **विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों** के पदनाम का प्रावधान करता है। न्यायालय को बच्चे की उम्र और जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे बच्चे को कलंकित करने और उससे आक्रामक तरीके से पूछताछ करने से रोकें, साक्ष्य प्रस्तुत करते समय आरोपी व्यक्ति को बच्चे के संपर्क में आने से रोकें, आवश्यकतानुसार बच्चे को अवकाश प्रदान करें, बच्चे को बार–बार न्यायालय में बुलाने से बचें और बाल अनुकूल प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करें। पॉक्सो अधिनियम का पालन करने के लिए, भारत में कई स्थापित न्यायालय, बाल पीड़ितों के लिए एक विशेष प्रतीक्षालय, पृथक प्रवेश द्वार और यहाँ तक कि पृथक अमानत कक्ष भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के अंतर्गत कार्यरत सी. डब्ल्यू.सी., आपराधिक न्याय प्रक्रिया को संचालित करने में बच्चे और परिवार की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।

यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के अन्य माध्यमों से आम जनता, बच्चों, साथ ही उनके माता–पिता और अभिभावकों को इसके प्रावधानों के बारे में जागरूक करने का दायित्व देता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) पर अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी निहित है।

पॉक्सो नियम, 2020 में कुछ अन्य परिवर्तनों में बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन, लैंगिक शोषण सामग्री (अश्लील साहित्य) की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और आयु–उपयुक्त बाल अधिकार शिक्षा प्रदान करने आदि प्रावधान शामिल हैं।

शब्द–संक्षेप

सी	
सी.बी.आई.	केंद्रीय जाँच ब्यूरो
सी.सी.आई.	बाल देखरेख संस्था
सी.आई.सी.एल.	कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे
सी.एन.सी.पी.	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे
सी.पी.पी.	बाल संरक्षण योजना
सी.आर.पी.सी.	दंड प्रक्रिया संहिता
सी.एस.ए.	बाल लैंगिक शोषण
सी.एस.ई.सी.	बच्चों का व्यावसायिक लैंगिक शोषण
सी.डब्ल्यू.सी.	बाल कल्याण समिति
सी.एम.ओ.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
डी	
डी.सी.पी.यू.	जिला बाल संरक्षण इकाई
डी.सी.पी.	पुलिस उपायुक्त
डी.एल.एस.ए.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
डी.वाई.एस.पी	उप पुलिस अधीक्षक
एफ	
एफ.आई.आर.	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफ.एस.एल.	फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला
आई	
आई.ओ.	जाँच अधिकारी
आई.पी.सी.	भारतीय दंड संहिता
आई.सी.पी.	व्यक्तिगत देखरेख योजना
जे	
जे.जे.	किशोर न्याय
जे.जे.बी.	किशोर न्याय बोर्ड
एम	
एम.एच.पी.	मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर
एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

एम.टी.पी.	चिकित्सकीय गर्भपात
एन	
एन.सी.पी.सी.आर.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एन.सी.आर.बी.	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
ओ	
ओ.एस.सी.	वन स्टॉप सेन्टर
पी	
पी.ओ.सी.	गर्भाधान के उत्पाद
पी.ओ.सी.एस.ओ.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
आर	
आर.एम.पी.	पंजीकृत चिकित्सक
आर.एम.ओ.	स्थानीय चिकित्सा अधिकारी
एस	
एस.सी.पी.सी.आर.	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एस.आई.आर.	सामाजिक जाँच रिपोर्ट
एस.जे.पी.यू.	विशेष किशोर पुलिस इकाई
एस.एल.एस.ए.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.पी.पी.	विशेष लोक अभियोजक
एस.टी.आई.	यौन संक्रामित संक्रमण
टी	
टी.आई.पी.	टेस्ट पहचान परेड
यू	
यू.एन.सी.आर.सी.	बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यू.टी.आई.	मूत्रमार्ग संक्रमण (यूरीनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन)
वी	
वी.डब्ल्यू.डी.सी.	जोखिमपूर्ण गवाह बयान केंद्र
डब्ल्यू	
डब्ल्यू.एच.ओ.	विश्व स्वास्थ्य संगठन

पुस्तिका के बारे में

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम लागू होने के बाद वर्ष 2012 को भारत में बाल संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष माना जा सकता है। पॉक्सो अधिनियम को इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था कि यह एक बच्चा है जिस पर जाँच एजेंसी और न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इस आशय के लिए, यह बच्चों को सहायता देने के लिए बाल अनुकूल प्रणालियों, समय सीमा, प्रक्रियाओं और समर्थन तंत्र को निर्धारित करता है।

पॉक्सो नियम, जाँच और परीक्षण प्रक्रियाओं के दौरान बाल पीड़ितों और उनके परिवारों को सहायता सुनिश्चित करने के महत्व को पहचानते हैं और बच्चों और उनके परिवारों को ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए एक 'सहायक व्यक्ति' की अवधारणा पेश करते हैं।

यह पुस्तिका पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो नियम, 2020, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 39 के अंतर्गत मॉडल दिशानिर्देश, किशोर न्याय (जे.जे.) अधिनियम 2015 और जे.जे. नियम, 2016 के अंतर्गत संबंधित धाराओं के अंतर्गत एक सहायक व्यक्ति की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रासंगिक कानूनी ढाँचे का विस्तार से वर्णन करती है। पुस्तिका बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में सहायक व्यक्तियों के अनुभवों से तैयार की गई है, जो आपराधिक न्याय और बाल संरक्षण प्रणालियों के माध्यम से बच्चों और उनके परिवारों की सहायता कर रहे हैं। यह सहायक व्यक्तियों के ज़मीनी अनुभवों के आधार पर अंतर्दृष्टि और अच्छे अभ्यास प्रदान करती है।

पुस्तिका निम्नलिखित पर विस्तार से बताती हैः

1. बाल लैंगिक शोषण (सी.एस.ए.) के आयाम, रिपोर्टिंग का प्रभाव, संकेतक और खतरे की पहचान ।
2. सहायक व्यक्ति की भूमिकाएँ और पुलिस, बाल कल्याण समितियों, चिकित्सकों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के साथ उनके पाास्परिक कार्य।
3. सहायक व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, संभावित समाधान और/या कानूनी संसाधन।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तिका व्यवहारिक है और बच्चों और हितधारकों के अनुभवों को दर्शाती है, बेंगलुरु में 12 वर्ष से अधिक आयु के सात बच्चों और उनके माता–पिता; बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से आठ सहायक व्यक्ति; बेंगलुरु के छः पुलिस अधिकारी; कर्नाटक और महाराष्ट्र के पाँच सी.डब्ल्यू.सी. सदस्य; बेंगलुरु के छः

चिकित्सक, कर्नाटक से जिला बाल संरक्षण इकाइयों के तीन कार्यालय, चार गैर सरकारी संगठन और एक वकील के साथ ऑनलाइन और टेलीफोनिक साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। बच्चों के परिचित सहायक व्यक्तियों ने बच्चों की सुविधा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार आयोजित किए। पुस्तिका का मसौदा तब तैयार किया गया था जब कई राज्य कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन में थे – प्रत्यक्ष बैठकें प्रतिबंधित थीं, ऐसे में अधिकांश साक्षात्कार फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित किए गए थे।

तालिका 1: हितधारकों का साक्षात्कार लिया गया।

हितधारक	राज्य/जिला	व्यक्तियों की संख्या
बच्चे तथा माता–पिता	बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण[1]	07
सहायक व्यक्ति	बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण[1], दिल्ली, चेन्नई[2], मुंबई[3]	08
पुलिस अधिकारी	बेंगलुरु[1]	06
सी.डब्ल्यू.सी. सदस्य	बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण[1], सिरसी[1], बगलकोट[1], अहमदनगर[3]	05
स्वास्थ्य चिकित्सक	बेंगलुरु शहरी[1]	06
डी.सी.पी.यू. स्टाफ	बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण[1], तुमकुर[1]	03
गैर सरकारी संगठन	बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण[1], दिल्ली, चेन्नई[2], मुंबई[3]	04
वकील	बेंगलुरु शहरी[1]	01

हैंडबुक का डिजाइन

इस हैंडबुक को पॉक्सो प्रकरणों के विशिष्ट चरणों/प्रवाह के आधार पर अध्यायों में विभाजित किया गया है। सुझाए गए प्रारूप अध्याय के अंत में अनुलग्नक के रूप में दिए गए हैं। विशिष्ट शब्दों के संबंध में सूचना को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में खोजा जा सकता है।

उदाहरणार्थः विशेष न्यायालय, जाँच अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.एम.पी.)।

1 कर्नाटक 2 तमिलनाडु 3 महाराष्ट्र

पुस्तिका की सीमाएं

1. इस पुस्तिका में जिन विषयों और मुद्दों पर विचार किया गया है और जिन पर विस्तार से चर्चा की गई है, वे कुछ ही हैं और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं। पाठक अधिक जानकारी के लिए अन्य कार्यों, कानूनों और दिशानिर्देशों को संदर्भित कर सकते हैं।
2. कोविड–19 लॉकडाउन के कारण न्यायालयों के बंद होने से विशेष लोक अभियोजकों, न्यायाधीशों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) जैसे हितधारकों से उनके विचार प्राप्त नहीं किये जा सके हैं।
3. साक्षात्कार भारत के कुछ ही क्षेत्रों को निहित करते हैं, इसलिए अनुभव, शब्दावली और प्रक्रियाएं एक से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में भिन्न हो सकती हैं।
4. पुस्तिका के अध्यायों में दिए गए सुझाव और स्क्रिप्ट कुछ सहायक व्यक्तियों के जमीनी अनुभवों पर आधारित हैं। सहायक व्यक्तियों की व्यक्तिगत कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों से उनकी स्थानीय वास्तविकताओं और स्थितियों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। बच्चों के साथ बातचीत संवेदनशील और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए।
5. पुस्तिका में कानूनी पहलुओं को विस्तार से शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पुस्तिका को इस उद्देश्य से डिजाइन नहीं किया गया है।
6. इस पुस्तिका में किशोरों और युवाओं को लैंगिक शिक्षा प्रदान करने की सामग्री या ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले उपकरण शामिल नहीं हैं। इसके लिए पाठक को उन संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों और इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों के लिए संदर्भित किया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि बच्चों और किशोरों के साथ इन विषयों पर चर्चा करने से पहले पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए – विशेषकर यदि उनका लैंगिक शोषण किया गया हो।

ध्यान देने योग्य बातें

गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी अध्यायों में उद्धरण हेतु विशिष्ट व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

पुस्तिका में प्रासंगिक कानूनी जानकारी के साथ–साथ जमीनी कार्य करने वाले विभिन्न हितधारकों के अनुभव शामिल हैं। संबंधित अनुभागों, नियमों, सूचना के अन्य स्रोतों का उल्लेख उन स्थानों पर किया गया है जहाँ किसी विशिष्ट अधिनियम, नियम और दिशानिर्देश का संदर्भ है।

इस पुस्तिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य कानूनों, दिशानिर्देशों और निर्णयों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

यदि पाठक किसी भी प्रकरण को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो फुटनोट और संदर्भ प्रदान किए गए हैं।

गोपनीयता बनाए रखने के लिए सभी अध्यायों की प्रकरण फाइलों में पीड़ित बच्चों के नाम बदलें गए हैं।

अध्याय 1

बाल लैंगिक शोषण के आयाम



1 सी.एस.ए.: जोखिम के कारक

2 सी.एस.ए. की रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले कारक

3 सी.एस.ए. के संकेतक और प्रभाव

4 सी.एस.ए. पीडितों के लिये सहायता

सी.एस.ए., 'लैंगिक गतिविधियों में एक बच्चे की भागीदारी जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, सूचित सहमति देने में असमर्थ है, या जिसके लिए बच्चा तैयार नहीं है और सहमति नहीं दे सकता है, या जो कानूनों और सामाजिक वर्जनाओं का उल्लंघन करता है।[1]

बाल शोषण पर अध्ययनः भारत 2007[2], महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, में पाया गया कि 12,447 बाल उत्तरदाताओं में से 53 प्रतिशत ने लैंगिक हिंसा के किसी न किसी रूप का सामना किया था।

बच्चे अपने परिवार के सदस्यों/अभिभावकों के साथ लैंगिक शोषण या इस अपराध के अपराधियों के बारे में शायद ही कभी बात करते हैं, और अक्सर सी.एस.ए. के इन मामलों का खुलासा नहीं किया जाता है, इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। अक्सर शोषण करने वाला वह व्यक्ति होता है जो बच्चे को जानता है। जब बच्चे शोषण का उल्लेख करते हैं, तो आमतौर पर बच्चे पर विश्वास नहीं किया जाता है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया, 2019[3] के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 (प्रवेशन लैंगिक हमला) और धारा 6 (गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला), के अंतर्गत शामिल 94.9 प्रतिशत अपराधी बाल पीड़ितों के परिचित थे।

1. सी.एस.ए.: जोखिम के कारक

लैंगिक हिंसा के अपराधी उन बच्चों को निशाना बनाने और उनका शोषण करने की अधिक आशंका रखते हैं जिन बच्चों की सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि जैसे कारकों के कारण वे पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं। इनमें से कुछ कारक नीचे सूचीबद्ध हैं:

- आयु, लिंग, दिव्यांगता, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, घर में हिंसा।
- बच्चे विभिन्न कारणों से घर छोड़ रहे/भाग रहे हैं।
- माता–पिता के समर्थन के बिना बच्चे।
- स्कूलों और घर में व्यक्तिगत सुरक्षा, जीवन कौशल और लैंगिक शिक्षा का अभाव।

---

[1] World Health Organisation (1999), Report of the Consultation on Child Abuse Prevention
[2] Kacker, L., Kumar, P., & Varadan, S. (20-7), Study on Child Abuse: India 2007, Ministry of Women and Child Development, GOI
[3] National Crime Records Bureau (2019), Crime in India Page 307-312 (Table 4 A.2(ii))

- व्यक्तिगत सुरक्षा, लैंगिकता और लैंगिक हिंसा के बारे में माता–पिता के बीच जागरूकता की कमी और असहजता।
- लैंगिकता और लैंगिक हिंसा के प्रति सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इस मुद्दे पर चुप्पी की ओर ले जाता है।
- माता–पिता के पास आजीविका के विकल्प, सामाजिक प्रतिभूतियों और स्थाई आय की कमी है, जिसके कारण परिवारों का अन्य स्थानों पर प्रवास होता है।
- अपराधियों को जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है और अक्सर परवाह न करने वाले माता–पिता या परिवार के सदस्यों और यहाँ तक कि समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है।
- सत्ता के आयाम, विशेष रूप से जाति–आधारित हिंसा में, निम्न जाति (कथित) के बच्चे को अधिक असुरक्षित बना सकती है।

सी.एस.ए. और दिव्यांग बच्चेः दिव्यांग युवा, विशेष रूप से लड़कियां, अपने दिव्यांग साथियों की तुलना में हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। सशक्त बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों के हिंसा के शिकार होने की आशंका लगभग चार गुना अधिक होती है और सबसे अधिक जोखिम वाली लड़कियों के साथ लैंगिक हिंसा के शिकार होने की संभावना लगभग तीन गुना अधिक होती है। जो बच्चे बधिर, नेत्रहीन ऑटिस्टिक या मनोसामाजिक या बौद्धिक अक्षमताओं के साथ जी रहे हैं, वे हिंसा की चपेट में सबसे अधिक आते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि ये बच्चे दूसरों की तुलना में शोषण के शिकार होने की पाँच गुना अधिक संभावना रखते हैं और धमकाये जाने के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

– लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने और लैंगिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को साकार करने पर वैश्विक अध्ययन, यू.एन.एफ.पी.ए.[4]

अधिकांश मामलों में अपराधी जाने–पहचाने व्यक्ति होने के कारण, एक बच्चा अक्सर प्रकरण की रिपोर्ट करने के बारे में बहुत चिंतित रहता है। एक बार प्रकरण दर्ज हो जाने पर अपराधबोध, शर्म, परिवार को तोड़ने की जिम्मेदारी, परिवार के किसी सदस्य/परिचित व्यक्ति को 'जेल' में डाल देना, केस वापस लेने का दबाव और परिवार में स्वीकार नहीं किया जाना कुछ शंकाएं, भ्रम और चिंता हैं, जो एक बच्चा महसूस कर सकता है।

– फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर, बेंगलुरु

2. सी.एस.ए. की रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले कारक

हालांकि सी.एस.ए. आम है और बच्चों के जीवन पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, यह एक

[4] UNFPA, (2018), Young Persons with Disabilities

ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं की जाती है और रिपोर्टिंग कम[5] होती है।

2.1 बच्चे और परिवार की चिंतायें

- माता–पिता अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं क्योंकि 'शर्म' और 'सम्मान' के विचार महिलाओं की 'प्रतिष्ठा' और 'व्यवहार' से जुड़े होते हैं। लिंग आधारित हिंसा से जुड़े लांछन की भी चिंता होती है।
- परिवार में स्वीकार नहीं किए जाने या परिवार के किसी सदस्य/ज्ञात व्यक्ति को 'जेल' में डालने के डर के साथ–साथ परिवार को तोड़ने के लिए बच्चे को अपराधबोध, शर्म और जिम्मेदारी का अनुभव हो सकता है।
- जब शोषण करने वाले की बच्चे तक पहुँच होती है, तो वे बच्चे को तैयार करने और नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं और बच्चे को धमकाने, डराने और/या जबरदस्ती करके उसे शिकायत करने से रोक सकते हैं।
- जब परिवार और समुदाय में उत्पीड़न हिंसा और धमकी के डर से अपराधी की पहचान होती है, तो परिवार और बच्चा रिपोर्ट करने से हिचकते हैं।
- वित्तीय स्थिरता के संभावित नुकसान की आशंका – बच्चों को क्षमा करने, शोषण को भूलने या इसके बारे में चुप रहने के लिए कहा जा सकता है।
- अपराधी और उनके सहयोगी बच्चे और परिवार को धमका सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं और/या मामलों को तेजी से निपटाने/समझौता करने या पीड़िता से शादी करने का वादा कर सकते हैं।
- आपराधिक न्याय और बाल संरक्षण प्रणालियों के दौरान फिर से आघात (ट्रामा) पहुंचाये जाने का डर।
- ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए शर्मिंदगी के डर से शोषण की रिपोर्ट करना व इसके लिये स्वयं को दोषी ठहराना, और भी मुश्किल हो सकता है।
- दिव्यांग बच्चों द्वारा उनकी अक्षमता के कारण शोषण की पहचान करना और उसके बारे में संवाद करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- परिवार अक्सर इस तरह की प्रक्रियाओं के बारे में अनजान होते हैं, और परिजनों को प्रक्रियायें भी कठिन लगती हैं।

परिवार, न्याय के लंबे इंतजार के बारे में चिंताओं के साथ–साथ आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं करते हैं।

- जब पीड़ित कोई बालक होता है तो रिपोर्टिंग और अधिक प्रभावित होती है। परिवार

[5] Srivastava K,Chaudhury S,Bhat PS, & Patkar P, (2017), Child sexual abuse: the suffering untold. Industrial Psychiatry

अक्सर प्रकरण को गंभीरता से नहीं लेते हैं या समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण शोषण की रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं।

भारत में अपराध 2019[6] के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 2.8 प्रतिशत ही पुरुष पीड़ित थे, और शेष पीड़ित महिलाएं थीं।

यदि मैं प्रकरण की रिपोर्ट करता हूँ, तो मेरे परिवार के सदस्य और पड़ोसी सोचेंगे कि मेरा बेटा कमजोर और ट्रांसजेंडर है और उसे छेड़ना शुरू कर देंगे। यदि यह बात सामने आती है तो वह चैन से नहीं रह पाएगा...लोग यह कहकर लड़कों पर होने वाले आघात (ट्रामा) और शोषण के प्रभाव को कम आंकते हैं, 'ओह, वह गर्भधारण नहीं कर सकता...'।

– एक 15 वर्षीय बाल पीड़ित के पिता, प्रकरण की रिपोर्ट करने से पहले, बेंगलुरु

2.1 सी.एस.ए. की घटना का पता कैसे चलता है

- माता–पिता बच्चे के व्यवहार और रवैये के बारे में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, और पूछताछ करने पर, शोषण के बारे में पता लगा सकते हैं।
- शोषण का खुलासा तब भी किया जा सकता है जब किसी बच्चे को मनोदैहिक लक्षणों या अस्पष्ट चोटों और/या दर्द के कारण चिकित्सक/मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के पास ले जाया जाता है। जाँच के दौरान, उपस्थित चिकित्सक को पता चलता है कि बच्चे ने लैंगिक हिंसा का सामना किया है। (इस विषय पर और अधिक जानकारी अध्याय 2 – सहायक व्यक्ति, अनुभाग में)।
- बच्चा स्कूल में किसी के साथ, पड़ोसी या शिक्षक के साथ भी जानकारी साझा कर सकता है जो इसे किसी एन.जी.ओ. या चाइल्डलाइन को रिपोर्ट कर सकता है।
- एक व्यक्ति जो सी.एस.ए. का साक्षी है या अपने संपर्कों के माध्यम से किसी बच्चे के साथ हो रहे लैंगिक शोषण के बारे में जानता है, वह चाइल्डलाइन को भी इसकी रिपोर्ट कर सकता है।
- जब माता–पिता/परिवार बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत करते हैं या बच्चे के भाग जाने या किसी के द्वारा भगाये जाने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराते हैं।

3. सी.एस.ए. के संकेतक और प्रभाव

बाल लैंगिक शोषण का बच्चे पर अस्थायी और कभी–कभी स्थायी प्रभाव हो सकता है।

[6] National Crime Records Bureau (2019), Crime in India

बचपन के प्रतिकूल अनुभव अध्ययन[7] ने यह भी दिखाया है कि बचपन में अत्यधिक और लंबे समय तक तनाव का व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशहाली पर जीवनपर्यंत परिणाम होता है।

3.1 लैंगिक हिंसा के शारीरिक संकेतक अस्पष्ट चोट, शरीर पर निशान और चोट, जननांगों में रक्तस्राव और चोट, बार–बार मूत्रमार्ग का संक्रमण (यू.टी.आई.), पेशाब/शौच करते समय दर्द, यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) और गर्भावस्था हैं।

3.2 मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संकेतक चिंता, अवसाद, अनिद्रा, मनोदैहिक विकार, बार–बार बुरे सपने आना, नींद में बात करना, बिस्तर गीला करना, कुछ व्यक्तियों और/या स्थानों का डर, कम आत्मसम्मान, नियमित गतिविधियों से पीछे हटना, उच्च स्तर की आक्रामकता, क्रोध, शत्रुता और अवज्ञा हैं।

संज्ञानात्मक और व्यवहार संबंधी परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि कम संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली, स्कूल में खराब प्रदर्शन, हिंसक व्यवहार और दृष्टिकोण तथा मादक द्रव्यों के सेवन की स्वीकृति।

लैंगिक शोषण के अन्य लक्षणों में शैक्षणिक प्रदर्शन में बदलाव, खान–पान की आदतें और पहनावा, तथा काम न करना (भागना) शामिल हैं। लंबे समय तक चलने वाले शोषण में बच्चे आयु–अनुचित/लैंगिक व्यवहार या असामान्य लैंगिक ज्ञान प्रदर्शित कर सकते हैं। वे पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पी.टी.एस.डी.) से गुजर सकते हैं, खुद को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार में शामिल हो सकते हैं, और वे आत्महत्या की ओर भी बढ़ सकते हैं।

व्यवहार संकेतक अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ विश्वास करने या संबंध बनाए रखने में असमर्थ भी हो सकते हैं।

सी.एस.ए. के पीड़ित बच्चों के अन्य परिणामों में, अन्य बच्चों या साथियों पर सी.एस.ए. के अपराध के बढ़ते जोखिम, शामिल हो सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि ये ऐसे संकेतक हैं जो लैंगिक शोषण का संदेह पैदा कर सकते हैं। ये बाल लैंगिक शोषण का निदान नहीं हैं। ये, चेतावनी के अन्य संकेत भी हो सकते हैं; यह एक विस्तृत सूची नहीं है। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो उपरोक्त में से किसी भी व्यवहार या संकेतक का प्रर्दशन न करें।

ऐसा समय भी होता हैं जब बच्चा परिवार को यह नहीं बता पाता है कि उसके साथ शोषण

[7] World Health Organisation (2018), Adverse Childhood Experiences International Questionnaire; Centres for Disease Control and Prevention

हुआ है, और वह चिंता, अवसाद, आघात, बुरे सपने या शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट या आक्रामक व्यवहार जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या लेकर हमारे पास आते हैं। कुछ बच्चे उच्च–लैंगिक व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम सीधे बच्चे से नहीं पूछ सकते; हमें उन्हें कुछ समय देना होगा। कभी–कभी, हम बच्चे के अवसाद और मूत्रमार्ग के संक्रमण जैसे शारीरिक लक्षणों हेतु इलाज करना जारी रखते हैं। बच्चे का ऑकलन करने और उससे बात करने पर, हमें अक्सर पता चलता है कि बच्चे ने लैंगिक शोषण का सामना किया है और इस बारे में किसी को नहीं बताया है।

– मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, बेंगलुरु

4. सी.एस.ए. पीडितों के लिये सहायता

पुलिस को सी.एस.ए. की रिपोर्ट करने वाले बच्चे और परिवार को बाहरी दबाव से बचाना चाहिए और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर उनके इस पड़ाव में उन्हें समर्थन दिया जाना चाहिए।

एक प्रशिक्षित सहायक व्यक्ति आपराधिक न्याय और बाल संरक्षण प्रणालियों के माध्यम से बच्चे और परिवार के इस पड़ाव को आसान बना सकता है। सहायक व्यक्ति समय–समय पर सूचना और जानकारियाँ प्रदान करता है, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है और पुनर्वास में सहायता करता है। सहायक व्यक्ति प्रकरण के विभिन्न चरणों में उनकी सहायता करके हितधारकों, बच्चे और परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बन जाता है। **(अधिक विवरण हेतु अध्याय 2 – सहायक व्यक्ति की नियुक्ति, भूमिका, सर्वोत्तम अभ्यास, देखें।)**

अध्याय 2

सहायक व्यक्ति की नियुक्ति, भूमिका, सर्वोत्तम अभ्यास



1 सहायक व्यक्ति की नियुक्ति

2 सी.एस.ए. प्रकरण का वैकल्पिक सूचना स्त्रोत

3 भूमिकायें एवं दायित्व

4 बच्चे तथा परिवार के साथ प्रथम बैठक

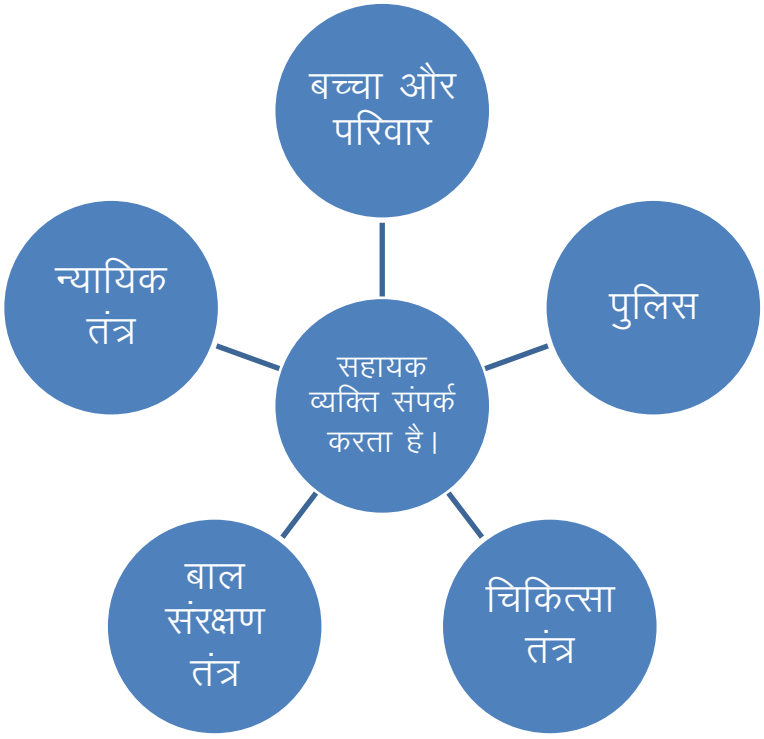
5 सर्वोत्तम अभ्यास

6 सेवा समापन/समाप्ति

बाल अधिकार पेशेवरों के अनुभव से पता चला है कि बाल लैंगिक शोषण के पीड़ितों और उनके परिवारों को विभिन्न चरणों में सहायता की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि बाल अधिकार और संरक्षण में काम करने वाला कोई संगठन या व्यक्ति इस सहायक भूमिका को निभाये। पॉक्सो नियम, 2020[8] ने एन.जी.ओ. या व्यक्ति द्वारा निभाई गई इस भूमिका को सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के साथ संस्थागत रूप दिया है।

बच्चे और परिवार को पुलिस, अस्पतालों, मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.), बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) और अन्य के साथ जुड़ना होता है। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चल सकती है, और कई बार यह भ्रमित कर देने वाली और कठिन हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हितधारकों को अपर्याप्त स्टाफ, बुनियादी ढाँचे की कमी, और अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण पीड़ित और उनके परिवार को शायद ही कभी समर्थन दिया जाता है या प्रकरण की प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली और प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।



चित्र 1: सहायक व्यक्ति – हितधारक संपर्क आरेख

[8] The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020

सहायक व्यक्ति की नियुक्ति

जब लैंगिक शोषण की घटना की सूचना पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) को दी जाती है, तो उन्हें 24 घंटे के भीतर प्रकरण के बारे में सी.डब्ल्यू.सी. को सूचित करना होगा। बच्चे के मूल्यांकन और आवश्यकता के आधार पर, सी.डब्ल्यू.सी. बच्चे और बच्चे के माता–पिता, अभिभावक, या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चा भरोसा करता है, की सहमति लेने के बाद एक सहायक व्यक्ति प्रदान कर सकता है। (अध्याय 6– सी.डब्ल्यू.सी. के साथ समन्वय – अध्याय में सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में विवरण है।)

प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

धारा 2(डी), पॉक्सो अधिनियम, 2012	पॉक्सो अधिनियम, धारा 2(डी) 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को 'बच्चे' के रूप में परिभाषित करता है।
पॉक्सो नियम 2012,नियम 1(एफ), पॉक्सो नियम 2020, नियम 2(एफ)	नियम 4 का उप–नियम (7), सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा नियुक्त किये गए 'सहायक व्यक्ति' की अवधारणा का परिचय देता है, जो जाँच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे की सहायता कर सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति पूर्व–परीक्षण में बच्चे की सहायता कर सकता है या अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के संबंध में परीक्षण प्रक्रिया।
नियम 4(8), पॉक्सो नियम, 2020	सहायक व्यक्ति, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा जाँच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे की सहायता करने के लिए या अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में पूर्व परीक्षण या परीक्षण प्रक्रिया में बच्चे की सहायता करने के लिए सौंपा गया व्यक्ति है।
नियम 5(6), पॉक्सो नियम, 2020	सहायक व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति या संगठन हो सकता है: 1. बाल अधिकार या बाल संरक्षण के क्षेत्र में या, 2. बाल गृह या आश्रय गृह का कोई अधिकारी जिसके पास बच्चे की अभिरक्षा हो या, 3. जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति।

1. सी.एस.ए. प्रकरण का वैकल्पिक सूचना स्त्रोत

पीड़ित बच्चे और उनके परिवार ने किसी गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति से सहायता मांगी हो सकती है। पॉक्सो नियम, 2020 के तहत, एक गैर सरकारी संगठन या व्यक्ति उसी तरह बच्चे और परिवार की सहायता कर सकता है जैसे सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा नियुक्त सहायक व्यक्ति, बच्चे और परिवार का समर्थन करने के लिए एक समान भूमिका निभाता है। 'इस प्रकार सहायक व्यक्ति को बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है या बच्चे और

उनके परिवार द्वारा स्वयं नियुक्त किया जा सकता है'।[9]

प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

नियम 5(6), पॉक्सो नियम 2020, प्रावधान	बशर्ते कि इन नियमों में कोई भी बच्चे और बच्चे के माता–पिता या अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चे का भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता लेने से नहीं रोकेगा।

बाल लैंगिक शोषण के सूचना स्रोत

यह देखा गया है कि सी.एस.ए. के पीड़ित और उनके परिवार पुलिस को प्रकरण की रिपोर्ट करने से पहले ही किसी एन.जी.ओ. या सहायक व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, एन.जी.ओ. परामर्श, कानूनी सलाह और प्रकरण की रिपोर्ट करने में सहायता के लिए रेफरल प्रदान करने वाले बच्चे के लिए संपर्क का पहला व्यक्ति बन जाता है।

कुछ स्रोत जहाँ से सहायक व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त होती है, नीचे सूचीबद्ध हैं:

अस्पताल: ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जब कोई बच्चा बीमारी के लिए किसी चिकित्सक के पास या अस्पताल गया हो। चिकित्सक, बच्चे के लैंगिक शोषण का पता लगा सकते हैं और एक सहायक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। पुलिस के साथ एक मेडिको–लीगल केस दर्ज कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर: माता–पिता या अभिभावक एक बच्चे के सामने आने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सेवाएं ले सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर एक सहायक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जब यह सामने आता है कि बच्चे ने लैंगिक शोषण का सामना किया है।

शैक्षणिक संस्थान: बच्चे अपने लैंगिक शोषण का खुलासा बाल/व्यक्तिगत सुरक्षा पर सत्र के दौरान या बाद में या विद्यालय के परामर्शदाता के साथ कर सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में, शैक्षणिक संस्थान बच्चे को सहायता प्रदान करने और स्कूल को पुलिस के साथ बातचीत करने में सहायता करने के लिए सहायक व्यक्तियों तक पहुंच सकता है।

[9] Model Guidelines under Section 39 of the Protection of Children from Sexual Offences Act (2012), *Social Workers and Support Persons*

चाइल्डलाइन 1098: बच्चे या परिवार 1098 पर चाइल्डलाइन पर कॉल कर सकते हैं, और चाइल्डलाइन, रिपोर्टिंग और पुनर्वास के साथ दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्तियों तक पहुंचती है।

पुलिस सहायता करने वाले व्यक्तियों से संपर्क कर सकती है जो बच्चे और परिवार की मदद करने के लिए उनके हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं और अनुरोध करते हैं।

बच्चे, माता–पिता और बच्चे के शुभचिंतक कानूनी प्रक्रियाओं को समझने तथा सहायता प्राप्त करने के लिए सी.एस.ए. पर काम कर रहे संगठनों को ऑनलाइन खोजने के बाद उन तक पहुंच सकते हैं।

सी.डब्ल्यू.सी.: जब प्रकरण पुलिस द्वारा सीडब्ल्यूसी के संज्ञान में लाया जाता है, तो सीडब्ल्यूसी बच्चे के लिए एक सहायक व्यक्ति नियुक्त कर सकती है **(सी.डब्ल्यू.सी. के बारे में अधिक जानकारी हेतु अध्याय 6 देखें।)**

इसके अतिरिक्त, निजी चिकित्सक, स्कूल, वकील, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षक भी सहायता के लिए सहायक व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।

जब एक सहायक व्यक्ति को सी.डब्ल्यू.सी. के अतिरिक्त उपरोक्त किसी भी स्रोत से सी.एस.ए. के प्रकरण के बारे में सूचित किया जाता है, तो सहायक व्यक्ति स्वंय को प्रकरण हेतु सी.डब्ल्यू.सी. से नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है।

जब कोई बच्चा उपचार के दौरान लैंगिक शोषण का खुलासा करता है और जब कुछ चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं; हम एक ऐसे सहायक व्यक्ति की तलाश करते हैं जो जानता हो कि कानूनी क्षेत्र में अगला कदम क्या है, और एक सहायता प्रणाली के रूप में बच्चे के लिए क्या उपलब्ध है? यह एक बहुत ही जटिल मामला हो सकता है, और हम नहीं जानते कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या यह बच्चे के हितों को प्रभावित करेगा!! ऐसे में हम प्रेरणा या मजलिस (एक संस्था) के लोगों से मार्गदर्शन लेने पहुँचते हैं।

– एक एन.जी.ओ., मुंबई

2. भूमिकायें एवं दायित्व

एक सहायक व्यक्ति की भूमिकाएं और दायित्व नियम 4, पॉक्सो नियमों के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं। बच्चे और परिवार को कई प्रकार की सेवाएं और जानकारी प्रदान करने के लिए

एक सहायक व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है।[10]

3.1 प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

पॉक्सो नियम, 2020	पॉक्सो नियम, 2020 अंर्तगत नियम 4(9), (12), (13), (14) और (15) में सहायक व्यक्ति की भूमिका और दायित्वों का विवरण दिया गया है।
नियम 5(12), पॉक्सो नियम, 2020	सहायक व्यक्ति को हर समय बच्चे की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए।

3.2 सहायक व्यक्ति की भूमिका

- बच्चे से संबंधित सभी सूचनाओं की **गोपनीयता बनाए रखें** व बच्चे और परिवार की किसी भी चिंता का समाधान करें।
- परीक्षा और परीक्षण के दौरान **बच्चे के साथ रहें**।
- **सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करें** जो बच्चे को आरोपी के बारे में हो सकती हैं।
- आपराधिक अभियोजन में शामिल प्रक्रियात्मक सोपान के बारे में बच्चे और परिवार को तुरंत **जानकारी प्रदान करें**:
    - जाँच, पूर्व–परीक्षण और परीक्षण प्रक्रिया में सहायक व्यक्ति की भूमिका।
    - सार्वजनिक या निजी आपातकालीन और संकट सेवाओं की उपलब्धता।
    - निःशुल्क कानूनी सहायता, अन्य सहायता और पीड़ित प्रतिकर योजना की उपलब्धता।
    - अपराध की जाँच की स्थिति, गिरफ्तारी और संदिग्ध अपराधी के विरूद्ध आरोप दायर करना।
    - अदालती कार्यवाही की अनुसूची जब एक बच्चे और परिवार को उपस्थित होना आवश्यक है।
    - अपराधी की जमानत, रिहाई या कैद की स्थिति।
    - प्रकरण के संभावित परिणाम और मुकदमे के पूरा होने पर फैसले और सजा का प्रतिपादन।

एक सहायक व्यक्ति की भूमिकाएं और दायित्व ऊपर वर्णित दायित्वों से आगे जा सकती हैं। पॉक्सो नियम, 2020 द्वारा परिभाषित इस विषय पर बाद के अध्यायों में विस्तार से चर्चा

[10] Model Guidelines under Section 39 of the Protection of Children from Sexual Offences Act (2012), *Social Workers and Support Persons*

की गई है।

4. बच्चे तथा परिवार के साथ प्रथम बैठक

- अपना परिचय दें, अपने संपर्क विवरण और अपने संगठन के बारे में बताएं, और बच्चे/परिवार के सवालों के जवाब दें।
- बच्चे और परिवार के सदस्यों की कुशलता के बारे में पूछताछ करें। परिवार को बता दें कि सी.डब्ल्यू.सी. ने अन्य मामलों में सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति की थी।
- परिवार को सूचित करें कि सहायक व्यक्तियों की सेवाएं परिवार को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।
- बच्चे को बताएं कि जिस व्यक्ति पर वे भरोसा करते हैं (जैसे माता–पिता, बड़े भाई/बहन या सहायक व्यक्ति) अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करते समय उपस्थित हो सकते हैं।
- माता–पिता या अभिभावक को जब कभी बच्चे की आवश्यकता हो, चिकित्सकीय या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- पीड़ित बच्चे/परिवार को पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे के अधिकार, चिकित्सा हस्तक्षेप और क़ानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में सूचित करें।
- अवास्तविक अपेक्षाएं प्रस्तुत न करें – जैसे कि आरोपी को दंडित किया जाएगा, या कि आरोपी को कभी जमानत नहीं मिलेगी, या प्रकरण एक साल में खत्म हो जाएगा।
- प्रकरण के दौरान चलने वाली प्रक्रियाओं और अपेक्षित समय सीमा सहित कानून की मूल बातों से परिवार को परिचित करायें।

5. सफल अभ्यास

जैसा कि धारा 3, किशोर न्याय (बालकों की देखदेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यानी जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत कहा गया है कि सहायक व्यक्तियों को बच्चों और परिवारों के साथ जुड़ते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए – गरिमा और सम्मान का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सकारात्मक उपाय, गैर–कलंकित शब्दार्थ का सिद्धांत, समानता और गैर–भेदभाव का सिद्धांत व निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। विभिन्न न्यायालयों के सहायक व्यक्तियों के अनुभवों ने उन अभ्यासों में अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जिन्होंने सहायक व्यक्तियों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता की है।



सहायक व्यक्तियों के लिए टिप्स

1. **जब सी.डब्ल्यू.सी. की ओर से पुलिस और अदालत को उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित करने में देरी होती है, तो सहायक व्यक्ति प्रकरण के दस्तावेजों में इसे शामिल करने के अनुरोध के साथ पुलिस और विशेष लोक अभियोजक को पत्र सौंप सकता है।**

2. **यह नियुक्ति पत्र में नामित एक ही या विभिन्न संगठन (नों) से दो सहायक व्यक्ति (एक प्राथमिक और दूसरा उस व्यक्ति की सहायता के लिए) रखने में मदद करता है। यह एक सहायक व्यक्ति को उस स्थिति में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जब दूसरा प्रकरण में सहायता करने में असमर्थ होता है। हालांकि, प्राथमिक सहायक व्यक्ति को सी.डब्ल्यू.सी. और अन्य हितधारकों के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता होगी।**



5.1 अनुशंसित सफल अभ्यास

- पुनः शोषण होने से बचने के लिए बाल पीड़ितों के साथ व्यवहार करते समय बाल–केंद्रित और संवेदनशील दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है।
- स्पष्ट रूप से उनका नाम, किसी संगठन या विभाग के साथ उनका जुड़ाव और सी. डब्ल्यू.सी. द्वारा प्रकरण पर सहायक व्यक्ति के रूप में उनकी औपचारिक नियुक्ति का उल्लेख करें।
- जब किसी विशिष्ट प्रकरण में सहायक व्यक्ति पुलिस स्टेशन, अस्पताल, विशेष न्यायालय, या किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, जहाँ वे एक सहायक व्यक्ति के रूप में पेश हो रहे हैं, तो उन्हें सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने के आदेश की एक प्रति के साथ वैद्य पहचान प्रमाण ले जाने की आवश्यकता है।
- पॉक्सो अधिनियम, नियमों और दिशानिर्देशों, गर्भ का चिकित्सकीय समापन कानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट) की प्रासंगिक धाराओं और भारत में बच्चों से संबंधित अन्य कानूनों का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।
- पॉक्सो अधिनियम और नियमों से संबंधित नवीनतम घटनाओं/निर्णयों के बारे में अद्यतन रहने की आवश्यकता है।
- आपराधिक न्याय, बाल संरक्षण प्रणालियों और अन्य सेवा प्रदाताओं में हितधारकों के

साथ अभिसरण के माध्यम से नेटवर्क बनाने और उन्हें पोषित करने की क्षमता होनी चाहिए।

- जहाँ तक संभव हो, हितधारकों के साथ ईमेल या पत्र पर लिखित रूप में संवाद करें।
- सहायक व्यक्ति को हितधारकों के साथ प्रकरण के बारे में एक टेलीफोनिक/इलेक्ट्रॉनिक संचार रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
- बच्चे और परिवार को उनकी भूमिका और उनकी सेवाओं के बारे में सूचित करने के लिए स्पष्ट और समझने योग्य भाषा का प्रयोग करें।
- सूचित करें कि बच्चे को सहायक व्यक्ति की सेवाओं के लिए सहमति से इनकार करने या वापस लेने का अधिकार है और ऐसा करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
- किस तरह की स्थिति में क्या बोलना है इसका भान होते हुये परिवार की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए।
- बच्चे और उनके परिवार को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रश्न पूछने पर सरल शब्दों का उपयोग करके और उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में, उनका सहानुभूतिपूर्वक उत्तर दें।
- अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण प्रमाणन, प्राप्त परामर्श, या प्रासंगिक पेशेवर अनुभव की सीमाओं के भीतर ही सेवाएं प्रदान करें।
- बच्चे को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञों, पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं के पास भेज सकते हैं जिन्हें प्रदान करने के लिए वे स्वयं प्रशिक्षित/योग्य नहीं हैं।
- जाँच और परीक्षण के चरणों के दौरान, जहाँ भी आवश्यक हो, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, या सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए कदम उठा सकते हैं।
- हर प्रक्रिया के बाद यह ऑकलन करने के लिये कि क्या बच्चे सहज हैं, या उनकी कोई चिंता या प्रश्न हैं? बच्चे, उसके माता–पिता, अभिभावक या उस व्यक्ति के साथ इसे जाँचना चाहिए जिस पर बच्चा भरोसा करता है।
- प्रकरण की समय–सीमा और यथास्थिति तक आसान पहुँच के लिए सभी सूचनाओं (या तो सॉफ्ट या हार्ड कॉपी) के साथ प्रकरण के दस्तावेज़ीकरण को बनाए रखें – दिन–प्रतिदिन की घटनाओं और हितधारकों के साथ बातचीत का एक लॉग बनाए रखें।
- हितधारकों और बच्चे/परिवार के साथ जुड़ते समय, सहायक व्यक्तियों को अपने हित में पेशेवर और व्यक्तिगत सीमाओं को ध्यान में रखना और उनका सम्मान करना होता है साथ ही बच्चे की कुशलता की भी रक्षा करनी होती है।
- सहायक व्यक्ति अभिभावक या परिवार की ओर से किसी भी अनुचित आचरण को सी.डब्ल्यू.सी. के संज्ञान में लायें।

एक सहायक व्यक्ति होने के नाते मेरी भूमिका पूरी प्रक्रिया में बच्चे के साथ रहना, मनोवैज्ञानिक–सामाजिक सहायता प्रदान करना और बच्चे के साथ काम करते समय आघात–सूचित दृष्टिकोण अपनाना है, साथ ही जरूरत पड़ने पर बच्चे को पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जोड़ना भी है।

– सहायक व्यक्ति, दिल्ली

5.2 इन अभ्यासों से बचें

- जब तक प्रकरण के लिए आवश्यक न हो, बच्चे/परिवार से व्यक्तिगत जानकारी न लें।
- प्रकरण से संबंधित जानकारी को मीडिया या किसी भी अन्य संस्था से या किसी से भी साझा न करें क्योंकि यह बच्चे और परिवार की पहचान को उजागर करता है।
- बच्चे और परिवार से कोई भी ऐसा कार्य जैसे कि गंतव्य तक ले जाना या छोड़ना, भोजन खरीदना या अन्य जलपान आदि नहीं, कराना चाहिए।
- बच्चे, परिवार या किसी अन्य हितधारक से धन, उपहार, पारिश्रमिक आदि स्वीकार न करें या मांग न करें।
- बच्चे, परिवार और अन्य हितधारकों के साथ या उनके बारे में संवाद करते समय अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- एक सहायक व्यक्ति को बच्चे या उनके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी लैंगिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।
- जबरदस्ती राय देने और परिवार से वह कराने से बचें जो सहायक व्यक्ति स्वयं करना चाहता है।

सहायक व्यक्तियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे परिवार के साथ रहें और यह सुनिश्चित करें कि वे मुकर न जाएं। कभी–कभी आरोपी परिवार को पैसे देता है और प्रकरण वापस लेने को कहता है, इससे बच्चा और परिवार मुकर जाते हैं। कभी–कभी, पीड़ित के माता–पिता को लग सकता है कि उन्हें बार–बार न्यायालय जाना है। न्यायालय में क्या हो रहा है, प्रकरण की स्थिति और मुकदमे के नतीजे के बारे में उन्हें सूचित रखना सहायक व्यक्तियों के लिए आवश्यक है।

–जिला बाल संरक्षण अधिकारी, तुमकुर

6. सेवा समापन/समाप्ति

प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

नियम 4(11), पॉक्सो नियम, 2020	बच्चे, परिवार या अभिभावक के अनुरोध पर **सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा एक सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।** समाप्ति का अनुरोध करने वाले बच्चे को इस तरह के अनुरोध के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. को लिखित में सूचित किया जाना चाहिए।

बच्चा/परिवार या सहायता करने वाला व्यक्ति सेवा समाप्त करने का अनुरोध तब कर सकता है जबः

- बच्चा नियुक्त किये गए सहायक व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहता।
- कई संगठन एक साथ बच्चे/परिवार के साथ काम करते हैं, जिससे बहुत से लोग बच्चे के साथ जुड़ते हैं।
- पॉक्सो अधिनियम के तहत एक रोमांटिक/भगाने का मामला दर्ज किया जाता है, और लड़की मुकर सकती है; वह सेवाओं को समाप्त करने का अनुरोध कर सकती है।
- माता–पिता या करीबी दूर के रिश्तेदार बच्चे को मुकरने के लिए मजबूर करते हैं; वे सहायक व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- एक सहायक व्यक्ति का मानना है कि वे आवश्यक सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं और सी.डब्ल्यू.सी. को इसकी सूचना देते हैं जिससे बच्चे को समर्थन देने के लिए किसी अन्य व्यक्ति/संगठन को सौंपा जा सके।
- यदि बच्चे और सहायक व्यक्ति के बीच टकराव की स्थिति बन रही है तो सी.डब्ल्यू.सी. किसी अन्य सहायक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। (कुछ परिस्थितियाँ जहाँ सहायक व्यक्ति अभियुक्त को जानता है या उसके विपरीत धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास है और किसी विशेष बच्चे/प्रकरण/स्थिति के प्रति सहानुभूति की कमी है, वहाँ संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।)

सहायक व्यक्तियों का मानदेयः किसी भी अवधि के लिए अपनी सेवा देने हेतु सहायक व्यक्ति के लिए, राज्य और जिला स्तर पर एक मानदेय तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। पॉक्सो नियम 2020 के अनुसार, यह आवश्यक है कि सहायक व्यक्तियों को विशेषज्ञों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के समान मानदेय दिया जाये।

प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

नियम 5(7), पॉक्सो नियम, 2020	जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) निर्देशिका में सूचीबद्ध सहायक व्यक्तियों को मानदेय दिया जा सकता है। राज्य सरकार को सहायक व्यक्ति को धारा 105, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बनाई गई निधि से या डी.सी.पी.यू. के निपटान में रखी गई अन्य निधि से पारिश्रमिक देना है।
नियम 5(8), पॉक्सो नियम, 2020	मानदेय, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अंतर्गत एक कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित राशि से कम नहीं होगा।

अध्याय 3

प्रकरण दर्ज करना तथा पुलिस द्वारा जाँच



1 रिपोर्ट दर्ज करना

2 बच्चे की त्वरित देखभाल तथा संरक्षण

3 पुलिस द्वारा बयान रिकार्ड करना

4 चिकित्सकीय परीक्षण तथा आपातकालीन देखभाल हेतु सुविधा

5 जाँच

6 चार्जशीट फाइल करना

7 चुनौतियां और संभावित समाधान

8 अनुलग्नक

बाल लैंगिक शोषण की किसी घटना के बाद, परिवार भ्रमित और डरे हुए होते हैं, और वे इस प्रक्रिया में उनका समर्थन करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर होते हैं जो उन्हें प्रक्रियाओं की व्याख्या कर समझा सकें। यहीं पर मुझे लगता है कि सहायक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कई प्रकरण हैं जब सहायक व्यक्ति ने परिवार को रिपोर्ट करने और आगे बढ़ने का भरोसा दिया है।

– पुलिस निरीक्षक, बेंगलुरु सिटी पुलिस

पुलिस के कामों में जानकारी दर्ज करना, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना, पीड़ित और गवाहों के बयान लेना, आरोपी को गिरफ्तार करना, प्रकरण की जाँच करना और अदालत में आरोप पत्र जमा करना शामिल है। पॉक्सो अधिनियम में पुलिस को जाँच के दौरान कानून में शामिल बाल अनुकूल प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है। ये प्रावधान अन्य अधिकारों के साथ–साथ बच्चों के हिंसा से बचाव, उनकी सुनवाई और उनके सर्वोत्तम हितों को बढ़ावा देने के अधिकार पर आधारित हैं।

प्रक्रियाओं और कानूनों से परिचित एक सहायक व्यक्ति की उपस्थिति बच्चे और परिवार को औपचारिक शिकायत करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, साहस और मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सहायक व्यक्ति की भूमिका का विवरण नीचे दिया गया है।

1. रिपोर्ट दर्ज करना

जब एक सहायक व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था में शामिल होता है, तो वह रिपोर्ट दर्ज करने और प्राथमिकी दर्ज करने में बच्चे और परिवार की सहायता कर सकता है। उस क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है जहाँ कथित अपराध किया गया था। अन्य किसी थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है. इसे जीरो एफ.आई.आर. कहा जाता है।

किसी भी पुलिस स्टेशन में पीड़ित या पीड़ित की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे उनका निवास स्थान या अपराध का स्थान[11] कुछ भी हो, जाँच के लिए ज़ीरो एफ.आई.आर दर्ज की जा सकती है। 'ज़ीरो एफ.आई.आर' दर्ज करने के बाद, पुलिस को इसे संबंधित थाने में जाँच के लिए स्थानांतरित करना चाहिए, जहाँ अपराध किया गया था। उदाहरण के लिए, घटना बेंगलुरू में घटित हुई हो लेकिन हो सकता है कि बच्चे ने परिवार के कोलकाता स्थानांतरित होने के महीनों बाद इसका खुलासा किया हो। इसके बाद कोलकाता के पुलिस थाने में एफ.

[11] Law Times Journal (2020), What is a zero FIR? What is the procedure to file a zero FIR?

आई.आर. दर्ज कराई जा सकती है। कोलकाता में पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि इसे बेंगलुरु के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाए।

ऐसे प्रकरण का समन्वय करते हुए जहाँ किसी अन्य क्षेत्राधिकार (स्थान/जिला/राज्य) में ज़ीरो एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, सहायक व्यक्ति स्थानीय चाइल्डलाइन, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.), जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) या गैर सरकारी संगठनों तक पहुँच सकता है और जाँच व परीक्षण की आगे की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए उनकी सहायता मांग सकता है।

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

रिपोर्टिंग सी.एस.ए.।	लैंगिक शोषण का सामना करने वाले बच्चे के बारे में जानकारी या आशंका रखने वाले किसी भी व्यक्ति को एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस को धारा 19(1), पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सूचित करना चाहिए। यह मीडिया, होटल, लॉज, अस्पताल, क्लब, स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं में काम करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यदि उन्हें पॉक्सो अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत किसी बच्चे के लैंगिक शोषण की सामग्री या वस्तुएँ मिलती हैं, तो उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए।
रिपोर्ट करने में विफलता।	एस.जे.पी.यू. या पुलिस को लैंगिक अपराध की रिपोर्ट करने के लिए एक वयस्क की विफलता पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत एक अपराध है और 6 महीने तक की कैद या जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय है। यह प्रावधान एक बच्चे पर लागू नहीं होता है। यदि किसी संस्था या कंपनी का प्रभारी व्यक्ति अपने अधीनस्थ द्वारा किसी बच्चे के विरूद्ध लैंगिक उत्पीड़न की रिपोर्ट पुलिस को करने में विफल रहता है, तो उन्हें 1 वर्ष तक की जेल और पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।
रिकॉर्ड करने में विफलता।	पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत पुलिस की ओर से मामला दर्ज करने में विफलता दंडनीय है, जिसमें 6 महीने तक का कारावास शामिल है। धारा 166 ए(सी) भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने का भी प्रावधान है।
सूचना और प्राथमिकी दर्ज करें।	शिकायत या सूचना मिलने पर, एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस को धारा 19(2), पॉक्सो अधिनियम के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और धारा 154, दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) 1973 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करनी चाहिए। यदि कोई बच्चा सूचना देता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए इसे एक सरल भाषा में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि

	बच्चा रिकॉर्ड की गई सामग्री (धारा 19 (3), पॉक्सो अधिनियम) को समझता है। मौखिक रूप से दी जाने पर जानकारी को भी लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिये।
झूठी रिपोर्ट	पॉक्सो अधिनियम की धारा 22 के तहत शिकायत करना या अपमानित करना, जबरन वसूली, धमकी देने या बदनाम करने के इरादे से जानकारी देना दंडनीय है। हालांकि, किसी बच्चे का झूठी शिकायत करना या गलत जानकारी देना दंडनीय नहीं है।
मामला दर्ज करने के लिए पुलिस की बाध्यता	**(1)** पुलिस को शिकायतकर्ता को रिपोर्ट पढ़कर सुनानी चाहिए और धारा 19(2)(बी), पॉक्सो अधिनियम और धारा 154(1) सी.आर.पी.सी. 1973 के अनुसार रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने चाहिए। **(2)** नियम 4(3)(ए), पॉक्सो नियम, 2020 और धारा 154(2), सी.आर.पी.सी. 1973 के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति को एफ.आई.आर. की एक मुफ्त प्रति सौंपनी होगी। **(3)** एस.जे.पी.यू./स्थानीय पुलिस को पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(1) के अनुसार रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी के नाम, टेलीफोन नंबर, पदनाम और संपर्क विवरण साझा करना चाहिए। **(4)** एस.जे.पी.यू./स्थानीय पुलिस को पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(14), के अंतर्गत फॉर्म ए के अनुसार बच्चे और परिवार को उपलब्ध सेवाओं और पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। (फॉर्म ए के लिए अनुलग्नक 1 देखें)।

सहायक व्यक्ति की भूमिका

जब पुलिस द्वारा सहायक व्यक्ति को बाल लैंगिक शोषण के प्रकरण के बारे में सूचित किया जाता है, तो सहायक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया की व्याख्या करके बच्चे और परिवार की सहायता कर सकता है तथा शिकायत का मसौदा तैयार करने में भी मदद कर सकता है।

एक रिपोर्ट दर्ज करते समय सहायक व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में पता होना चाहिएः

- प्राथमिकी में या बच्चे के साक्षात्कार के दौरान दी गई जानकारी में कानूनी या तकनीकी शर्तों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।
- रिपोर्ट उस भाषा में हो सकती है जिससे बच्चा और परिवार परिचित हैं। पुलिस द्वारा

बच्चे की बोली जाने वाली भाषा में ही रिपोर्ट को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

- सी.एस.ए. के बारे में जानकारी मौखिक या लिखित रूप में देनी होगी। यदि यह एक मौखिक शिकायत है, तो एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस इसे लिखित रूप में दर्ज कर सकती है।
- पुलिस एक बच्चे के खिलाफ किए गए लैंगिक अपराध के बारे में प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है और प्राथमिकी दर्ज करने से पहले बच्चे के बयान करने पर जोर नहीं दे सकती है।
- पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और अन्य अधिनियम जैसे भारतीय दंड संहिता, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि को शामिल करने की आवश्यकता है। इन कानूनों के बारे में जाँच अधिकारी (आई.ओ.) को सुझाया जा सकता है।

- सहायक व्यक्ति जाँच कर सकते हैं कि क्या पुलिस को रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई है (एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए):
    - दिनांक (तारीखें) जिस पर अपराध किया गया था।
    - सूचना देने वाले का नाम/पता/फोन नंबर।
    - आरोपी का बच्चे से संबंध। बच्चे की आयु।
    - बच्चा वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है या घर पर ही रहता है, आदि।
    - हमले की प्रकृति/प्रकार विस्तार से।
    - घटना की समय सीमा/अवधिः यदि यह किसी अवधि/महीने/वर्षों में घटित हुई है, तो घटना/घटनाओं की अनुमानित संख्या।
    - शोषण/हमले का स्थान।
    - आरोपी के बारे में जानकारी, चाहे वह ज्ञात/अज्ञात हो और पीड़ित के साथ उसका संबंध।
    - ऐसी स्थितियां जहाँ बच्चा कथित अपराधी की संगति में था।
    - किसी भी हथियार का इस्तेमाल, धमकी, ब्लैकमेल, डराना–धमकाना।
    - पिछली घटना का विवरण जो घटित हुई थी।
    - पुलिस को प्रकरण की रिपोर्ट करने में देरी का कारण, यदि कोई हो, जिसमें बच्चे द्वारा देरी से खुलासा करना शामिल है।

2. बच्चे को त्वरित देखभाल तथा संरक्षण

जबकि प्रकरण की रिपोर्टिंग के दौरान देखभाल और सुरक्षा तक पहुँचने में एक सहायक व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, एक प्रकरण की सहायता में पुलिस और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना शामिल है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे को आवश्यक देखभाल और सुरक्षा प्रदान की गई है।

(अधिक जानकारी के लिए अध्याय 6 देखें – सी.डब्ल्यू.सी. के साथ समन्वय।)

यदि आवश्यक हो तो सहायक व्यक्ति, बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की जरूरतों और इस संबंध में पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सी.डब्ल्यू.सी./विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं।

2.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

सी.डब्ल्यू.सी. और विशेष न्यायालय को सूचना।	एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस को पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार रिपोर्ट दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर सी.डब्ल्यू.सी. और विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. को सूचित करना चाहिए।
स्थापन और चिकित्सकीय आवश्यकताएं।	पॉक्सो अधिनियम की धारा 19(5) के अनुसार, जब पुलिस यह ऑकलन करती है कि बच्चे को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो उन्हें बच्चे को 'आश्रय गृह' या नजदीकी अस्पताल में रखकर ऐसी देखभाल प्रदान करने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत करना।	जब पुलिस यह ऑकलन करती है कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, तो उन्हें बच्चे को पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(4) और जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 31(1)(आई) के अनुसार 24 घंटे के भीतर सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
सी.डब्ल्यू.सी. को प्रारंभिक रिपोर्ट।	पुलिस को नियम 4(14) पॉक्सो नियम, 2020 के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी. को 24 घंटे के भीतर फॉर्म बी (अनुलग्नक 2) में प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

3. पुलिस द्वारा बयान रिकार्ड करना

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस बच्चे का बयान सी.आर.पी.सी. की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज करेगी। बयान की रिकॉर्डिंग कई बाल अनुकूल प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित होती है।

3.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

रिकॉर्डिंग स्थल।	पॉक्सो अधिनियम की धारा 24(1) के अनुसार, एक बच्चे को पुलिस थाना जाने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे का बयान उसके निवास पर या उस स्थान पर जहाँ बच्चा रहता है या उस स्थान पर जहाँ बच्चे को सुविधाजनक लगता है, पर दर्ज किया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के लड़के या 18 साल से कम उम्र की लड़की को सी.आर.पी.सी., की धारा 160 (1) प्रावधान के अनुसार जाँच के लिए पुलिस थाना नहीं बुलाया जाना चाहिए। पॉक्सो एक्ट की धारा 24(4) के अंतर्गत किसी भी बच्चे को रात में थाने में किसी भी कारण से हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
रिकॉर्डिंग अधिकारी।	एक महिला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक के पद से नीचे की न हो, को पॉक्सो अधिनियम की धारा 24(1) के अनुसार, जहाँ तक व्यावहारिक हो, बच्चे का बयान दर्ज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 (2) के अंतर्गत बच्चे का बयान दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी सादी वर्दी में होना चाहिए।
आरोपी के साथ कोई एक्सपोजर नहीं।	जाँच अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 24(3) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के दौरान बच्चा किसी भी तरह से आरोपी के संपर्क में नहीं आता है।
माता–पिता/अभिभावकों की उपस्थिति।	पॉक्सो अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को बच्चे द्वारा दिए गए बयान को बच्चे के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बच्चे को भरोसा या विश्वास है, दर्ज करना चाहिए।
विशेषज्ञ सेवाएं।	पॉक्सो अधिनियम की धारा 26(3) में बच्चे का बयान दर्ज करते समय अनुवादकों और दुभाषियों की सेवाएं लेने का प्रावधान है। पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 5(1),(2),(3),(4),(5) में अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायक व्यक्तियों की सेवायें लिये जाने का प्रावधान है।

पुलिस द्वारा बच्चे का बयान दर्ज करना



1. सादी वर्दी में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान लिये जाने को प्राथमिकता।	2. उस स्थान पर जहाँ बच्चा सहजहो।	3. बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और तरीके में।



4. किसी विश्वसनीय वयस्क की उपस्थिति में।	5. मौजूद होने पर ऑडियो–वीडियो (यदि उपलब्ध हो तो) माध्यम से रिकार्ड करना।	6. पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे द्वारा रिकार्ड कराया गया बयान पढ़ कर सुनाया जायेगा।

बाल अनुकूल उपाय

आवश्यकतानुसार बच्चे को बार–बार ब्रेक दें।

बच्चे को आरोपी के संपर्क में आने से बचायें।

बच्चे को दुभाषिये, अनुवादक, विशेष शिक्षक व सहायक व्यक्ति की सेवायें उपलब्ध करायें।

3.2 बच्चे और परिवार के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

सहायक व्यक्ति, बच्चे और परिवार को बयान के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करके, बाल अनुकूल प्रक्रियाओं जिनका पुलिस द्वारा पालन किया जाना चाहिए के बारे में जानकारी देकर और उनके प्रश्नों और चिंताओं का जवाब देकर, उनके डर को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विशेष रूप से, सहायक व्यक्ति निम्न कर सकते हैंः

- बच्चे के बयान दर्ज करने का कारण बताएंः ''पुलिस ने आपके और/या आपके माता–पिता/अभिभावक द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज की है। उन्हें आपका बयान दर्ज करना होगा, जिससे उन्हें प्रकरण की बेहतर जाँच करने में मदद मिलेगी। वे आपसे घटना/घटनाओं, आरोपी, अपराध के समय और स्थान के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, यदि किसी ने आरोपी को आपके साथ देखा है और ऐसे ही अन्य विवरण।''
- एक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान की आवश्यकता को भी स्पष्ट करें। **(मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के लिए अध्याय 6 देखें।)**
- बता दें कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा स्वेच्छा से और अपने शब्दों में बयान दे रहा है, ऑडियो–विजुअल बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऑडियो–विजुअल बयान रिकॉर्ड करने से पहले बच्चे/परिवार की सहमति ली जाती है।
- पुलिस द्वारा पूछे जाने पर बच्चे को घटना का वर्णन अपने शब्दों में करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे को बताएंः ''आप अपनी याददाश्त से पुलिस के साथ शोषण/हमले के बारे में खुलकर और स्वतंत्र रूप से बात कर सकते हैं। शर्म और शर्मिंदगी महसूस न करें। पुलिस के सामने ऐसे कई प्रकरण आए हैं, वे आपकी मदद के लिए हैं।''
- बच्चे और परिवार को बताएं कि इस प्रक्रिया में कुछ घंटे लग सकते हैं क्योंकि पुलिस अधिकारियों के पास कई जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं।
- सूचित करें कि यदि बच्चे को अधिक विवरण याद है या यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं तो अतिरिक्त विवरण दर्ज किए जा सकते हैं।
- बच्चे का बयान दर्ज होने के समय आरोपी पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होगा, यह बताकर बच्चे को सहज करें।
- बच्चे को बताएं कि एक महिला पुलिस अधिकारी जहाँ तक संभव हो बच्चे का बयान दर्ज करेंगी।

- माता–पिता को बताएं कि जहाँ भी पुलिस बयान दर्ज कर रही है, उन्हें चुप रहना चाहिए और बच्चे को प्रेरित नहीं करना या सिखाना नहीं चाहिए। यदि बच्चा अदालत में ऐसा खुलासा करता है तो ऐसा करना प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। प्रक्रिया की व्याख्या करके और बच्चे से घटना के संबंध में सभी संभावित विवरण प्रदान करने का अनुरोध करके बच्चे को बयान से पहले तैयार किया जा सकता है।
- बच्चे को बतायें कि यदि बच्चा किसी प्रश्न को नहीं समझता है, तो वह पुलिस को इस बारे में बतायें और पुलिस से प्रश्न को दोहराने या फिर से लिखने का अनुरोध करना चाहिए।
- यह बताएं कि यदि बच्चा राज्य की राजभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलता है, तो अनुवादक की सेवाएं ली जा सकती हैं।
- दिव्यांग बच्चे के माता–पिता/अभिभावक को बताएं कि आवश्यकता पड़ने पर दुभाषिए, विशेष शिक्षक और सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकती हैं।
- यह बताएं कि बच्चे और परिवार की पहचान मीडिया या प्रकरण से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं की जाएगी।

पुलिस के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

पुलिस के साथ बातचीत करते हुए, सहायक व्यक्ति पुलिस को पीड़ित की ज़रूरतों, उनकी शब्दावली और किसी भी अन्य जानकारी से अवगत करा सकता है जिससे पुलिस बच्चे के बयान को बाल अनुकूल तरीके से दर्ज कर सके।

विशेष रूप से, सहायक व्यक्ति कर सकते हैं:

- आग्रह करें कि बच्चे का बयान बच्चे के निवास या उनकी पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाए, जो कि बच्चा/परिवार के लिए सुविधाजनक हो। यदि आरोपी परिवार या निकट पड़ोस से है, तो यह स्थान एक सामुदायिक केंद्र (एक कमरे में, यदि उपलब्ध हो), स्थानीय पार्क (जब तक आसपास बहुत से लोग नहीं हैं), स्कूल में कक्षाओं के बाद या किसी रिश्तेदार का बच्चे/परिवार/अभिभावक द्वारा सुझाया गया घर हो सकता है।
- पुलिस अधिकारी से निवेदन है कि बयान के दौरान बच्चे से बात करते समय वे सादी वर्दी में हों।
- यदि पुलिस थाने में बच्चे का बयान दर्ज करना है तो पुलिस अधिकारियों को एक अलग या बाल अनुकूल स्थान की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- यदि बच्चे को इसकी आवश्यकता है तो जाँच अधिकारी को पहले से दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक और/या अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता के बारे में सूचित

करें।

- सुझाव दें कि बोलने और सुनने में असमर्थ बच्चे के लिए संचार के तरीके से परिचित परिवार के किसी सदस्य या व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है, विशेषकर यदि बच्चा किसी स्कूल या साईन लैंग्वेज या संचार के किसी अन्य रूप का उपयोग नहीं जानता है।
- पुलिस से अनुरोध करें कि यदि बच्चा एक महिला पुलिस अधिकारी से बात करने में झिझक महसूस करता है तो एक पुरुष पुलिस अधिकारी ही बच्चे का बयान दर्ज करें, ताकि बच्चा सहज रहे।
- प्रक्रियाओं पर बच्चे के समझाने की क्षमताओं और मानसिक स्थिति के बारे में पुलिस अधिकारी को सूचित करें और सुनिश्चित करें कि बच्चे को बार–बार ब्रेक, भोजन, पानी और जलपान मिले।
- पुलिस से अनुरोध करें कि कई लोगों को बच्चे का साक्षात्कार नहीं करना चाहिए और साक्षात्कार बच्चे की क्षमता अनुरूप ही आयोजित किया जाना चाहिए जो कि बच्चे के पुनः आघात को रोकने के लिए आवश्यक है।
- पुलिस से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करें कि जाँच के किसी भी चरण में बच्चा आरोपी के आमने सामने न आए।
- अनुरोध करें कि जिस तरह से बच्चा घटना को सुनाता है, उस शब्दावली का उपयोग करके बयान दर्ज किया जाना चाहिए जिससे बच्चा परिचित होता है। पुलिस जरूरत पड़ने पर बच्चे से स्पष्टीकरण मांग सकती है।
- यदि ऑडियो–विजुअल सुविधा मौजूद है, तो बच्चे के बयान को ऑडियो–विजुअल रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- पुलिस को याद दिलाएं कि माता–पिता या भरोसेमंद वयस्क की उपस्थिति में बच्चे का बयान दर्ज किया जाना चाहिए।
- पुलिस को बच्चे और परिवार के प्रति विचारधारा बनाने से रोकने के लिए कहें, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचें या किसी भी व्यवहार के लिए बच्चे को प्रताड़ित न करने के लिये कहें।
- अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और बच्चे/परिवार के बीच संपर्क, यदि आवश्यक हो, पुलिस को सहायक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि परिवार को बार–बार पुलिस थाना न आना पड़े।

4. स्वास्थ्य परीक्षण तथा आपातकालीन देखभाल को सुगम करना

बच्चे को चिकित्सकीय जाँच के लिए ले जाना और आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल की सुविधा देना पुलिस की जिम्मेदारी है। बच्चे को प्राथमिक उपचार और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करनी पड़ सकती है।

चिकित्सा परीक्षण भी साक्ष्य संग्रह के लिए प्रासंगिक है।

4.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

चिकित्सा परीक्षण।	सरकारी अस्पताल या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में पंजीकृत चिकित्सक द्वारा बच्चे की चिकित्सा जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसे चिकित्सक किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो इसे धारा 164ए, सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सक द्वारा संचालित किया जा सकता है।
आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल।	धारा 19(5) पॉक्सो अधिनियम और पॉक्सो नियमों के नियम 6(1) में पुलिस को यह ऑकलन करने की आवश्यकता है कि जिस बच्चे के विरूद्ध अपराध किया गया है, क्या उसे तत्काल चिकित्सकीय देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है? ऐसे में बच्चे को 24 घंटे के भीतर आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल के लिये निकटतम अस्पताल या चिकित्सकीय देखभाल सुविधा में ले जाने की व्यवस्था करें। पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 6(1) के प्रावधान के अनुसार, प्रवेशन लैंगिक उत्पीड़न, बढ़े हुए प्रवेशन लैंगिक हमले, लैंगिक हमले या गुरूत्तर लैंगिक हमले के मामलों में, पुलिस को पीड़िता को आपातकालीन चिकित्सकीय देखभाल के लिए संदर्भित करना होता है।

सहायक व्यक्ति की भूमिका

सहायक व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सुविधा अनुसार पुलिस और चिकित्सा सुविधा/चिकित्सक के मध्य अभिसरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विशेष रूप से, सहायक व्यक्ति निम्न कर सकते हैं:

- पुलिस से संपर्क करें, बच्चे और परिवार को अस्पताल जाने के बारे में सूचित करें, प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं और इसकी आवश्यकताएं बताएं।
- इस बात पर जोर दें कि प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही बच्चे को चिकित्सा उपचार/मनोवैज्ञानिक देखभाल के लिए ले जाया जा सकता है यदि बच्चे को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है।
- सुझाव दें कि चिकित्सकीय परीक्षण सुबह के घंटों में निर्धारित किया जा सकता है

यदि घटना होने के 72 घंटे बाद रिपोर्ट की गई थी या गैर–स्पर्श आधारित लैंगिक अपराध है।

- जाँच अधिकारी को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94[12], के बारे में समझाएं, जो उन दस्तावेजों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में आयु ऑकलन परीक्षण किए जाने की आवश्यकता होती है, उसके लिए सी.डब्ल्यू.सी./जे.जे.बी. से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- अनुरोध है कि एक महिला पुलिस अधिकारी बच्चे के साथ चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अस्पताल जायें। सहायक व्यक्ति भी बच्चे और परिवार के साथ जाने की पेशकश कर सकता है।
- पुलिस से अनुरोध करें कि पुख्ता सुरक्षा इन्तजामों के साथ फोरेंसिक चिकित्सा साक्ष्य एकत्र करें और इसे आवश्यक फोरेंसिक परीक्षणों की आवश्यकता के साथ एक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) को सौंप दें।
- पुलिस से अनुरोध करें कि वह चिकित्सकीय जाँच के 24 घंटे के भीतर अस्थाई (तात्कालिक) चिकित्सा अभिमत एकत्र करे।
- पुलिस से अनुरोध करें कि गर्भधारण के उत्पाद (पी.ओ.सी.), गर्भ का चिकित्सकीय समापन होने के बाद एकत्र किये जायें और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुये जैसे कंटेनरों पर उचित सीलिंग और हस्ताक्षर का पालन करते हुए एफ.एस.एल. को सौंप दिया जाये।
- पुलिस से जाँच करें कि क्या डॉक्टर ने एफ.एस.एल. रिपोर्ट आने के बाद और अदालत में विधिवत प्रस्तुत करने के बाद अंतिम चिकित्सा रिपोर्ट जमा कर दी है। **(चिकित्सा प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 4 – चिकित्सा हस्तक्षेप देखें)।**



जाँच के दौरान बच्चे और परिवार के साथ साझा करने के लिए टिप्स

1. **बच्चे का आधार कार्ड या पहचान का कोई अन्य प्रमाण ले जाएं।**
2. **जाँच के दौरान किसी भी समय बच्चे को उकसाने या सिखाने से बचें।**
3. **कार्यवाही में देरी की स्थिति में नाश्ता–पानी साथ रखें।**
4. **बच्चे की रक्षा करें।**
5. **घटना के समय पहने गए कपड़े, डी.एन.ए. सबूत और अन्य परीक्षणों के लिए पुलिस को दे दें।**

[12] Age determination as per Section 94, JJ Act 2015

6. **पुलिस थाने या अस्पताल में देरी की स्थिति में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए कुछ गतिविधियाँ करें। सहायक व्यक्ति भी ऐसी वस्तुओं को संभाल कर रख सकते हैं।**



5. जाँच

एफ.आई.आर. दर्ज करने और मेडिकल जाँच के बाद, पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने, अपराध स्थल का दौरा करने, गवाहों के बयान दर्ज करने और जाँच करने के लिए कदम उठाएगी।

5.1 प्रासंगिक कानूनी ढाँचा

व्यवहार तथा प्रोटोकॉल	जाँच पॉक्सो अधिनियम, सी.आर.पी.सी. और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत की जानी चाहिए।

5.2 बच्चे और परिवार के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

सहायक व्यक्ति, अपराध/स्थल का दौरा करते समय बच्चे और परिवार की सहायता कर सकते हैं। हमले/शोषण के स्थान को फिर से देखना, बच्चे और परिवार के लिए आघातपूर्ण हो सकता है।

विशेष रूप से, सहायक व्यक्ति निम्न कर सकते हैं:

- बच्चे और माता–पिता/अभिभावक को सूचित करें कि पुलिस उन्हें घटना स्थल पर ले जाएगी।
- बच्चे और माता–पिता/अभिभावक को बताएं कि यह प्रक्रिया पुलिस को आरोपी के विरूद्ध ठोस प्रकरण बनाने में मदद करेगी।
- बच्चे को आश्वस्त करें कि माता–पिता, सहायक व्यक्ति या कोई विश्वसनीय वयस्क उनके साथ मौजूद रहेगा और जब भी संभव हो बच्चे के साथ होगा।
- पूछताछ करें कि बच्चा कैसा महसूस कर रहा है और उन्हें आश्वस्त करें कि वे अब सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस उनके साथ है।
- प्रक्रियाओं की व्याख्या करें और उनकी अपेक्षायें जानें, इससे बच्चे को शांत और आश्वस्त करने में मदद मिल सकती है।
- बच्चे और माता–पिता को पहले ही सूचित कर दें कि बच्चे को उन सटीक स्थानों

को इंगित करने की आवश्यकता होगी जहाँ घटना घटित हुई थी, और ऐसा करते समय उन्हें घटना के बारे में बताना पड़ सकता है।

- बच्चे और परिवार को सूचित करें कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या अपराध से जुड़ी कोई अन्य सामग्री के साथ किसी प्रकार का कोई गैजेट, फोन या कंप्यूटर सौंपने के लिए कहा जा सकता है।

5.3 पुलिस के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

- बच्चे और परिवार को अपराध स्थल पर कब ले जाया जाएगा, इसकी तारीख और समय पहले से जानने के लिए जाँच अधिकारी से बात करें।
- पुलिस को सूचित करें कि सहायक व्यक्ति और भरोसेमंद वयस्क बच्चे के साथ जाएंगे।
- यदि आवश्यक हो तो पहले से दुभाषिए/अनुवादक की व्यवस्था करने के लिए पुलिस को सूचित करें। डी.सी.पी.यू. को दुभाषियों और अनुवादकों की एक निर्देशिका/सूची बनाए रखने की आवश्यकता है जिनसे संपर्क किया जा सकता है।
- पुलिस से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करें कि अपराध स्थल के दौरे के दौरान बच्चे/परिवार/प्रकरण की गोपनीयता हर समय बनी रहे। यदि अधिकारी असभ्य, दखल देने वाला, नीचा दिखाने वाला या भ्रमित करने वाला है तो उन्हें बच्चे से प्रश्न पूछने के संवेदनशील तरीके सुझाएँ।
- पुलिस से अनुरोध करें कि बच्चे की भूमिका पूरी होते ही उसे अपराध स्थल छोड़ने की अनुमति दें नहीं तो बच्चा इस प्रक्रिया से तनावग्रस्त और व्याकुल महसूस करता है।
- जब कथित आरोपी नाबालिग हो, तो पुलिस अधिकारी से अनुरोध करें कि वह कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) के समक्ष प्रस्तुत करे और उसके अनुसार बच्चे/परिवार को सूचित करे।

परीक्षण पहचान परेड (टी.आई.पी.)[13]:यदि आरोपी एक अजनबी है और अपराध किए जाने से पहले बच्चे को नहीं जानता है, तो पुलिस आरोपी की पहचान स्थापित करने के लिए एक परीक्षण पहचान परेड (टी.आई.पी.) आयोजित कर सकती है ताकि वास्तविक अपराधी पर मुकदमा चलाया जा सके[14]। यदि आरोपी बच्चे को जानता है या बच्चा आरोपी की पहचान कर सकता है तो टी.आई.पी. की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को यह सूचित करना महत्वपूर्ण है कि टी.आई.पी. के दौरान उनके माता–पिता या अभिभावक मौजूद रहेंगे पर वह टी.आई.

[13] The Centre for Police Studies and Public Security, TISS and BPRD, Government of India (2018), A Hand book on the Legal Processes for the Police in respect of Crimes Against Children, Page No. 97 & 98
[14] Rakesh Kumar v. State (Para 3)

पी. के दौरान बच्चे को संकेत नहीं दे सकते। यदि बच्चे को आरोपी को छूने, आरोपी को दिखाने या आरोपी का सामना करने के लिए कहा जाता है, तो सहायक व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है और प्रक्रिया को रोकने की सिफारिश कर सकता है।

6. चार्जशीट फाइल करना

जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस द्वारा एक चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाती है और विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. को प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय करना संभव होता है। पुलिस जाँच अधिकारी द्वारा सूचना दर्ज करने की तारीख से दो महीने के भीतर आई.पी.सी. की धारा 376, 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीए, 376डीबी और 376ई के तहत आरोपों की जाँच पूरी करनी होती है[15]। हालांकि, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

चार्जशीट में जाँच के निष्कर्ष, उपयुक्त धाराएं, चिकित्सा और फोरेंसिक रिपोर्ट, बच्चे और अन्य गवाहों के बयान, अपराध स्थल की रिपोर्ट और प्रकरण के बारे में अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।

6.1 सहायक व्यक्ति की भूमिका

जाँच पूरी होने के बाद और जब चार्जशीट दायर की जाती है, तब **सहायक व्यक्ति कर सकता है**:

- चार्जशीट जमा करने पर जाँच अधिकारी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें, और एक बार जमा करने के बाद, जाँच अधिकारी से अदालत में तारीख और केस नंबर (विशेष कैलेंडर केस नंबर/आपराधिक संख्या) का विवरण प्रदान करने का अनुरोध करें।

- एक बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद, परिवार को अदालत से चार्जशीट निःशुल्क लेने के लिए बताया जा सकता है[16]। जाँच अधिकारी से पुलिस स्टेशन से चार्जशीट की एक प्रति प्रदान करने का भी अनुरोध किया जा सकता है।
- जमानत के बारे में, आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए जाँच अधिकारी के संपर्क में रहें और परिवार को इसकी जानकारी दें।

---

[15] Section 173 (1A), Cr.P.C. and Criminal Law Amendment Act (2018)

[16] Minor child represented by her father v. State, W.P.(Crl) 3822/2018 decided on 28.01.19 by the Delhi High Court



पुलिस के साथ बातचीत के लिए टिप्स

1. पॉक्सो अधिनियम, 2012 और नियम, 2020 की एक प्रति अपने साथ रखें।
2. स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अपना परिचय दें और पॉक्सो अधिनियम और नियमों के अंतर्गत प्रकरण में अपनी भूमिका स्पष्ट करें।
3. जाँच करें कि क्या पुलिस को सी.डब्ल्यू.सी. के आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है जिसमें सहायक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। यदि नहीं, तो इसे साझा करना न भूलें।
4. प्रकरण की जाँच के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त करने और बच्चे/परिवार को अद्यतन जानकारियां प्रदान करने के लिए एस.जे.पी.यू./पुलिस अधिकारी/जाँच अधिकारी के संपर्क में रहें।
5. जाँच में सहायक और समर्थक बनें। आपके और पुलिस दोनों के मन में बच्चे का सर्वोत्तम हित होना चाहिये।



सहायक व्यक्तियों की प्रकरण फाइलों से

हमने देखा है कि पुलिस बड़ी उम्र की लड़कियों के बारे अपनी राय बना लेती है जो रोमांटिक रिश्तों में शामिल रही हैं या जब वे अपने घरों से भाग जाती हैं। एक प्रकरण में, हम एक 15 साल की लड़की के साथ काम कर रहे थे, जो अक्सर अपने घर से भाग जाती थी। तीसरी बार जब वह भागी तो उसे लैंगिक शोषण का सामना करना पड़ा। जब माता–पिता ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, तो पुलिस अधिकारी ने माता–पिता से कहा, 'हम यहाँ केवल आपकी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए नहीं हैं। हमारे पास और भी काम हैं।' हमने उस अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत सारी बातचीत की ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि परिवार वाले कहीं और नहीं जा सकते हैं और वे पुलिस के पास सहायता की उम्मीद से आते हैं। उनसे बदतमीजी से बात करने या उन्हें दोष देने से बच्चे को मदद नहीं मिलेगी।

– सहायक व्यक्ति, मुंबई

हाल ही में एक मामला आया था जहाँ पुलिस जाँच में एक लंबित प्रक्रिया थी, और उन्हें साइट का नक्शा बनाना पड़ा क्योंकि जाँच अधिकारी ने पहले चार्जशीट दाखिल करते समय ऐसा नहीं किया था। इसलिए, जाँच अधिकारी चाहता था कि बच्चा वहाँ मौजूद रहे। हमारे सहयोगी पूरी प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थे कि पुलिस बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन करे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बच्चे को फिर से आघात न लगे, बच्चा सुरक्षित महसूस करे और उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा

जाए।

–सहायक व्यक्ति, दिल्ली

एक प्रकरण में आरोपी, परिवार का सदस्य था और वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। परिवार के दबाव के कारण, पीड़ित परिवार के सदस्य अपने घर पर बयान दर्ज कराने में झिझक रहे थे। उनकी स्थिति को समझते हुए जाँच अधिकारी ने थाने के एक पृथक कमरे में एक महिला उप निरीक्षक द्वारा बयान दर्ज कराने की व्यवस्था की गई। पुलिस अधिकारी की सक्रियता के कारण दो दिनों के भीतर चिकित्सकीय जाँच सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गईं।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

7. चुनौतियां और संभावित समाधान

शामू ,एक सहायक व्यक्ति, को एक ऐसे प्रकरण के बारे में कॉल आती है जिसमें उसके 25 वर्षीय पड़ोसी ने 10 वर्षीय लड़के का लैंगिक उत्पीड़न किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस शिकायत दर्ज करने से इंकार कर रही है। ऐसे में शामू क्या कर सकता है?

शामू पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(1), और आई.पी.सी. की धारा 166ए(सी), की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित कर सकता है और अधिकारी को प्रभावित कर सकता है कि पुलिस कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य है। यदि अधिकारी अभी भी शिकायत दर्ज करने से इनकार करता है, तो शामू सी.आर.पी.सी.की धारा 154(3), के अंतर्गत लिखित रूप में और डाक द्वारा प्रकरण को किसी वरिष्ठ अधिकारी या पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ला सकता है। यदि प्रकरण का विवरण संज्ञेय अपराध के होने का संकेत देता है, तो अधीक्षक या तो प्रकरण की जाँच कर सकता है या किसी अधीनस्थ अधिकारी से सीधे जाँच करा सकता है। मान लीजिए कि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो शामू बच्चे/परिवार को न्यायिक या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित कर सकता है। यदि परिवार एक निजी वकील को नियुक्त नहीं कर सकता है, तो शामू उन्हें कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जोड़ सकता है।

एक सहायक व्यक्ति, लक्ष्मी ने देखा कि एक पुलिस स्टेशन के अधिकारी नियमित रूप से बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहते हैं। वे बार–बार बच्चों को थाने बुलाते हैं और बयान दर्ज कराते समय माता–पिता को उपस्थित नहीं होने देते। हालांकि लक्ष्मी ने कई बार उनका ध्यान इस ओर खींचा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी क्या कर सकती हैं?

लक्ष्मी अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रकरण पर चर्चा कर सकती हैं और खामियों को अधिकारियों के संज्ञान में लाने हेतु वरिष्ठ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या पुलिस उपायुक्त (डी.सी.पी.) या क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक (डी.एस.पी.) से मिल सकती हैं। लक्ष्मी उन स्थितियों को सूचीबद्ध करते हुए जब पुलिस अधिकारी पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 24 में वर्णित बाल– सहायक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे थे, प्रकरण के बारे में अधिकारी को लिखित रूप में भी आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण, प्राथमिकी संख्या के साथ हो सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस प्रकरण को उस अधिकार क्षेत्र के सभी पुलिस थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठा सकते हैं।

लक्ष्मी को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसे और उसकी टीम के सदस्यों को अन्य प्रकरणों के लिए उन्हीं स्थानीय पुलिस थानों में जाना पड़ सकता है, इसलिये पुलिस के साथ टकराव से बचना चाहिए। कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं और समय सीमा का पालन करने में पुलिस अधिकारियों की ओर से नियमित चूक और बाल सहायक प्रक्रियाओं का पालन न करने जैसी स्थितियों को सहायक व्यक्तियों द्वारा पुलिस डिवीजनों के यूनिट प्रमुखों और जिला/राज्य पुलिस प्रमुखों के संज्ञान में लाया जा सकता है।

7 साल की शिखा के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। शिखा बौद्धिक रूप से अक्षम है, और उसके माता–पिता पुलिस पूछताछ से चिंतित हैं। जब बच्चा बहुत छोटा है या वह दिव्यांग है तो सहायक व्यक्ति क्या भूमिका निभा सकता है?

इस स्थिति में, सहायक व्यक्ति यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकता है कि जाँच और परीक्षण के सभी चरणों में किसी विशेषज्ञ/विशेष शिक्षक की सेवाएं ली जा रही हैं या नहीं। योग्य विशेषज्ञों की सूची के लिए डी.सी.पी.यू. तक पहुँचने के लिए पुलिस को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चे के साथ जो हुआ उसका वर्णन करने के लिए छोटे बच्चों के पास अक्सर पुलिस को बताने के लिए शब्दावली नहीं होती है। यह सुझाव दिया जा सकता है कि पुलिस बच्चे को दुर्व्यवहार/हमले की प्रकृति को संप्रेषित करने में सक्षम बनाने के लिए बॉडी डायग्राम का उपयोग कर सकती है।

रूमी और उसके परिवार को पुलिस में लैंगिक शोषण की शिकायत करने के बाद आरोपी द्वारा धमकी दी जा रही थी और ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपी जमानत पर बाहर था। सहायक व्यक्ति को भी आरोपी ने धमकाया। इस स्थिति में, सहायक व्यक्ति बच्चे और परिवार की सहायता कैसे कर सकता है?

सहायक व्यक्ति, पुलिस को मिली धमकियों के बारे में सूचित कर सकता है। सहायक व्यक्ति स्थानीय थाने में धमकियाँ प्राप्त होने की भी शिकायत दर्ज करा सकता है और यदि उपलब्ध हो तो इसके साक्ष्य थाने को उपलब्ध करा सकता है। सहायक व्यक्ति, बच्चे और परिवार का

संरक्षण, पुलिस के संज्ञान में लाने में भी सहायता कर सकता है।

यदि रूमी और उसके परिवार को जमानत की अर्जी के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया तो इसे विशेष अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। सी.आर.पी.सी. की धारा 439(1ए), के अंतर्गत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामलों में जमानत की सुनवाई के दौरान सूचनादाता की उपस्थिति अनिवार्य है। जमानत के आवेदन को चुनौती देने के लिए परिवार को डी.एल.एस.ए. के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए भी समर्थन दिया जा सकता है। जमानत रद्द करने के आवेदन को विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। जमानत की सुनवाई के दौरान मुखबिर के उपस्थित होने के अधिकार को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

सहायक व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट या स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, जैसा भी लागू हो, द्वारा अनुमोदित विटनेस प्रोटेक्शन योजना[17] के अंतर्गत विटनेस प्रोटेक्शन एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने में परिवार से पूछताछ और सहायता कर सकते हैं।

विशाल के परिवार ने सहायक व्यक्ति को बताया कि उन्हें लगा कि पहचान और ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी होने के बावजूद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी कर रही है। एक सहायक व्यक्ति इस स्थिति में क्या कर सकता है?

सहायक व्यक्ति पुलिस से देरी का कारण पूछ सकता है तथा बच्चे और परिवार द्वारा साझा की गई चिंताओं को समझा सकता है। यदि देरी जानबूझकर की गई लगती है, तो सहायक व्यक्ति वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भी इस मुद्दे को उठा सकता है।

कभी–कभी पुलिस को आरोपी के वर्तमान स्थान का पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है या हो सकता है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो या न हो, जो आरोपी के साथियों तक ले जा सके और पुलिस इस जानकारी की प्रतीक्षा कर रही हो। आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले बच्चे और परिवार की सुरक्षा और संभावित प्रतिक्रिया भी पुलिस की चिंता हो सकती है, जिससे देरी हो सकती है। ऐसे प्रकरणों में, पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ सभी कारणों को साझा करने में सक्षम नहीं हो सकती है, जिसे परिवार को भी समझाया जा सकता है।

8. अनुलग्नक

[17] Mahendra Chawla vs Union of India Ministry of Home, (2016) SC 156

एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस बच्चे और बच्चे के माता–पिता या अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चे का भरोसा और विश्वास है को भी अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत फॉर्म–ए के अनुसार उनके लिए उपलब्ध अधिकारों और सेवाओं के बारे में सूचित करेगी– नियम 4(14), पॉक्सो नियम, 2020।

फॉर्म ए – बच्चों के अधिकार

लैंगिक शोषण के पीड़ित बच्चे को निम्न सूचना और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है

1. एफ.आई.आर. की एक प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल/पी.एच.सी. आदि द्वारा तत्काल एवं निःशुल्क चिकित्सा जाँच प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए सलाह और परामर्श प्राप्त करना।
5. किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे के घर या बच्चे के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान पर बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग करना।
6. किसी ऐसे बाल देखरेख संस्था में उस व्यक्ति की अभिरक्षा में, जिस पर बच्चा विश्वास करता है, ले जाया जाना चाहिए जबकि अपराध घर पर या साझा घर में किया गया था।
7. सी.डब्ल्यू.सी. की सिफारिश पर तत्काल राहत और सहायता।
8. मुकदमे के दौरान और इसके अलावा आरोपी से हर समय दूर रहना।
9. जहाँ आवश्यक हो, दुभाषिए या अनुवादक की व्यवस्था करना।
10. जहाँ बच्चा दिव्यांग है, वहाँ बच्चे के लिए विशिष्ट व्यक्ति या एक विशेष शिक्षक की व्यवस्था करना।
11. निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सहायक व्यक्ति के लिए।
13. शिक्षा जारी रखना।
14. निजता और गोपनीयता पाना।
15. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची प्राप्त करना।

कर्तव्यस्थ अधिकारी

दिनांकः (नाम और पदनाम का उल्लेख किया जाए)

मुझे 'फॉर्म ए' (पीड़ित/माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर) की एक प्रति प्राप्त हुई है।

फॉर्म बी में **प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट** को पूरा करेगी और सी.डब्ल्यू.सी. को जमा करेगी।– **नियम 4(14), पॉक्सो नियम, 2020।**

फार्म बी
प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट

क्र. सं.	मापदंड	टिप्पणी
1	पीड़ित की आयु।	
2	अपराधी के साथ बच्चे का रिश्ता।	
3	दुर्व्यवहार के प्रकार और अपराध की गंभीरता।	
4	उपलब्ध विवरण और बच्चे द्वारा पीड़ित मानसिक और शारीरिक क्षति/चोट की गंभीरता।	
5	क्या बच्चा दिव्यांग है (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक)?	
6	पीड़ित के माता–पिता की आर्थिक स्थिति, बच्चे के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, बच्चे के माता–पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के संबंध में विवरण।	
7	क्या पीड़ित, वर्तमान प्रकरण की घटना के कारण किसी चिकित्सा उपचार से गुजरा है या चल रहा है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है।	
8	क्या मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जाँच और परीक्षण या अन्य कारणों से स्कूल से अनुपस्थिति सहित, शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है?	
9	क्या शोषण एक बार हुआ था या शोषण की घटना बार–बार हुई है?	
1.	क्या पीड़ित के माता–पिता का कोई इलाज चल रहा है या कोई स्वास्थ्य समस्या है?	
11	बच्चे की आधार संख्या, यदि उपलब्ध हो।	

दिनांकः

स्टेशन हाउस ऑफिसर

अध्याय 4

चिकित्सकीय हस्तक्षेप



1 चिकित्सकीय प्रक्रिया के बारे में बच्चे तथा परिवार को जानकारी

2 चिकित्सकीय परीक्षण, इलाज तथा नमूना संग्रह

3 फोरेंसिक चिकित्सकीय साक्ष्य

4 जब पीड़ित बच्ची गर्भवती हो

5 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का महत्व

6 चुनौतियां और संभावित समाधान

चिकित्सक को बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ऑकलन करना होता है, लैंगिक हमले के शिकार बच्चे का इलाज, जाँच और चिकित्सकीय साक्ष्य एकत्र करना होता है। बच्चों और परिवारों में चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में कई तरह के डर और आशंकाएं हो सकती हैं, और एक सहायक व्यक्ति इन प्रक्रियाओं के माध्यम से उनकी मदद कर सकता है।

मैंने हमेशा पाया है कि जब सहायक व्यक्ति आसपास होता है, तो चिकित्सक, पुलिस जैसे अन्य सभी हितधारक बच्चे और परिवार के प्रति अधिक संवादात्मक और परानुभूतिपूर्ण होते हैं। सहायक व्यक्ति वे हैं जो सभी को एक साथ रखते हैं; वे जानते हैं कि व्यवस्था में क्या होता है, इसलिये वे ज्यादा अच्छे से समन्वय करते हैं।

– चिकित्सक, बेंगलुरु

1. चिकित्सकीय प्रक्रिया के बारे में बच्चे तथा परिवार को जानकारी

लैंगिक हिंसा की घटना के बाद, एक बच्चा अपने आप या परिवार के साथ अस्पताल या चिकित्सा सुविधा का दौरा कर सकता है या पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा वहां ले जाया जा सकता है।

परीक्षण से पहले निम्नलिखित जानकारी बच्चे और परिवार के साथ साझा की जा सकती हैः

- सरल शब्दों में और बच्चे/परिवार द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बतायें कि चिकित्सकीय परीक्षण का उद्देश्य क्या है? और आपसे क्या अपेक्षा हैं। सहायक व्यक्ति बच्चे और परिवार को बता सकता है किः

  ''चिकित्सकीय परीक्षण शुरू करने से पहले, चिकित्सक आपकी सहमति हेतु अनुरोध करेंगें। जब चिकित्सक आपसे/आपके बच्चे से बात करता है, तो आपको याद सभी विवरण मेडिकल रिपोर्ट में शामिल करने हेतु कृपया चिकित्सक से साझा करें। चिकित्सक को आपके शरीर के कुछ नमूने एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है।''

- यदि बच्चा परेशान और डरा हुआ है और परीक्षण के लिए तैयार प्रतीत नहीं होता है, तो बच्चे के तैयार होने तक परीक्षण को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जा सकता है।
- यदि हमले के समय पहने गए कपड़े पुलिस को नहीं सौंपे गए हैं, तो बच्चे/परिवार को उन्हें चिकित्सक को सौंपने की सूचना दें।
- बच्चे को सूचित करें कि चिकित्सकीय जाँच होने तक स्नान नहीं किया जाना चाहिये।

- यदि अपराधी ने कंडोम या किसी भी तरह के तरल पदार्थ का उपयोग किया था तो यह जानकारी बच्चे की जाँच करने वाले चिकित्सक को देने को कहा जा सकता है।
- बच्चे को यह सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि क्या उसे हमले से पहले या बाद में कोई ड्रग्स/साइकोट्रोपिक पदार्थ या अल्कोहल दिया गया था।

1.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

धारा 21, पॉक्सो अधिनियम, 2012	कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के होने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, उसे 6 महीने के कारावास और/या जुर्माने की सजा दी जाएगी।
धारा 357सी, सी.आर. पी.सी.*	किसी भी सरकारी या निजी चिकित्सा सुविधा, को उन महिलाओं (और लड़कियों) को निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता और उपचार प्रदान करना चाहिए, जिन्होंने धारा 326 (एसिड अटैक) और धारा 376 (बलात्कार), आई.पी.सी.,1860 के अंतर्गत अपराध का सामना किया है।
धारा 357 सी, सी.आर. पी.सी. व धारा 19(1) तथा 20, पॉक्सो अधिनियम, 2012	लैंगिक हिंसा की घटना के बारे में अस्पतालों द्वारा पुलिस को सूचित करना आवश्यक है।
धारा 166बी, आई.पी. सी.	अस्पताल का प्रभारी व्यक्ति, जो सी.आर.पी.सी. की धारा 357सी का उल्लंघन करते पाया जायेगा, 1 वर्ष की सज़ा और/या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
धारा 164ए, सी.आर. पी.सी.*	बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सा जाँच को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करता है।

2. चिकित्सा परीक्षण, इलाज तथा नमूना संग्रह

जब लैंगिक हमले का सामना करने वाले किसी बच्चे को चिकित्सा सुविधा में लाया गया हो या वह स्वयं आया हो, तो मेडिकल स्टॉफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कानूनों और दिशानिर्देशों के माध्यम से कई बाल अनुकूल प्रावधान मौजूद हैं।

2.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

* Amendment 2013
* Amendment 2013

धारा 27(1), (2), (3) व (4) पॉक्सो अधिनियम, 2012	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज होने से पहले एक बच्चे की चिकित्सा जाँच और उपचार शुरू किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षण सी.आर.पी.सी. की धारा 164ए के अनुसार होनी चाहिए। एक बालिका के प्रकरण में एक महिला चिकित्सक को ही चिकित्सकीय जाँच करनी चाहिए। महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में पुरुष चिकित्सक द्वारा किसी महिला सहायक की उपस्थिति में जाँच की जा सकती है[18]। चिकित्सकीय परीक्षण बच्चे के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए, जिस पर बच्चे का भरोसा या विश्वास हो। पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 6(2) में आगे दोहराया गया है कि आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करते समय चिकित्सकों को बच्चे की निजता की रक्षा करनी चाहिए। माता–पिता या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति की अनुपस्थिति में, चिकित्सा संस्थान के प्रमुख बच्चे को सहायता देने के लिए परीक्षण के दौरान किसी महिला को उपस्थित होने के लिए नामित कर सकते हैं।
नियम 6(4), पॉक्सो नियम, 2020	चिकित्सकीय देखभाल प्रदान करने वाले पंजीकृत चिकित्सक (आर.एम.पी.) को बच्चे की जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें एच.आई.वी. सहित यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई.) के संपर्क में आने के लिए उपचार और प्रोफिलैक्सिस, संभावित गर्भधारण और मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों के लिए संदर्भन शामिल हैं।
नियम 6(5), पॉक्सो नियम, 2020	आर.एम.पी. 24 घंटे के भीतर एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस को बच्चे की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
नियम 6(8), पॉक्सो नियम, 2020	यदि यह पाया जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई ड्रग्स या अन्य नशीला पदार्थ दिया गया है, तो नशामुक्ति कार्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
नियम 6(9), पॉक्सो नियम, 2020	यदि बच्चा दिव्यांग है, तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त उपाय और

[18] Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2014), Guidelines & Protocols - Medico-legal care for survivors/victims of sexual violence, Page no 29

	देखभाल की जाएगी[19]।
धारा 164ए (1), सी. आर.पी.सी. 1973	चिकित्सकों को बच्चे के चिकित्सकीय परीक्षण, सैंपल लेने और इलाज के लिए लिखित सहमति लेनी होगी। जब बच्चे की उम्र 12 साल से अधिक होगी तो बच्चे से खुद सहमति ली जाएगी और यदि बच्चा 12 साल से कम उम्र का है तो माता–पिता की सहमति ली जाएगी। यदि बच्चा और परिवार चिकित्सा परीक्षण के लिए सहमति नहीं देता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सक द्वारा लिखित रूप में 'सूचित असहमति' का दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए और यह बच्चे/देखभालकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।[20]
धारा 30(vi) व धारा 2(31), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	जहाँ बच्चा बाल देखरेख संस्थान (सी.सी.आई.) में है और/या उसके माता–पिता या परिवार नहीं हैं या वह स्वयं चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए सहमत नहीं हैं, वहां बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.), सी.सी.आई. के प्रभारी व्यक्ति को एक संरक्षक के रूप में मान्यता दे सकती हैं।
धारा 164ए, सी.आर.पी.सी. 1973	लैंगिक हिंसा की पीड़ित महिला की चिकित्सकीय जाँच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत किसी आर.एम.पी. द्वारा और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में किसी अन्य आर.एम.पी. द्वारा की जानी चाहिए[21]। चिकित्सा रिपोर्ट में विशेष रूप से बच्चे या उसकी ओर से सहमति देने के लिए सक्षम व्यक्ति की सहमति दर्ज होनी चाहिए। लैंगिक अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय (एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू.) – दिशा–निर्देश	लैंगिक हिंसा की पीड़ित महिला की चिकित्सकीय जाँच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत किसी आर.एम.पी. द्वारा और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में किसी अन्य आर.एम.पी. द्वारा की जानी चाहिए।

2.2 सहायक व्यक्तियों को आर.एम.पी. द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित प्रक्रियाओं के बारे में

[19] The Rights of Persons With Disabilities Act, (2016)
[20] Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2014), Guidelines & Protocols - Medico-legal care for survivors/victims of sexual violence Page No. 24, 25 and 60
[21] Ibid., Page no. 74

पता होना चाहिए।

- चिकित्सक द्वारा बच्चे और परिवार को आयु–उपयुक्त और संवेदनशील तरीके से चिकित्सा प्रक्रियाओं को समझाया जाना चाहिए।
- किसी भी चोट या किसी अन्य चिकित्सकीय स्थिति में तुरंत उपचार किया जाना चाहिए।
- चिकित्सक द्वारा संवेदनशीलता के साथ बच्चे से उम्र–अनुरूप भाषा और यदि आवश्यक हो तो खिलौने, बॉडी चार्ट और आरेखा[22] का उपयोग करके विस्तृत चिकित्सा इतिहास और घटना/शोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- चाहे लैंगिक हमले और (उसके बारे में पता चलने) उसके प्रकटीकरण के बीच का समय कुछ भी हो, चिकित्सकीय (मनो–सामाजिक और शारीरिक) देखरेख शुरू की जानी चाहिये।
- हमले के शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव के ऑकलन और दस्तावेज तैयार करने हेतु विस्तृत चिकित्सकीय परीक्षण, माता–पिता या अभिभावक या उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिये, जिस पर बच्चे का भरोसा हो।
- एस.टी.आई., संभावित नशीले पदार्थों और गर्भावस्था के परीक्षण के लिए हमले के इतिहास के आधार पर शरीर के साक्ष्य, नमूने, स्वैब, रक्त और मूत्र के नमूने एकत्र किए जाने चाहिए।
- परीक्षण के दौरान किसी भी शारीरिक या बौद्धिक अक्षमता को ध्यान में रखते हुये तदनुसार दस्तावेज किया जाना चाहिए।
- हमले[23] के इतिहास के आधार पर एच.आई.वी. के लिए आपातकालीन गर्भनिरोधक और पोस्ट–एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस निर्धारित किया जाना है।
- बच्चे/परिवार की इच्छा अनुसार, बाल पीड़ितों को उनके गर्भधारण के मामलों में हस्तक्षेप के माध्यम से मातृत्व देखभाल या चिकित्सकीय गर्भपात (एम.टी.पी.) में मदद करते हुये चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
- जब कोई बाल पीड़ित सीधे अस्पताल आता है, तो मामला अस्पताल के मेडिको–लीगल रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और आर.एम.पी. द्वारा नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाता है।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पीड़ित बच्चे से एकत्र किए गए नमूनों, स्वैब और अन्य चिकित्सा/फोरेंसिक साक्ष्य का संरक्षण करना चाहिए और उनके संरक्षण की श्रृंखला को बनाए रखा जाना चाहिए।[24]
- पुलिस से अनुरोध प्राप्त होने पर, आर.एम.पी. को प्रकरण से संबंधित सभी सामग्री और

---

[22] Ibid. Page no 18 and 26

[23] Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2014), Guidelines & Protocols - Medico-legal care for survivors/victims of sexual violence Page no. 23, 25 and 33

[24] Ibid.

नमूने सीलबंद कर हस्ताक्षरित तरीके से पुलिस अधिकारी को सौंपने होंगे। इन्हें आगे के विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफ.एस.एल.) भेजा जाएगा।

- आर.एम.पी. द्वारा अन्तरिम और अंतिम चिकित्सा राय पुलिस को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो आर.एम.पी. को बच्चे को एम.एच.पी. के पास संदर्भित करना होगा।

हमारे पास अलग वार्ड नहीं हैं। इसलिए हमें लेबर रूम में इनकी जाँच करनी होगी। हालाँकि हम स्क्रीन का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सब कुछ दिखाई देता है और इतने सारे मरीज और अन्य लोगों को देखने से बच्चे असहज हो जाते हैं।

हमारे पास खिलौने और अन्य प्रकार के संसाधन नहीं हैं; उनका होना बेहतर होगा। शरीर के अंगों के बारे में पूछना भी बहुत मुश्किल है, प्रवेश हुआ है या उंगली का प्रयोग हुआ है। यह पूछना आसान नहीं है, इसलिए खिलौना और ऐसे सभी उपकरण उन्हें चित्रित करने में मदद करने के लिए आदर्श हैं।

हमारे अस्पताल में प्रकरणों की अधिक संख्या को देखते हुए, हमें लैंगिक हिंसा की पीड़ित महिलाओं के साथ आवश्यक समय बिताना चुनौतीपूर्ण लगता है। हम असमंजस में रहते हैं कि क्या किसी मेडिकल इमरजेंसी में भाग लें या उस बच्चे के साथ रहें जिसे आघात का सामना करना पड़ा है...।

– स्त्री रोग विशेषज्ञ, सरकारी अस्पताल, बेंगलुरु

2.3 सहायक व्यक्ति बाल अनुकूल चिकित्सा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं

मेरे लिए सबसे मुश्किल समय था जब मैं अपने बच्ची को अस्पताल ले गया। बच्ची को अस्पताल में अपने साथ हुई घटना के बारे में दोहराने के लिए कहा गया था, जो कि आघातपूर्ण (ट्रामा) है, लेकिन मैं समझता हूं कि वे सिर्फ नियमों का पालन कर रहे थे, और उन्हें वही सवाल पूछने थे। मैं बस देख सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। सहायक व्यक्ति ने हितधारकों से कहा था कि बच्चे के साथ जो हुआ, उसे दोहराने के लिये न कहें और फिर से वही प्रश्न न पूछें।

– पीड़ित बच्चे के माता–पिता

एक बार जब मैं बच्चों को उनकी माँ के साथ पृथक कमरे में ले जाता हूँ तो बच्चे चिकित्सकीय इतिहास देने में अधिक सहज होते हैं। यह सिर्फ संचार और परामर्श है। मैं पुलिस से कहता हूं कि जब मैं पॉक्सो मामलों की जाँच कर रहा हूं या घटना की जानकारी ले रहा हूं तो

कृपया अंदर न आएं। हम यथासंभव निजता बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

– चिकित्सक, बेंगलुरु

- बच्चे की निजता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक से एक अलग कमरे में बच्चे की जाँच करने का अनुरोध करें।
- प्रक्रियाओं के दौरान बच्चे के कल्याण और जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक से अनुरोध करें। (उदाहरण के लिये: चिकित्सक पता कर सकते हैं कि क्या बच्चा भूखा है और उसने कुछ खाया है या नही, यदि बच्चे को शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है और यदि बच्चे को पानी की आवश्यकता है।)
- बच्चों को अधिक समय पर और संगठित तरीके से सेवाओं तक पहुँचने में मदद करने के लिए अस्पताल, वन–स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.)/सखी केंद्र/समाज कल्याण विभाग के साथ संपर्क करें।

वन–स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.)[25]– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,भारत सरकार ने ओ.एस.सी. की स्थापना की पहल की है। यह केंद्र आमतौर पर एक सरकारी अस्पताल में स्थित होते हैं। वन–स्टॉप सेंटर, ऐसी महिलाओं (और लड़कियों) को जो परिवार, समुदाय और कार्यस्थल में या निजी और सार्वजनिक स्थानों पर घरेलू और लैंगिक हिंसा से प्रभावित हुई हैं, को एक ही स्थान पर चिकित्सा देखभाल तथा अन्य सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं।



बच्चे की चिकित्सा जाँच से पहले सहायक व्यक्तियों के लिए टिप्स

1. **परिवार को बच्चे के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड ले जाने की सलाह दें।**
2. **चिकित्सा प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा करते हुए बच्चे को व्यस्त रखने के लिए परिवार से आयु–अनुरूप गतिविधियों को करने का अनुरोध करें। सहायक व्यक्ति स्वयं भी कुछ गतिविधियाँ कर सकते हैं।**
3. **परिवार को नाश्ता–पानी ले जाने का सुझाव दें, क्योंकि प्रक्रिया लंबी चल सकती है।**
4. **जिला अस्पताल और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तालमेल होने से अस्पतालों में त्वरित और संवेदनशील हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।**



सहायक व्यक्ति जानते हैं कि उन्हें फॉलो–अप के लिए बच्चे को कब लाना है...उन्हें पता

[25] Ministry of Women and Child Development, Government of India (2017), One Stop Centre Scheme

होगा कि इसे कहां करना है, कब आना है और हमसे संपर्क करना है। सहायक व्यक्ति न होने से मां को विभागों के बीच चक्कर लगाना पड़ सकता है। सहायक व्यक्ति हमारे संपर्क में रहते हैं, इसलिए वे हमारे शेड्यूल के बारे में जानते हैं, हमारी शिफ्ट कब खत्म होती है, और इस तरह वे बच्चे और माता–पिता के आघात को कम करने की कोशिश करते हैं।

– चिकित्सक, बेंगलुरु

2.3 सहायक व्यक्ति बाल अनुकूल चिकित्सा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं

किसी भी दस्तावेज के अभाव मे[26], बच्चे की उम्र को स्थापित करने के लिए एक आयु अनुमान परीक्षण किया जाता है। एक सहायक व्यक्ति को निम्नलिखित के बारे में पता होना चाहिए:

- वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत एक आयु अनुरूप (शारीरिक और लैंगिक विशेषतायें /दंत परीक्षण/अस्थि विच्छेदन) परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है, (धारा 94, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015)।
- विशेष न्यायालय, सी.डब्ल्यू.सी. या जे.जे.बी. से आवश्यक मांग के लिए पुलिस के साथ समन्वय, जो आयु अनुरूप परीक्षण आयोजित करने के कारणों को बताता है।

3. फोरेंसिक चिकित्सा साक्ष्य

3.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

धारा 27, पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा नियम 6(6), पॉक्सो नियम, 2020	आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करते समय एकत्र किए गए किसी भी फोरेंसिक साक्ष्य को पॉक्सो अधिनियम की धारा 27 और पॉक्सो नियमों के (नियम 6(6)) के अनुसार एकत्र किये जाने चाहिए।

चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य जाँच की प्रक्रिया को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। हमला, हमेशा दृश्यमान (दिखने वाले) भौतिक साक्ष्य नहीं छोड़ सकता है। इसलिए, बच्चे के साक्ष्य के अतिरिक्त, जो अक्सर उतने प्रभावी नहीं होते हैं, परीक्षण के दौरान एक विशेषज्ञ चिकित्सा गवाह का साक्ष्य फायदेमंद हो सकता है।

– फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर, बेंगलुरु

[26] The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, Section 94(2)

3.2 डॉक्टरों द्वारा एकत्र किए गए फोरेंसिक चिकित्सा साक्ष्य

लैंगिक अपराध के 72 घंटे (3 दिन) के बाद सबूत मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। हालांकि यदि पीड़ित हमले के बाद के घंटों के बारे में अनिश्चित है तो 96 घंटे तक साक्ष्य एकत्र करना बेहतर होता है। यदि कोई पीड़ित हमले के 96 घंटे (4 दिन) के भीतर रिपोर्ट करता है, तो स्वैब सहित सभी साक्ष्य एकत्र किए जाने चाहिए।[27]

लिंग के बावजूद, हमले की प्रकृति के आधार पर लैंगिक हिंसा के पीड़ितों से एकत्र किए गए कुछ चिकित्सकीय साक्ष्य, निम्न हैं:

परीक्षण से पहले निम्नलिखित जानकारियाँ बच्चे और परिवार के साथ साझा की जा सकती है:

- घटना के दौरान बच्चे ने जो कपड़े पहने थे – उन्हें हवा में सुखाएं और अलग से कागज के लिफाफे में पैक करें, प्लास्टिक (पन्नी) में नहीं।
- योनि, गुदा, मौखिक स्वैब – हमले की प्रकृति पर निर्भर करता है।
- नाखूनों की कोई कोशिका या स्क्रैपिंग।
- पीड़ित के कपड़े या उनके शरीर पर आरोपी के जघन (प्यूबिक) बाल, बाल या कोई अन्य सबूत।
- घटना के समय बच्चे द्वारा पहने गए कपड़े और जूते से घास, गंदगी या मिली हुई अन्य सामग्री।
- एस.टी.आई.,एच.आई.वी.,गर्भावस्था और नशीले पदार्थों के परीक्षण के लिए, रक्त और मूत्र के नमूने।

अधिकांश हितधारक मानते हैं कि किसी भी प्रकार की लैंगिक हिंसा, जिसमें बाल लैंगिक शोषण भी शामिल है, लिंग–योनि संभोग तक ही सीमित है, और वे हर प्रकरण में वीर्य या रक्त के साक्ष्य की अपेक्षा करते हैं। लेकिन बाल लैंगिक शोषण विभिन्न रूपों में हो सकता है; यहाँ तक कि वस्तुओं या शरीर के अन्य अंगों के प्रवेश के साथ। इस प्रकार, स्पष्ट साक्ष्य दृ श्यमान होने की आवश्यकता नहीं है। लैंगिक हिंसा के गैर–प्रवेशन रूप भी बहुत आम हैं।

अक्सर (जब चोट ठीक हो जाती है और बच्चा सामान्य लगता है), सबूत या चोटों का कोई निशान नहीं होता या बच्चे का आचरण सुसंगत नहीं होता है, या यदि बच्चा स्थिति के अनुकूल ढल गया है और मनोवैज्ञानिक रूप उबर से गया है, और यदि बच्चा सामान्य रूप

[27] Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2014), Guidelines & Protocols - Medico-legal carefor survivors/victims of sexual violence, Page no 29

से व्यवहार कर रहा है, अपराधियों को बरी कर दिया जाता है। यह वास्तव में साक्ष्यों के अनुसार यह आघात की बहुत सीमित और भ्रामक समझ है।

– फोरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर, बेंगलुरु

4. जब पीड़ित बच्ची गर्भवती है

ऐसे कई उदाहरण हैं जब नाबालिग लड़कियां मारपीट/सहमति के रिश्ते के बाद गर्भवती हो गई हैं। विभिन्न चरणों में गर्भावस्था का पता लगाया जा सकता है और गर्भवती लड़की गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है, बच्चे को गोद लेने के लिए दे सकती है या इस गर्भ को समाप्त कर सकती है। सहायक व्यक्ति को मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट (एम.टी.पी.एक्ट), 1971 और एम.टी.पी. (संशोधन) नियम, 2021 के तहत एक बच्चे के लिए उपलब्ध प्रावधानों और सेवाओं के बारे में पता होना चाहिए।

कुछ प्रमुख प्रावधान हैं:

- ऐसे मामलों में जहाँ बलात्कार के कारण गर्भ ठहरने का आरोप लगाया गया है, ऐसी गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती बालिका के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जाएगा।
- आर.एम.पी. द्वारा बनाई गई राय है कि गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी, पर विचार किया जाना चाहिए ।
- आर.एम.पी. द्वारा इस बात पर विचार किया जाता है कि यदि बच्चे का जन्म होता है तो यह उस बच्चे के लिए बड़ा जोखिम होगा और बच्चा शारीरिक या मानसिक अक्षमताओं से ग्रस्त होते हुए गंभीर रूप से दिव्यांग भी हो सकता है।
- नाबालिग (अठारह वर्ष से कम आयु) या बौद्धिक अक्षमता वाली बालिका के गर्भ को उसके अभिभावक की लिखित सहमति से समाप्त कराया जा सकता है।

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

एम.टी.पी. अधिनियम, 1971 व नियम 6(7), पॉक्सो नियम	यदि बालिका गर्भवती है, तो आर.एम.पी. उसे और उसके माता–पिता को गर्भ को समाप्त करने या जारी रखने के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी विकल्प प्रदान करेंगें।
एमटीपी (संशोधन) अधिनियम, 2021	यह अधिनियम अन्य बातों के साथ–साथ एम.टी.पी. अधिनियम की धारा 3 को संशोधित करते हुये, कुछ श्रेणियों की महिलाओं को, जिन्हें एम.टी.पी. नियम में परिभाषित किया गया है, गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन की वर्तमान समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया

	है।[28]
धारा 30(4), धारा 2(31), जे.जे. अधिनियम, 2015	जहाँ बच्चा बाल देखरेख संस्था (सी.सी.आई.) में है और उसके माता–पिता या अभिभावक नहीं हैं या वे एम.टी.पी. हेतु सहमति देने के लिए तैयार नहीं हैं, वहाँ सी.डब्ल्यू.सी., सी.सी.आई. के प्रभारी व्यक्ति को एम.टी.पी. के लिए अभिभावक के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु चिन्हित कर सकती है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम 2021[29]

एम.टी.पी. (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 24 सितंबर, 2021 को पूरे भारत में अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 ('एम.टी.पी. एक्ट') में संशोधन करता है, जो उन शर्तों को नियंत्रित करता है जिनके तहत गर्भ के चिकित्सकीय समापन का अनुसरण किया जाता है। हाल ही में संशोधित अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का संक्षेप में नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है।

तालिका 1: एम.टी.पी. अधिनियम 1971 बनाम एम.टी.पी. संशोधन अधिनियम 2021 के तहत प्रावधानों की तुलना

गर्भावस्था की अवधि	एम.टी.पी. अधिनियम, 1971	एम.टी.पी. संशोधन अधिनियम, 2021 (अभी तक लागू नहीं)
12 सप्ताह या उससे कम	1 आर.एम.पी. की राय के साथ समाप्ति की अनुमति	1 आर.एम.पी. की राय के साथ समाप्ति की अनुमति
12–20 सप्ताह	एम.टी.पी. के लिए 2 आरएमपी की अनुमति आवश्यक	1 आर.एम.पी. की राय के साथ समाप्ति की अनुमति
20–24 सप्ताह	गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए चिकित्सकीय सहारा प्रदान करता है	2 आर.एम.पी. की राय से अनुमति
24 सप्ताह या उससे अधिक	गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए चिकित्सकीय गर्भपात संभव	जहाँ मेडिकल बोर्ड द्वारा पर्याप्त भ्रूण विषमताओं की जाँचं द्वारा गर्भ समाप्ति की आवश्यकता महसूस होती है और जहाँ गर्भवती महिला के जीवन को बचाने के लिए गर्भ समापन आवश्यक है, ऐसी स्थितियों में गर्भ की अवधि एम.टी.पी. पर लागू नहीं होगी।

^ मेडिकल बोर्ड जिसमें (1) एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, (2) एक बाल रोग विशेषज्ञ, (3) एक रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट, और (4)

[28] MTP (Amendment) Rules, 2021
[29] MTP (Amendment) Act, 2021

अन्य सदस्य शामिल हों, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

एम.टी.पी. की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, हम गर्भधारण के साक्ष्यों को एकत्र करते हैं और इसे नमक के साथ एक कांच की बोतल में रखते हैं, इसे ठंडा करते हैं और पुलिस की आवश्यकता और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद डी.एन.ए. परीक्षण के लिए भेजते हैं। यह तुरंत होने की जरूरत है, और यहीं पर सहायक व्यक्ति पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।

– चिकित्सा व्यवसायी, बेंगलुरु

एम.टी.पी. के दौरान सहायक व्यक्ति द्वारा सहायता

बच्चे और परिवार के साथ

- पॉक्सो नियम, 2020 नियम 6(7), के अंतर्गत एक चिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ परामर्श सहज करें जो बच्चे/परिवार को निर्णय लेने में मदद करने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्प प्रदान कर सकते हैं।
- अस्पताल में प्रवेश और एम.टी.पी. प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता करें।
- यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

हितधारकों के साथ

- यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक और पुलिस के बीच संवाद स्थापित करें कि आवश्यक अनुरोध और दस्तावेज मौजूद हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और आर.एम.पी. के साथ संपर्क करें कि गर्भधारण के साक्ष्य (पी.ओ.सी.)[30] आवश्यक दस्तावेजों के साथ एफ.एस.एल. को भेजे जायें। पी. ओ.सी. को आर.एम.पी. द्वारा तब तक संग्रहित किया जा सकता है जब तक कि पुलिस उसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर एफ.एस.एल. में ले जाने के लिए नहीं आती।
- जब बच्चे को एम.टी.पी. के लिए दूसरे जिलों से उच्च चिकित्सा संस्थान में लाया जाता है तो जिले की सी.डब्ल्यू.सी. के साथ समन्वय स्थापित करें।

गर्भ को जारी रखने वाले बच्चे के लिए सहायक व्यक्ति की सहायता

[30] Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2014),Guidelines & Protocols - Medico-legal carefor survivors/victims of sexual violence, Chapter - Medical examination and reporting for sexual violence,Page no.34

- मूल्यांकन करें कि क्या बच्चे का परिवार/अभिभावक गर्भवती बालिका के निर्णय का समर्थन करता है और तदनुसार बालिका और उसके बच्चे की चिकित्सकीय, पोषण और भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देता है।
- यदि माता–पिता/अभिभावक गर्भवती बालिका का समर्थन करने में सक्षम नहीं हैं/नहीं चाहते हैं, तो उसे सी.डब्ल्यू.सी. के माध्यम से किसी 'उपयुक्त व्यक्ति' या सी.सी.आई. के साथ रखने की सिफारिश करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी. और जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) के साथ समन्वय करें कि गर्भवती बालिका को आवश्यक पोषण, अन्य मातृत्व लाभ, स्पॉन्सरशिप योजनाओं तक पहुंच और नियमित स्वास्थ्य जाँच प्राप्त हो।
- जहाँ बालिका बच्चे को रखने का फैसला करती है, बालिका और नवजात शिशु की सहायता के लिये स्पॉन्सरशिप और नवजात देखभाल योजनाओं तक पहुँचने में मदद करें।
- यदि बालिका को बच्चे को अभ्यर्पण करने में सहायता की आवश्यकता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 30(11) के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी. के साथ प्रक्रिया को सुगम बनाएं।

सहायक व्यक्तियों के अनुभव

ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ चिकित्सक ड्यूटी की सीमा से परे चले गए हैं और उन्होंने चिकित्सकीय परीक्षणों और उपचार के दौरान बच्चों की मदद की है। डॉक्टरों ने कुछ मामलों में कपड़े, भोजन और अन्य जरूरतों का सामान भी उपलब्ध कराया है और प्रारंभिक जाँच के बाद लंबे समय तक बच्चे के स्वास्थ्य और कुशलता की निगरानी की है।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

हमने पांच महीने पहले एक प्रकरण में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जहाँ यह लड़का एक बोर्डिंग स्कूल में था। वह घर आया और गिर गया; वह और उसका परिवार उसे डॉक्टर के पास ले गए, और डॉक्टर ने महसूस किया कि उसकी गुदा के आसपास घाव थे और इस तरह उसके साथ हुये लैंगिक शोषण का पता चला। यह उनके पारिवारिक डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत ही संवेदनशील तरीके से पूरी स्थिति को संभाला – उन्होनें परिवार को समझाया कि जब वे कहते हैं कि लैंगिक हिंसा हुई थी, तो उनका क्या मतलब है और आगे क्या होगा।

– सहायक व्यक्ति, मुंबई

5. मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का महत्व

प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

नियम 4(3)(ई), पॉक्सो नियम, 2020	पुलिस को परामर्श सहित सहायता सेवाओं के बारे में बच्चे और परिवार को सूचित करना चाहिये।
नियम 4(12), पॉक्सो नियम, 2020	सहायक व्यक्तियों द्वारा सी.डब्ल्यू.सी. को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिये।
नियम 6(4)(ई), पॉक्सो नियम, 2020	जहाँ आवश्यक हो, बच्चे की जाँच करने वाले चिकित्सक बच्चे की मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, या अन्य परामर्श, या नशामुक्ति सेवाओं और कार्यक्रमों के लिये उसे संदर्भित करें।

केवल योग्य और प्रशिक्षित एम.एच.पी. (परामर्शदाताओं, चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों सहित) को लैंगिक हिंसा के पीड़ित बच्चे को परामर्श और चिकित्सा प्रदान करनी चाहिए। एम.एच.पी. सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- परामर्श/चिकित्सा/उपचार, बच्चे द्वारा अनुभव किए जा रहे आघात, भय, चिंता और अन्य भावनाओं को संबोधित करते हैं।
- अपराधबोध और शर्म की संभावित भावनाओं को संबोधित करें जो एक बच्चा महसूस कर रहा होगा।
- अपराध और आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं को रिपोर्ट करने से संबंधित बच्चे की चिंता पर बात करें।
- लैंगिक शोषण के परिणामस्वरूप होने वाली गर्भावस्था के बारे में निर्णय लेने के लिए बच्चे (और परिवार) का समर्थन करें।
- परिवार के सदस्यों को यह समझने में मदद करें कि अपराधी ने उनके बच्चे के साथ क्या किया है।
- परिवार के सदस्यों को आघात के संकेतों और लक्षणों को पहचानने और मुकाबला करने के सुझाव प्रदान करें।

5.2 मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने वाले बच्चे की सहायता करना

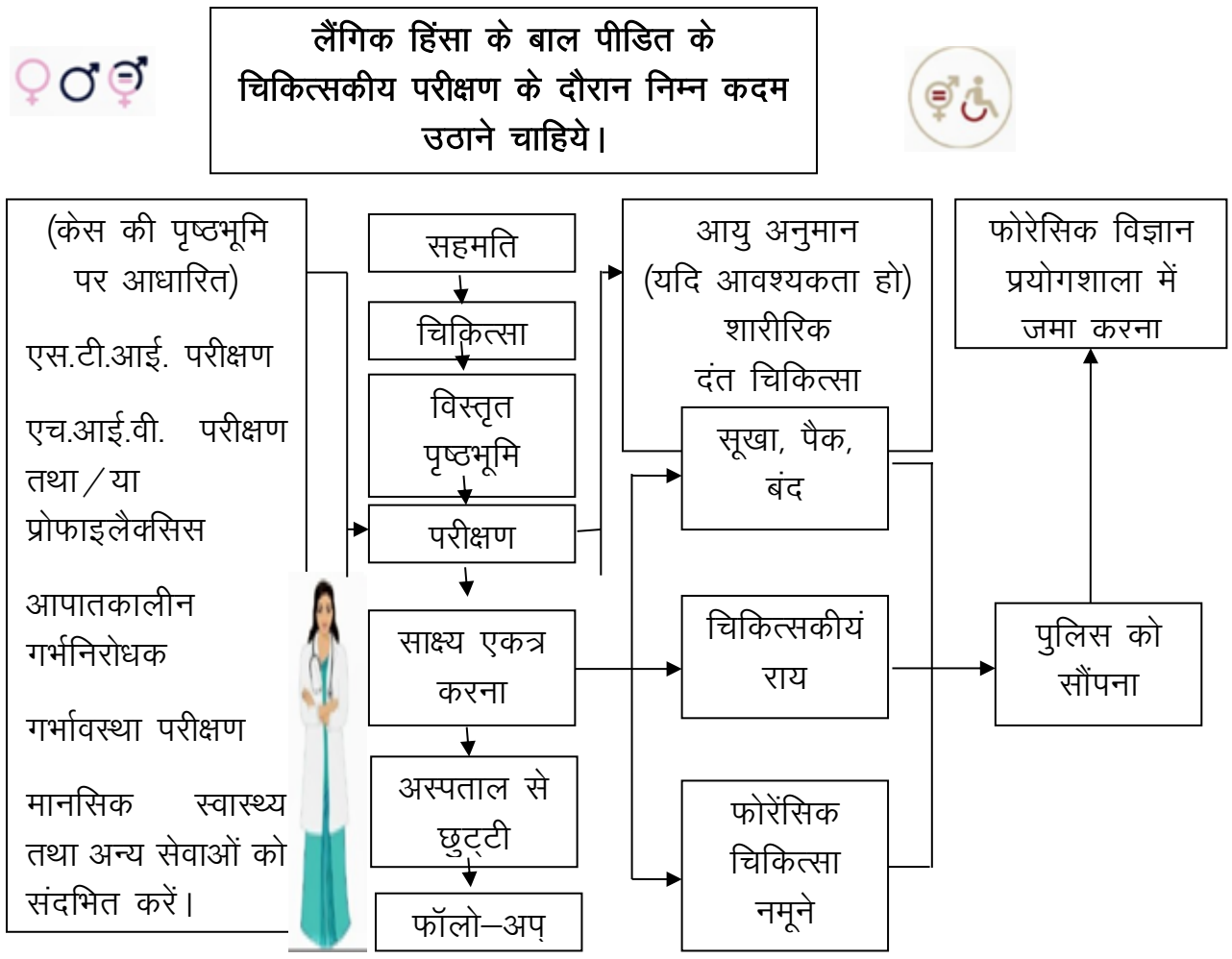
- बच्चे और परिवार के मानसिक स्वास्थ्य का ऑकलन करने का प्रयास करें और आवश्यकतानुसार उन्हें उपलब्ध एम.एच.पी. के पास भेजें।
- जिला अस्पताल/या डी.सी.पी.यू. से जुड़ें और आसपास के एम.एच.पी. की सूची देखें।
- एम.एच.पी. के यहाँ विज़िट या परामर्श की सुविधा प्रदान करना। मॉडल दिशानिर्देशों

में मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अध्याय 5 में एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के तरीके का विस्तृत विवरण दिया गया है।

आरोपी और उसका परिवार बहुत अमीर और प्रभावशाली है। वे हम पर केस वापस लेने का लगातार दबाव बना रहे थे। हमारे समर्थन में कोई नहीं आया। सहायक व्यक्ति की उपस्थिति और समर्थन ने हमें कई चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक हिम्मत दी। इसने हमारी चिंताओं और आशंकाओं को कम किया। मेरी बेटी अब बहुत शांत और स्थिर है। अगर मैं परेशान हो जाती हूं, तो मेरी बेटी मुझसे मदद लेने के लिए हमारे सहायक व्यक्ति को कॉल करने के लिए कहती है। मेरी बेटी का मानसिक स्वास्थ्य काफी बेहतर है। सहायक व्यक्ति की मदद से हम हर चीज का डटकर सामना कर रहे हैं।

– पीड़ित बच्ची की माँ

चिकित्सकीय परीक्षण प्रक्रिया आरेख



Adapted by Enfold
Source: User Handbook D'Souza, D. (2004). CEHAT, A Manual and Evidence Kit for the Examining Physician.

6. चुनौतियां और संभावित समाधान

चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान बच्चों की सहायता करते समय सहायक व्यक्तियों को कई स्थितियों/चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ की चर्चा नीचे की गई है:

रेजिडेंट डॉक्टर ने सहायक व्यक्ति को बताया कि चूंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ ड्यूटी पर नहीं हैं, इसलिए बच्चे की मेडिकल जाँच नहीं की जा सकती है, जिससे प्रक्रिया में देरी हुई। इस स्थिति में सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद नहीं होने से प्रक्रिया में देरी हो रही थी जिससे बच्चे और माता–पिता को तनाव हो रहा था। सहायक व्यक्ति ने संबंधित चिकित्सकों को समझाया और उनसे यह तथ्य साझा किया कि एम.ओ.एच.एफ.डब्ल्यू. के दिशानिर्देशों[31] के अनुसार, कोई भी आर.एम.पी. लैंगिक हिंसा की पीड़ित की जाँच कर सकता है। इसके बाद मेडिकल जाँच की गई।

सौरभ के माता–पिता को चिकित्सकीय जाँच प्रक्रिया और इलाज के लिए पैसे देने को कहा गया। भुगतान करने तक अस्पताल ने परिवार को मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। जब परिवार इस बारे में उन्हें बताता है तो सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

ऐसी स्थिति में, सहायक व्यक्ति सी.आर.पी.सी. की धारा 357सी के अनुसार सभी उपचार निःशुल्क करने के लिए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (आर.एम.ओ.)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.)/अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के साथ समन्वय कर सकता है। ऐसे में सहायक व्यक्ति, अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर परिवार की ओर से रिपोर्ट का अनुरोध कर सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार, अस्पताल को पीड़ित/परिवार को मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क देनी होगी। सहायक व्यक्ति सी.डब्ल्यू.सी./डी.सी.पी.यू. से हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब मुआवजे और वित्तीय राहत की प्रक्रिया के लिए चिकित्सा रिपोर्ट की आवश्यकता होती है।

17 साल की अंजू को मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया और उसने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह सुमित के साथ रोमांटिक रिश्ते में थी। उसे डर था कि यदि उसकी मेडिकल जाँच हुई, तो इससे सुमित प्रकरण में और फंस सकता है, जो कि वह नहीं चाहती थी। इस स्थिति में सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

[31] Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (2014),Guidelines & Protocols - Medico-legal carefor survivors/victims of sexual violence, Chapter - Medical examination and reporting for sexual violence, Page 8

सहायक व्यक्ति, चिकित्सक से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर सकते हैं कि चिकित्सकीय परीक्षण करने से पहले बच्चे की सहमति ली जाए। चिकित्सक अंजू को समझा सकते हैं कि प्रकरण को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल जाँच की जाती है, यह सुनिश्चित करे कि लड़की चिकित्सकीय रूप से ठीक है, और किसी भी प्रकार के एस.टी.आई. और गर्भावस्था की जाँच करें। जिसके बाद यदि लड़की सहमति देती है तो वे चिकित्सकीय जाँच करा सकते हैं। यदि वह सहमति नहीं देती है, तो चिकित्सक बच्चे के 'सूचित असहमति' का दस्तावेज तैयार कर सकते हैं।

सोलह वर्षीय श्वेता गर्भ को समाप्त करना चाहती है, लेकिन उसके चाचा (कथित आरोपी और बच्चे के पिता) नहीं चाहते कि वह गर्भपात के साथ आगे बढ़े। इस स्थिति में सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

एम.टी.पी. अधिनियम केवल गर्भवती व्यक्ति की सहमति को मानता है। नाबालिग लड़कियों (18 वर्ष से कम आयु) के प्रकरण में, गर्भ समापन का निर्णय लड़की के पास सुरक्षित है, लेकिन जब वह 18 वर्ष से कम उम्र की हो तो चिकित्सकीय प्रक्रिया के लिए उसके माता–पिता या उसके अभिभावक से सहमति लेनी होगी[32]। सी.सी.आई. में रहने वाली लड़की के लिए, संस्था की अधीक्षिका को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार अभिभावक माना जाता है।

[32] Bhatia, G., (2018), Oxford Human Rights Hub, Is Consent of the Husband Needed for an Abortion in India?

अध्याय 5

मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग



1 सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत बयान

2 बयान के दौरान सहायक व्यक्ति की भूमिका

3 चुनौतियां और संभावित समाधान

धारा 164 सी.आर.पी.सी. का उद्देश्य, पुलिस जाँच के दौरान दिए गए बयानों या स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय रूप में रिकॉर्ड करने का एक तरीका प्रदान करना है, जिसका उपयोग, यदि आवश्यक हो, जाँच या परीक्षण के दौरान किया जा सकता है। बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष न्यायालय परिसर में आना बच्चे के लिये पहला अनुभव हो सकता है। न्यायालय बच्चों के लिए एक डरावनी जगह हो सकती है, और वे इस प्रक्रिया से चिंतित हो सकते हैं। बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान एक सहायक व्यक्ति होने से बच्चा और परिवार सहज महसूस कर सकता है।

1. सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत बयान

मजिस्ट्रेट के सामने बच्चे का बयान सी.आर.पी.सी.[33] की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, यदि बच्चा स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा है या ठीक से यह समझाने में सक्षम नही है कि क्या हुआ है, तो मजिस्ट्रेट बच्चे के बयान को स्पष्ट करने के लिए (दिखाई देने वाले) मार्गदर्शक/चित्रों (आरेख) और गुड़िया आदि का उपयोग कर सकते हैं।

1.1 प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

धारा 164 सी.आर.पी.सी.	न्यायिक या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्राथमिकता के तौर पर एक महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चे द्वारा दिया जाने वाला बयान[34]।
धारा 25, 26 पॉक्सो अधिनियम, 2012	मजिस्ट्रेट द्वारा एक बच्चे के बयान की रिकॉर्डिंग और दर्ज किए जाने वाले बयान के संबंध में अतिरिक्त प्रावधानों को संदर्भित करता है।
धारा 164(5ए), सी.आर.पी.सी.	यह अनिवार्य बनाता है कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी और 376ए, 376एबी, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी, 376ई और धारा 509 के अंतर्गत अपराध किए जाते हैं, और उसे पुलिस अधिकारी की जानकारी में लाया जाता है, तो अधिकारी पीड़ित को बयान दर्ज करने के लिए तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए बाध्य है।

2. बयान के दौरान सहायक व्यक्ति की भूमिका

[33] Kumari, B.S., Senior Civil Judge Rajam,(n.d.) Scope and Relevance of Statements Recorded Under Section 161 and 164 of Cr.P.C.
[34] State of Karnataka v. Shivanna, (2014) 8 SCC 913

2.1 प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

धारा 25, 26 पॉक्सो अधिनियम, 2012	इस पर प्रकाश डालती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे का बयान कैसे दर्ज किया जाना है।
धारा 26(1) पॉक्सो अधिनियम, 2012	माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिस पर बच्चे का भरोसा या विश्वास है, बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान उपस्थित होने का प्रावधान करती है। बच्चे ने जैसा बयान दिया है, उसे जस का तस ही दर्ज किया जाना है।
धारा 26(2) व (3), पॉक्सो अधिनियम, 2012	बयान दर्ज किये जाने के दौरान बच्चे के साथ बातचीत की सुविधा के लिए अनुवादक, दुभाषिया या विशेष शिक्षक की सहायता की अनुमति देती है।
धारा 26(4) व (3) पॉक्सो अधिनियम, 2012	जब भी संभव हो, ऑडियो–वीडियो साधनों का उपयोग करके बयान को दर्ज किये जाने की आवश्यकता है।
धारा 164 (5ए)(बी), सी.आर.पी.सी. 1973	अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता वाले बच्चे के लिए, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयान को परीक्षा–प्रमुख के स्थान पर दर्ज किया गया माना जायेगा और ऐसे गवाहों को विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) के समक्ष इसे दोहराना नहीं होगा।
धारा 25(1) पॉक्सो अधिनियम, 2012	धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत जब बाल–पीड़ित का बयान दर्ज किया जा रहा हो तो उस समय आरोपी का वकील वहाँ उपस्थित नहीं होगा।
धारा 25(2) पॉक्सो अधिनियम, 2012	पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. को अंतिम रिपोर्ट (चार्जशीट/चालान) सबमिट करने के बाद मजिस्ट्रेट को बयान की एक प्रति बच्चे को देनी चाहिए।

2.2 एम.टी.पी. के दौरान सहायक व्यक्तियों द्वारा सहायता

सहायक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चे के बयान दर्ज करने के उद्देश्य की व्याख्या कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो बच्चे और परिवार के साथ न्यायालय परिसर में जा सकते हैं।

सहायक व्यक्ति बच्चे को समझा सकता है कि – *"मजिस्ट्रेट आपसे घटना के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। आप डर या भ्रमित महसूस कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ये सभी प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। कानून द्वारा दिया गया यह एक ऐसा अवसर है जिसमें आपको घटना के बारे में बताना है, इस दौरान जो आप पुलिस को बताना भूल गए हो वह भी आप बता सकते हैं। आप यहाँ सुरक्षित हैं; आपके विश्वसनीय वयस्क आपके साथ रहेंगें।"*

- बच्चे को समझाएं कि बयान कमरे में दर्ज किया जाएगा; बच्चे और बच्चे के माता–पिता, अभिभावक या वह व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है, के अतिरिक्त केवल मजिस्ट्रेट और टाइपिस्ट ही मौजूद रहेंगे।
- बच्चे को आश्वस्त करें कि आरोपी या उनके सहयोगी मौजूद नहीं होंगे।
- बच्चे को सूचित करें कि यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो मजिस्ट्रेट से उसे स्पष्ट करने के लिये कहा जाना चाहिए।
- बच्चे और उसके भरोसेमंद वयस्क को सूचित करें कि बयान को उनकी पुष्टि के लिए वापस पढ़ा जाएगा और उन्हें तब ही दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने चाहिए जब बयान उन्हें पढ़ कर सुनाया जाये। यदि बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का है, तो माता–पिता या भरोसेमंद वयस्क के ही हस्ताक्षर लिए जाएंगे।
- यदि अदालत की राय में, 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा 'शपथ या शपथ की प्रकृति को नहीं समझता है' तो ऐसे बच्चों को मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ[35] लेने की आवश्यकता नहीं है।
- जाँच अधिकारी (आई.ओ.) से अनुरोध करें कि वे जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) से विशेषज्ञों, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षक या किसी अन्य विशेषज्ञ के संदर्भन के लिए संपर्क करें जिससे अग्रिम व्यवस्था की जा सके।



सहायक व्यक्तियों के लिए टिप्स

1. **तारीख, समय और वह स्थान जहाँ बयान दर्ज किया जाएगा के संबंध में पुलिस के साथ समन्वय और पुष्टि करें। उन विवरणों को परिवार के साथ साझा करें।**

2. **माता–पिता से कुछ आयु–अनुरूप गतिविधियां करने के लिए अनुरोध करें, या एक सहायक व्यक्ति प्रतीक्षा के दौरान बच्चे को व्यस्त रखने के लिए कोई आयु–उपयुक्त गतिविधियाँ करा सकता है।**

3. **परिवार से कहें कि वह बच्चे के जलपान की व्यवस्था करके रखें। यदि बच्चे को ब्रेक की आवश्यकता हो तो इस संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए कहा जा सकता है।**

4. **पुलिस से अनुरोध करें कि बच्चे को साथ ले जायें और यदि संभव हो तो वर्दी में न हो।**

[35] Section 4(1)(c), The Oaths Act,1969



164 के बयान के दौरान सहायक व्यक्तियों के अनुभव

एक प्रकरण में जहाँ बालिका पाँच साल की थी, बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट पुरुष थे। उन्होंने बयान के लिए बालिका से सहमति ली। वह धैर्यवान और समझदार थे। बालिका को कोई परेशानी नहीं हुई, जल्दी ही वह सहज हो गई और खुलकर बात करने लगी। मजिस्ट्रेट के कमरे में एक अनुवादक और बच्चे की माँ थी, क्योंकि बालिका केवल अपनी मूल भाषा बोलनें में सक्षम थी। कुछ ही समय में, बालिका ने लैंगिक शोषण के बारे में बात करना शुरू कर दिया और मजिस्ट्रेट के खुले सवालों का जवाब दिया। बहुत ही सहज और बिना हड़बड़ी के माहौल में मजिस्ट्रेट के कक्ष में बयान दर्ज किया गया।

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज करते समय माता–पिता/अभिभावक को उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी है, जिससे बच्चे को बहुत डर और पीड़ा हुई है। आम तौर पर, हमारे अनुभव में, मजिस्ट्रेट अकेले बच्चे से बात करते हैं और जब तक कि बच्चा अनुरोध न करे या बच्चा दिव्यांग न हो तथा प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता न हो, न तो माता–पिता और न ही सहायक व्यक्ति को कक्ष के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

एक प्रकरण के लिए, भले ही मैं नामित सहायक व्यक्ति नहीं था, मुझसे बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चे के बयान को रिकॉर्ड करने में मदद करने के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि मैं भी एक विशेष शिक्षक हूं। मैंने बच्चे के साथ सहज होने के लिए कुछ समय का अनुरोध किया, और मजिस्ट्रेट ने ऐसी अनुमति दी। मैंने मजिस्ट्रेट से कहा कि क्या यह हो सकता है कि वे मुझसे सवाल करें और फिर मैं बच्चे से इस तरह पूछ सकता हूं कि बच्चा समझ जाएगा! मजिस्ट्रेट बहुत सज्जन और अनुग्रहित थी।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

3. चुनौतियां और संभावित समाधान

सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने में बच्चों की सहायता करते समय सहायक व्यक्तियों को कई स्थितियों/चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदम नीचे सूचीबद्ध हैं:

बाल पीड़ितों को बयान दर्ज करने के लिए अदालत में बुलाया गया था, लेकिन पहली बार में निम्न कारणों से बयान दर्ज नहीं हो पायाः

(ए) दुभाषिया, विशेष शिक्षक, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ की पहले से व्यवस्था नहीं थी;
(बी) मजिस्ट्रेट का न होना, न्यायालय में अधिक केसलोड;
(सी) बच्चा बयान देने के लिए तैयार नहीं, और/या बहुत परेशान हो गया।

ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

सहायक व्यक्ति अग्रिम रूप से निम्न तैयारी कर सकते हैं:
1. आवश्यकता पड़ने पर दुभाषिए/अनुवादक/विशेष शिक्षक सेवाओं को शामिल करने के लिए पुलिस और डी.सी.पी.यू. के बीच समन्वय स्थापित करना।
2. मजिस्ट्रेट की उपलब्धता की पुनः पुष्टि करने के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना।
3. प्रक्रिया को पहले से समझाएं ताकि अंतिम क्षण में बच्चा अनभिज्ञ न महसूस करे।

एक मजिस्ट्रेट के सामने सोमू का बयान न्यायालय कक्ष में दर्ज किया गया, न कि मजिस्ट्रेट के कक्ष में। सोमू को लगा कि अजनबी भी उसकी बात सुन सकते हैं और वह परेशान हो गया। इस स्थिति में सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?
सोमू की चिंताओं को समझाते हुए, पुलिस के माध्यम से मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट के कक्ष में बयान दर्ज किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में मजिस्ट्रेट अनुपालन करते हैं।

मजिस्ट्रेट ने बच्ची (स्मिता) का बयान दर्ज करते समय माता–पिता, अभिभावक या भरोसेमंद वयस्क की उपस्थिति से इनकार किया। स्मिता डर गई और मजिस्ट्रेट के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?
सहायक व्यक्ति द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 26(1) का हवाला देकर मजिस्ट्रेट से माता–पिता को बयान के दौरान स्मिता के साथ रहने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। पुलिस द्वारा भी बच्चे की चिंताओं और पॉक्सो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का संदर्भ देते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करने हेतु पृथक रूप से अनुरोध किया जा सकता है।

प्रकाश ने अपनी बेटी का लैंगिक शोषण किया था। परिवार और समाज के दबाव के चलते मां ने बच्चे का साथ नहीं दिया। मजिस्ट्रेट ने बच्चे के साथ मां को बयान दर्ज कराने पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बच्चा तीन बार न्यायालय गया, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो पाया। इस परिस्थिति में सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

सहायक व्यक्ति मजिस्ट्रेट को बच्चे की पारिवारिक स्थिति के बारे में बताने के साथ–साथ सहायक व्यक्ति बच्चे के साथ क्यों है? यह बता सकते हैं। अंततः इस विशेष स्थिति में,

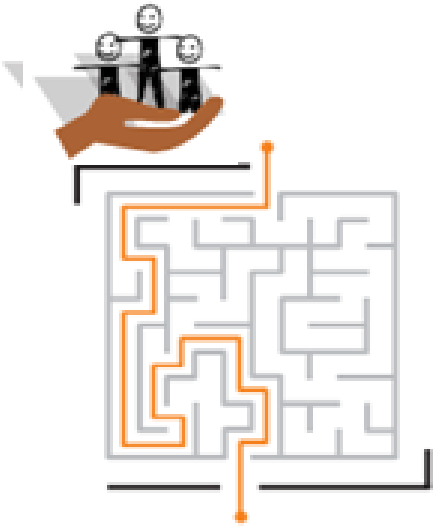
मजिस्ट्रेट बच्चे के बयान के वक्त उस शिक्षक के उपस्थित रहने के लिए सहमत हो गये थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी।

कोविड–19 के दौरान, न्यायालय बंद होने के कारण, मजिस्ट्रेट के समक्ष बच्चों के बयानों में देरी हो रही थी।

कुछ मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए गए और पुलिस ने इसमें मदद की। पुलिस ने लैपटॉप को अलग–अलग स्थानों पर रखा – कॉलेज के एक कमरे में, एक खाली रेस्तरां में, एक पड़ोसी के घर में, डी.सी.पी.यू. के कार्यालय या सामुदायिक केंद्र में। मजिस्ट्रेट के अनुरोध के अनुसार रिकॉर्डिंग के दौरान सहायक व्यक्ति बच्चे के साथ रहे। जब मजिस्ट्रेट ने बच्चे का बयान दर्ज करना शुरू किया तो पुलिस कमरे से बाहर चली गई।

अध्याय 6

बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय में कार्य करना



1 सहायक व्यक्ति की नियुक्ति

2 सहायक व्यक्ति के दायित्व

3 बच्चे के देखरेख व संरक्षण में सहायक व्यक्ति की भूमिका

4 चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान

5 अनुलग्नक

एक बार किसी प्रकरण के बारे में सहायक व्यक्ति को सूचित किये जाने के बाद, यदि बच्चे की देखभाल, सुरक्षा और कोई अन्य ज़रूरतें हों, तो वह बाल कल्याण समिति और अन्य संबंधित अधिकारियों के ध्यान में इन्हें लाया जाना सुनिश्चित कर सकता है। माता–पिता/पारिवारिक समर्थन के अभाव वाले बच्चों के संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास, पुनःएकीकरण, उपचार और न्याय तक पहुंच को सक्षम करने में सी.डब्ल्यू.सी. की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। पॉक्सो नियम 2020 के नियम 4(8) के अनुसार, सी.डब्ल्यू.सी. एक ऑकलन के आधार पर और बच्चे व परिवार की सहमति से, जाँच, परीक्षण और पुनर्वास की प्रक्रियाओं में बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है।

सहायक व्यक्ति, बच्चे, परिवार और कानूनी व्यवस्था के बीच की कड़ी हैं। वे कानून और अन्य प्रक्रियाओं से परिचित हैं। वे विभिन्न प्रणालियों – सी.डब्ल्यू.सी., पुलिस, जिला प्रशासन, कानूनी सेवाओं और संस्थानों के बीच एक अच्छा नेटवर्क भी प्रदान करते हैं। कई बार हम पाते हैं कि हितधारक बच्चे की सुरक्षा या जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसलिए, एक सहायक व्यक्ति इस प्रक्रिया में लगातार अनुवर्ती कार्यवाही कर सकता है और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हितधारकों को बेहतर विकल्प सुझा सकता है।

–सी.डब्ल्यू.सी.सदस्य, बंगालकोट

1. सहायक व्यक्ति/संस्था की नियुक्ति

पीड़ित बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए, सी.डब्ल्यू.सी. व सहायक व्यक्ति को जानकारी साझा करने और बच्चे को आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु मिलकर काम करना चाहिए।

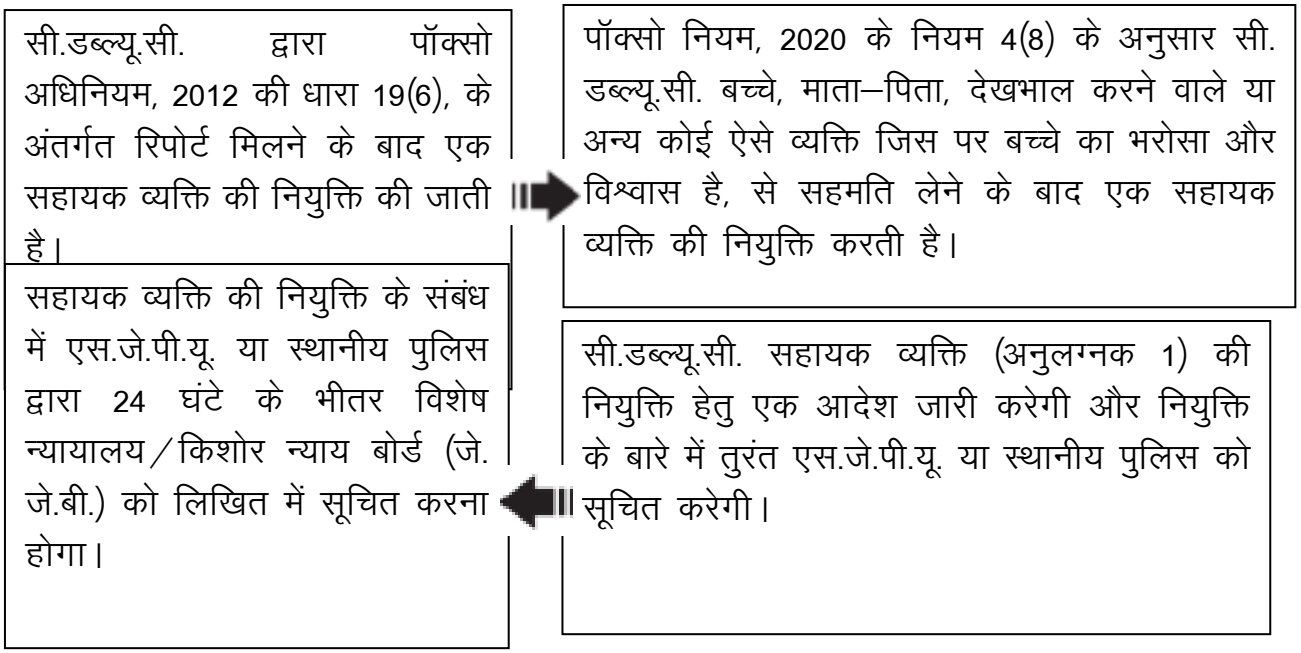
1.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

धारा 29(1), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों के निपटान के लिए एक वैधानिक निकाय है।
नियम 4(8), पॉक्सो नियम, 2020	सी.डब्ल्यू.सी. बच्चे और उसके माता–पिता/अभिभावक या अन्य विश्वसनीय वयस्क की सहमति से एक सहायक व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

1.2 सहायक व्यक्ति की नियुक्ति/नामित किये जाने की प्रक्रिया

- सहायक व्यक्ति/संगठन को इस ऑकलन पर कि क्या ऐसा व्यक्ति/संगठन किसी विशेष प्रकरण के लिए सहायक व्यक्ति/संगठन के कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा एक आदेश के माध्यम से नियुक्त किया जाना चाहिए।
- इस तरह के आदेश में कहा जाना चाहिए कि सहायक व्यक्ति/संगठन को पॉक्सो अधिनियम और पॉक्सो नियम, 2020 के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
- उक्त आदेश की एक प्रति नियुक्त किये गये सहायक व्यक्ति/संगठन को सौंपी जानी चाहिए और एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए।
- सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा सहायक व्यक्तियों के नियुक्ति पत्र के लिए सुझाया गया प्रारूप **अनुलग्नक 1** में है।

चित्र 1: सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया



2. सहायक व्यक्ति के दायित्व

पॉक्सो नियमों ने बाल कल्याण समिति के साथ काम करने के दौरान एक सहायक व्यक्ति के कर्तव्यों को परिभाषित किया है।

2.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

नियम 4(8), पॉक्सो नियम, 2020	नियम 4(8), पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सी.डब्ल्यू.सी. को एक सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करने की आवश्यकता है।
नियम 4(12), पॉक्सो नियम, 2020	सहायक व्यक्ति परीक्षण के पूरा होने तक सी.डब्ल्यू.सी. को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
नियम 4(12), पॉक्सो नियम, 2020	सी.डब्ल्यू.सी. एक सहायक व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त कर सकती है। **(इसका विस्तार अध्याय 2 में दिया गया है।)**

2.2 बच्चे तथा परिवार के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

सहायक व्यक्ति इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सुविधा को सुनिश्चित करते हुए पुलिस और चिकित्सा सुविधा/चिकित्सक के बीच अभिसरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

विशेष रूप से, सहायक व्यक्ति निम्न कर सकते हैं:

- यदि सी.डब्ल्यू.सी. किसी प्रकरण को संदर्भित करती है तो यह समिति की उपस्थिति में बच्चे और परिवार से मिलने में सहयोग करेगा, जिससे बच्चा और परिवार इस तरह की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देने से पहले सहायक व्यक्ति से परिचित हो सकें।
- सी.डब्ल्यू.सी. की भूमिका और बच्चे को सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का कारण बताएं। कारण निम्न हो सकते हैं:
  - बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है।
  - अपराधी बच्चे के साथ उसी घर में या साझा घर में रहता है।
  - बच्चा सी.सी.आई. में है और माता–पिता के सहारे के बिना है।
  - बच्चा बगैर घर के या माता–पिता के सहारे के बिना है।
- बच्चे/परिवार को सूचित करें कि सी.डब्ल्यू.सी. शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और/या स्पॉन्सरशिप सहित बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की जरूरतों को संबोधित करेगी।
- बच्चे और परिवार को आश्वस्त करें कि यदि परिस्थितियां अनुमति देती हैं तो बच्चे को परिवार के साथ वापस लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
- बच्चे और परिवार के संपर्क में रहें और फॉलो–अप के लिए महीने में कम से कम एक बार बच्चे से व्यक्तिगत रूप से मिलें।

2.3 सी.डब्ल्यू.सी. के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

- यदि सहायक व्यक्ति सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा नियुक्त किये जाने से पहले ही बच्चे की सहायता कर रहा है तो सी.डब्ल्यू.सी. के साथ प्रकरण के विवरण और उनके हस्तक्षेप पर चर्चा करें और प्रकरण से संबंधित किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज को समिति के साथ साझा करें।
- सी.डब्ल्यू.सी. से उन्हें उस विशेष प्रकरण में सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने का आदेश प्राप्त करें, और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे आदेश की प्रतियां प्राप्त करें। सहायक व्यक्ति की नियुक्ति का आदेश पुलिस को सौंप दिया गया है कि नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी. के साथ फॉलो–अप करें।
- यदि बच्चा/परिवार व्यक्तिगत रूप से सी.डब्ल्यू.सी. नहीं जा सकते हैं तो सी.डब्ल्यू.सी. से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चे और परिवार से मिलने का अनुरोध करें।
- सी.डब्ल्यू.सी. के साथ संपर्क करें और यह निर्धारित करें कि परिवार को कब सी.डब्ल्यू.सी. के सामने प्रस्तुत होना है, परिवार को इसकी जानकारी दें।
- सी.डब्ल्यू.सी. को प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्ट में बच्चे की देखभाल, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक खुशहाली, आघात से उपचार की दिशा में प्रगति और पॉक्सो नियमों में सुझाए गए अन्य विवरणों को शामिल करने की आवश्यकता होती है।

मासिक रिपोर्ट हेतु एक प्रारूप को अनुलग्नक 2 में सुझाव के रूप में शामिल किया गया है।

यदि बच्चा अल्पावधि के लिए सी.डब्ल्यू.सी. की देखरेख में है, तो हम देखते हैं कि अगले 1–2 महीनों में क्या होता है जैसे कि प्रकरण के आधार पर चिकित्सा, बच्चे की आयु–निर्धारण और परामर्श। यदि बालिका गर्भवती है और विस्तारित अवधि के लिए सी.सी.आई. में रहेगी, तो हम एक ऐसे संस्थान की पहचान करते हैं जहाँ वह रह सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है और कुछ शिक्षा/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। अगर बच्चा माता–पिता के साथ रहने वाला है, तो हम बच्चे के रहने के स्थान के माहौल का ऑकलन करते हैं और निगरानी करते हैं कि बच्चा कैसे रह रहा है। यदि बच्चे को दीर्घकालिक या विस्तारित देखभाल की आवश्यकता होती है, तो योजना बदल जाती है। योजना के अनुसार अन्य कई हस्तक्षेपों का समन्वय भी सहायक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

–सी.डब्ल्यू.सी.सदस्य, अहमदनगर



सहायक व्यक्तियों के लिए टिप्स

1. प्रासंगिक दस्तावेजों और पहचान के साथ एक प्रशिक्षित सहायक व्यक्ति के रूप में सी.डब्ल्यू.सी. से मिलें और अपना परिचय दें।
2. किसी भी हितधारक द्वारा बाल अनुकूल प्रक्रियाओं में कमियां होने पर संभावित हस्तक्षेप के लिए इसे सी.डब्ल्यू.सी. के संज्ञान में लाना।
3. पॉक्सो मामलों की रिपोर्ट सी.डब्ल्यू.सी. को भेजी जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि इसे नियमानुसार भेजा जाए।
4. परिवार को सुझाव दें कि सी.डब्ल्यू.सी. के साथ बैठक के दौरान/समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है तो बैठक के लिए आते समय भोजन–पानी साथ लेकर आएं।



3. बच्चे की देखरेख व संरक्षण में सहायक व्यक्ति की भूमिका

सी.डब्ल्यू.सी. जरूरतमंद बच्चे की देखभाल और सुरक्षा का निर्धारण करती है। सहायक व्यक्ति जहाँ भी आवश्यक हो, प्रक्रिया में सहायता कर सकता है।

3.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

नियम 4(4) व 4(5), पॉक्सो नियम 2020	सी.डब्ल्यू.सी.बाल पीड़ितों की देखभाल और सुरक्षा की जरूरतों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी और तीन दिनों के भीतर, या तो स्वयं या सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से यह निर्धारित करेगी कि क्या बच्चे को उसके परिवार या साझा घर के संरक्षण से बाहर निकालकर बाल गृह या आश्रय गृह में रखे जाने की आवश्यकता है या नहीं।[36]
नियम 1.(2), पॉक्सो नियम, 2020	सी.डब्ल्यू.सी., डी.सी.पी.यू. और सहायक व्यक्ति की सहायता से, बैंक खाता खोलने या पहचान प्रमाण की व्यवस्था करने की प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगी।
नियम 8(1), पॉक्सो नियम, 2020	भोजन, कपड़े, परिवहन और अन्य आवश्यक जरूरतों जैसे आकस्मिक व्यय के रूप में प्रदान की जाने वाली विशेष राहत, हेतु सी.डब्ल्यू. सी. निम्नलिखित में से किसी को भी तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है:

[36] The JJ Act 2015, Section 31

	(क) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) धारा 357 ए के अंतर्गत या (ख) डी.सी.पी.यू.को, राज्य द्वारा निर्धारित की गई निधियों में से या (ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अंतर्गत रखी गई धनराशि।
धारा 37(एफ), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	सी.डब्ल्यू.सी. पूरक सहायता प्रदान करने के लिए स्पांसरशिप आदेश पारित कर सकती है।

3.2 बच्चे तथा परिवार के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

सहायक व्यक्ति, इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सुविधा को सुनिश्चित करते हुए पुलिस और चिकित्सा सुविधा/चिकित्सक के बीच अभिसरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

विशेष रूप से सहायक व्यक्ति निम्न कर सकते हैं:

- मुआवजे और जुर्माने की राशि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए बैंक खाते खोलने और पहचान प्रमाण दस्तावेज प्राप्त करने में बच्चे और परिवार की सहायता करें। इसकी सूचना सी.डब्ल्यू.सी. को दें।
- जहां आवश्यक हो, बच्चे और परिवार/अभिभावक को समझाएं कि सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा बच्चे को बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) में स्थानांतरित करना क्यों आवश्यक समझा है!– ऐसी जानकारी बाल सहायक तरीकों से साझा किया जाना चाहिए:
  - *''ऐसा लगता है कि आपका घर अभी आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इस बारे में आपके विचार क्या हैं?''*
  - *"सी.डब्ल्यू.सी. ने ऑकलन किया है कि आपका अभी के लिए सी.सी.आई. में रहना सुरक्षित हो सकता हैं; इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है?''*
  - *''हॉस्टल में जीवन आपकी आदत से अलग होगा। लेकिन आप वहां सुरक्षित रहेंगे। क्या इस बारे में आपकी कोई चिंता या सवाल हैं?''*
  - *''मैं जल्द ही अंदर आऊंगा/आऊंगी और आपसे मिलूंगा/मिलूंगी। जब तक सी. डब्ल्यू.सी. आपकी सुरक्षा और कुशलता का ऑकलन नहीं कर लेती, तब तक यह अस्थायी व्यवस्था है।''*

सामाजिक जांच रिपोर्ट (एस.आई.आर.): कुछ मामलों में जहां बच्चा सी.सी.आई. में रह रहा है, वहाँ किशोर न्याय अधिनियम (2015) की धारा 30(3) के अनुसार सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा एक गैर सरकारी संगठन से संबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत में कार्यरत सहायक व्यक्ति से बच्चे की सामाजिक जांच करते हुये सामाजिक जाँच रिपोर्ट (एस.आई.आर.) प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है। एस.आई.आर. में बच्चे की आर्थिक, सामाजिक, मनो–सामाजिक परिस्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर बच्चे की स्थिति और जे.जे. आदर्श नियम, 2016 के नियम 2(17) के अंतर्गत निर्धारित सिफारिशों के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है।

जे.जे. आदर्श नियम, 2016 के फॉर्म 22 के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता/केसवर्कर/बाल कल्याण अधिकारी द्वारा एस.आई.आर. तैयार और जमा किए जाने की स्थिति में, उस विशिष्ट प्रकरण में नियुक्त सहायक व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रासंगिक जानकारियाँ शामिल और सटीक हैं, अपने सुझाव प्रदान कर सकता है।

व्यक्तिगत देखभाल योजना (आई.सी.पी.): जे.जे. आदर्श नियम, 2016 के नियम 2(6) में परिभाषित आई.सी.पी., सी.सी.आई. के केसवर्कर द्वारा मामलों के लिए फॉर्म 7 में सबमिट किया जाता है। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अनुरोध और आवश्यकता महसूस करने पर सहायक व्यक्ति किसी विशेष प्रकरण के लिए सी.सी.आई. और केसवर्कर की सहायता कर सकता है।

सी.डब्ल्यू.सी. से जुड़े सहायक व्यक्तियों के अनुभव

जब मैं एक सहायक व्यक्ति के रूप में, पुलिस या मजिस्ट्रेट के साथ बातचीत करता हूं, तो वे जानते हैं कि सी.डब्ल्यू.सी. की कुछ भूमिका और अधिकार हैं, तो इस तरह से मेरे पास एक प्रकार का समर्थन है। जब हमें सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह हमें प्रक्रियाओं को तेज करने, जानकारी प्राप्त करने और बच्चे की मदद करने में भी मदद करता है।

– सहायक व्यक्ति, दिल्ली

हमने अंतर–न्याय क्षेत्राधिकार (अंतर–जिला और अंतर–राज्य) प्रकरणों के समन्वय में सी. डब्ल्यू.सी. की सहायता प्राप्त की है। ऐसे प्रकरणों में जहां बच्चा किसी अन्य क्षेत्राधिकार से था या एक नाबालिग बालिका गर्भवती थी और उसे गर्भ समाप्ति के लिए सहायता की आवश्यकता थी, हमने इन अधिकार क्षेत्र में कार्यरत् सी.डब्ल्यू.सी., डी.सी.पी.यू. और पुलिस जैसे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद की है। आश्रय, स्वास्थ्य देखरेख तक पहुँच, वित्तीय राहत और बाल संरक्षण सेवाओं की सहायता प्रदान की गई है।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

बच्चों को पॉक्सो अधिनियम और किशोर अधिनियम, 2015 में प्रदान किए गए प्रावधानों और सेवाओं का लाभ मिल सके इसके लिये सी.डब्ल्यू.सी. और सहायक व्यक्ति को प्रकरणों पर चर्चा करनी चाहिये। जब कोई मामला जटिल होता है, तो सहायक व्यक्ति एक प्रकरण में समन्वय शुरू कर सकता है, जिसमें बच्चों के साथ काम करने में प्रशिक्षित/अनुभवी संगठनों और व्यक्तियों को, उस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, सबसे उपयुक्त अगले कदमों पर गोपनीय रूप से विचार–विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

– अधिवक्ता, बाल अधिकार कार्यकर्ता, मुंबई

4. चुनौतियां और संभावित समाधान

सहायक व्यक्तियों ने सी.डब्ल्यू.सी. के साथ काम करते समय कई परिस्थितियों/चुनौतियों का सामना किया है। उन्हें संबोधित करने के कुछ संभावित तरीके नीचे सूचीबद्ध हैं:

दूसरे राज्य की 12 वर्षीय सपना पर कर्नाटक के एक जिले में लैंगिक हमला किया गया और वह गर्भवती हो गई। उसके माता–पिता को एम.टी.पी. के लिए सहमति देने और सपना को उसके गृह राज्य वापस ले जाने के लिए जिले की विज़िट करने की आवश्यकता थी। एक सहायक व्यक्ति कैसे सहायता कर सकता है?

जिले में सी.डब्ल्यू.सी. के निर्देशों के माध्यम से, सहायक व्यक्ति उस राज्य की सी.डब्ल्यू.सी. से संपर्क कर सकते हैं जहां सपना के माता–पिता रहते हैं और उसके माता–पिता के जिले के डी.सी.पी.यू. द्वारा टिकट बुक कराते हुये कर्नाटक की यात्रा को सुगम करा सकते हैं। सपना की अपने गृह राज्य में वापसी/प्रत्यावर्तन हेतु दोनों राज्यों की सी.डब्ल्यू.सी. के बीच समन्वय कर परिवार के लिए वित्तीय राहत और यात्रा व्यवस्था किया जाना है। अन्य राज्यों में यदि कोई एन.जी.ओ. हो, तो इस तरह के अंतर–जिला/अंतर–राज्यीय समन्वय को करा पाने में सक्षम हों तो उनसे भी संपर्क किया जा सकता है।

समुदाय के एक धार्मिक मुखिया ने रेवा पर लैंगिक हमला किया और यह प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण वापस लेने के लिए आरोपी ने मां पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

सी.डब्ल्यू.सी. ने इस प्रकरण के लिए सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्त एन.जी.ओ. स्टाफ से रेवा की सुरक्षा का ऑकलन करने के लिए गृह अध्ययन/जाँच करने का अनुरोध किया। जब यह पता चला कि रेवा अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो उसे सी.सी.आई. में रखा गया। सी.डब्ल्यू.सी. ने सहायक व्यक्ति को रेवा के संपर्क में रहने, उसकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और सुनवाई के लिए न्यायालय में उसके साथ जाने के लिए कहा। रेवा और उसकी

मां के बीच किसी भी बातचीत को सी.डब्ल्यू.सी. की अनुमति से सहायक व्यक्ति द्वारा सुगम बनाया गया था।

सीमा एक 14 वर्षीय लड़की है जो अपनी मां के लिव–इन पार्टनर के द्वारा लैंगिक हमले के बाद गर्भवती हो गई थी। मां ने शिकायत दर्ज करने और गर्भपात कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया। सहायक व्यक्ति की क्या भूमिका है?

सी.डब्ल्यू.सी .ने एम.टी.पी. के दौरान सीमा की मदद करने के लिए एक सहायक व्यक्ति को नियुक्त किया, जो नियमित रूप से उससे मिले और जाँचे कि सीमा खतरे में तो नहीं है या उसके साथ कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है। साथ ही सीमा ने फिर से पढ़ाई शुरू की है या नहीं। गर्भ की समाप्ति के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि सीमा की माँ अपनी बेटी को न्यायालय में अपने बयान से मुकरने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी और उसने सीमा से वादा किया कि अपराधी जल्द ही उससे शादी कर लेगा। सहायक व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर, सी.डब्ल्यू.सी. ने बच्चे को उसकी मां के संरक्षण से हटाने और उसकी सुरक्षा और निरंतर शिक्षा के लिए सी.सी.आई. में रखने का फैसला किया।

17 साल की अनु, 20 साल के लड़के के साथ रिश्ते में थी और उसके साथ भाग गई थी। लड़के ने लड़की से एक मंदिर में शादी की थी और फिर शादी समाप्त कर ली थी। मामला दर्ज होने के बाद, जब उसके 'पति' को गिरफ्तार कर लिया गया तो अनु का दिल टूट गया और वह अपने माता–पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे सी.सी.आई. में रखा गया और एक सहायक व्यक्ति नियुक्त किया गया था। अनु द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने पर परिवार को सी.डब्ल्यू.सी. बुलाया गया था। अनु पूरी जाँच के दौरान असहयोगी रही और मुकदमे के दौरान मुकर गई। उसने सहायक व्यक्ति के साथ सहयोग करने और बात करने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में सहायक व्यक्ति क्या कर सकते हैं?

सहायक व्यक्ति ने सी.डब्ल्यू.सी. से संपर्क किया, इस प्रकरण पर अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया क्योंकि अनु सहायक व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करना चाहती थी। चूंकि अनु का परिवार कानूनी प्रक्रियाओं से जूझ रहा था, इसलिए सहायक व्यक्ति ने जांच और ट्रायल के दौरान उनकी मदद की। सी.डब्ल्यू.सी. ने अनु को बुलाया, प्रकरण का मूल्यांकन किया और अंतर को पाटने की कोशिश की। अनु ने सीधे तौर पर कहा कि वह सहायक व्यक्ति या कोई अन्य मदद नहीं चाहती हैं। सी.डब्ल्यू.सी. ने चर्चा की और सहायक व्यक्ति की सेवाओं की समाप्ति का पत्र जारी किया।

जब बच्चा और परिवार सहायक व्यक्ति की सेवाओं को जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो सी.डब्ल्यू.सी. पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 4(11) के अनुसार उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी कर सकती है और पुलिस और विशेष न्यायालय को इसकी सूचना देगी।

5. अनुलग्नक 1

बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु सुझाया गया प्रारूप (बाल कल्याण समिति द्वारा सहायक व्यक्ति की नियुक्ति हेतु आदेश) (प्रासंगिक विवरण भरें)

(बाल कल्याण समिति, (जिला/स्थान) (किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अंतर्गत गठित है तथा समिति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं)।

(संदर्भ संख्या) (दिनांक)

विषयः पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित बच्चे हेतु सहायक व्यक्ति की नियुक्ति।

संदर्भः (एफ.आई.आर. संख्या) (दिनांक)

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020, के नियम 4(8) के अनुपालन में, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.)(जनपद/स्थान) थाना, (श्रेत्राधिकार) के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... के अनुसार (बच्चे का नाम) पुत्र/पुत्री श्रीमति (माता का नाम) तथा तथा (पिता का नाम) के प्रकरण में श्री (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम) को जाँच और परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बच्चे तथा परिवार को सहायता प्रदान करने हेतु ''सहायक व्यक्ति'' नियुक्त करती है।

(सहायक व्यक्ति का पूरा नाम), आगे से इस प्रकरण में सहायक व्यक्ति के रूप में संदर्भित होंगे तथा समन्वय से संबंधित मामलों/विषयों के लिए संपर्क का बिंदु होंगे और पॉक्सो नियमावली, 2020 और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अन्य दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

सहायक व्यक्ति का विवरणः

पूरा नाम मोबाइल नंबर ई–मेल

जैसा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) नियम, 2020 के नियम 4 (10) के अनुसार जाँच अधिकारी (जाँच अधिकारी का पूरा नाम) द्वारा संबंधित माननीय विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति के 24 घंटों के भीतर नियुक्ति के बारे में सूचित कराना अनिवार्य है। अतः एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि जाँच अधिकारी द्वारा (बच्चे का पूरा नाम), पुत्र/पुत्री (माता–पिता का पूरा नाम) के लिए सहायक व्यक्ति के रूप में श्री/श्रीमति (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम), की नियुक्ति के बारे में माननीय विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड को सूचित किया जाये।

कृपया सहायक व्यक्ति को आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद,

(बाल कल्याण समिति की मुहर)
अध्यक्ष/सदस्य

प्रतिलिपिः
1. संबंधित जांच अधिकारी (आई.ओ.) (नाम), थाना, (क्षेत्राधिकार)
2. जिला बाल संरक्षण इकाई, (जिला)
3. (सहायक व्यक्ति का पूरा नाम)

5. अनुलग्नक–2

सहायक व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट जमा करने हेतु सुझाया गया प्रारूप – भाग 1

प्रकरण विवरण

सहायक व्यक्ति आदेश प्राप्त हुआ (हाँ/नहीं)		सहायक व्यक्ति का नाम	
प्रकरण की जानकारी का सोर्स		थाना	
पीडित का नाम		एफ.आई.आर. सं.	
पीड़ित की उम्र		एफ.आई.आर. की तारीख	
घटना की तारीख		शिकायतकर्ता का नाम	
माँ का नाम		पिता का नाम	
चार्जशीट दाखिल करने की तारीख		कोर्ट हॉल सं.	
विद्यालय		विशेष सी.सी. सं.	
आरोपी से संबंध		आरोपी की उम्र	
केस का संक्षिप्त विवरणः			

दिनांकों और आगे के चरणों का विवरण

घटना/विवरण	दिनांक/तारीखें
161 का बयान	
164 का बयान	
चिकित्सा परीक्षण	
मुआवजा लागू	
आरोपी को बेल	
बच्चे के साक्ष्य	
सजा तथा आदेश	

अनुलग्नक 2

सहायक व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति को मासिक रिपोर्ट जमा करने हेतु सुझाया गया प्रारूप – भाग 2

बच्चे का नामः.....

दिनांकः.....

जिलाः.....

बाल कल्याण समिति प्रकरण संख्या.....

प्रकरण की स्थिति			
बच्चे के वर्तमान निवास का पता तथा स्थान (किसके साथ रह रहा है)			
देखभालकर्ता का नाम			
बच्चे की स्थिति तथा देखभाल			
बच्चे की कुशल–क्षेम	शारीरिक	भावनात्मक	मानसिक
परिवारिक स्थिति (परिवार के सदस्यों / देखभालकर्ता का रोज़गार, परिवार के अन्य सदस्यों की कुशलता)			
बच्चे तथा परिवार की आघात से उबरने संबंधी प्रगति			
चिकित्सा सुविधा के साथ बच्चे का जुड़ाव			
बच्चे हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हस्तक्षेप			
पुर्नवासः –बच्चे की बहाली / निरंतर शिक्षा –पुनः एकीकरण –प्रायोजन			
माह में बच्चे / परिवार के साथ बातचीत की तारीखें			
विशेष टिप्पणी			

अध्याय 7

पीड़ित बच्चों का पुनर्वास तथा अन्य हस्तक्षेप



1 बच्चे के पुर्नवास में सहायक व्यक्ति की भूमिका

2 पुर्नवास हेतु बाल देखरेख संस्था में बच्चे का स्थानन

3 चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान

बाल पीड़ित और उनके परिवारों को कई प्रकार की जानकारी और सहायता की आवश्यकता हो सकती है जो उपचार, समापन, जाँच या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी पुनर्वास और पुनः एकीकरण को सक्षम बनाने में सहायक है। बच्चे और परिवार को सामाजिक सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों (एम.एच.पी.), कानूनी सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, और कभी–कभी शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जुड़ने की आवश्यकता होगी। जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.), बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) और सहायक व्यक्ति उन व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों, पेशेवरों और विशेषज्ञों से परिचित हो सकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र/जिले में उपरोक्त सेवाएं प्रदान करते हैं और वे जरूरत पड़ने पर बच्चे और परिवार को उन्हें संदर्भित कर सकते हैं।

पुनर्वास, बच्चे के जीवन को सामान्य बनाने, बच्चे की समग्र भलाई और उसे आघात से उबारने, बच्चे और परिवार को मनो–सामाजिक सहायता प्रदान करने में सहायता करने पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर पेशेवरों और विशेषज्ञों को संदर्भित करके और पुनर्वास के दौरान बाल–केंद्रित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ समन्वय करके ही इसे पूरा किया जा सकता है।

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

1. बच्चे के पुर्नवास में सहायक व्यक्ति की भूमिका

एक बच्चा जो लैंगिक हिंसा का पीडित है और जो आपराधिक न्याय प्रणाली का भी सामना कर रहा है, उसे प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यापक पुनर्वास और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे के पुनर्वास को सुगम/सक्षम करने के लिए आपराधिक प्रकरण (जाँच की समाप्ति) के समाप्त होने के बाद भी इस समर्थन को जारी रखने की आवश्यकता हो सकती है।

1.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

नियम 4(6), पॉक्सो नियम, 2020	बच्चे के सर्वोत्तम हित में उसके द्वारा व्यक्त की गई वरीयता/राय को ध्यान में रखते हुये उसके स्थानन (सी.सी.आई., पालक (फोस्टर) देखभाल, गोद देना, परिवार के साथ पुनः एकीकरण, माता–पिता की क्षमता, बच्चे की उम्र, परिपक्वता का स्तर, दिव्यांगता और ऐसे अन्य कारकों) से संबंधित सभी सिफारिशें की जानी चाहिये।
धारा 37(1) व (2), किशोर न्याय अधिनियम 2015	उक्त धारा में सी.डब्ल्यू.सी. एक बच्चे के संबंध में उसको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता (सी.एन.सी.पी.) वाला बालक घोषित करने, बच्चे की उसके परिवार में वापसी, किसी संस्था में या किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ या पालक देखभाल में स्थानन, स्पॉन्सरशिप

	और बच्चे को गोद देने के लिए कानूनी रूप से मुक्त करने के आदेश पारित कर सकती है।
धारा 39(1) किशोर न्याय अधिनियम, 2015	एक बच्चे का पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण, 'प्राथमिकता के आधार पर, परिवार या अभिभावक के पर्यवेक्षण या उसके बिना घर वापसी या स्पॉन्सरशिप या गोद देने या पालक देखभाल' जैसे परिवार–आधारित देखभाल के माध्यम से होगा।
धारा 2 (58), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	एक बच्चे की शिक्षा, चिकित्सा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय या अन्य पूरक सहायता के प्रावधान के रूप में स्पॉन्सरशिप को परिभाषित करता है।
धारा 30(13), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लैंगिक शोषण के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए सी.डब्ल्यू.सी. को कार्रवाई करनी है और ऐसे बच्चों को एस.जे.पी.यू. या स्थानीय पुलिस द्वारा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सी.एन.सी.पी.) के रूप में सी.डब्ल्यू.सी. को रिपोर्ट किया जाता है।

सहायक व्यक्ति आवश्यकतानुसार निम्नलिखित में सहायता कर सकता है

- **सुरक्षा और संरक्षणः** सहायक व्यक्ति, सी.डब्ल्यू.सी., पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) के समन्वय से, बच्चे और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा सकता है।
  - सहायक व्यक्ति बच्चे और परिवार को वैकल्पिक आवास खोजने में मदद कर सकते हैं और उन्हें ऐसे लोगों से जोड़ सकते हैं जो उन्हें स्थानांतरित करने में सहायता कर सकते हैं।
  - पता करें कि क्या बच्चा आरोपी और/या उनके सहयोगियों के प्रभाव और निकटता में है और ऐसा होने पर सी.डब्ल्यू.सी. और पुलिस को रिपोर्ट करें।
  - स्थानांतरित होने पर, सहायक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं तक पहुँचने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए।

- **स्वास्थ्यः** बच्चे, परिवार के सदस्यों/अभिभावकों के साथ बातचीत और परिस्थिति के आधार पर, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जा सकता हैः
  - यदि बच्चा तनाव या आघात का अनुभव कर रहा है, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के पास संदर्भित करें।
  - यदि बच्चे को चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, तो बच्चे और विश्वसनीय वयस्क को डॉक्टर/अस्पताल से जोड़ें।

- यदि लड़की गर्भवती है, तो उसे ऐसे अस्पताल से जोड़ें जो उसकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें।
- यदि बच्चा एच.आई.वी. पॉजिटिव है या यौन संचारित रोगों से संक्रमित है, तो बच्चे को आवश्यक विशेषज्ञता वाली सेवाओं और संगठनों से जोड़ें।

- **शिक्षाः** बच्चे की दिनचर्या के सामान्य होने का मतलब अक्सर शिक्षा को फिर से शुरू करना हो सकता है। निम्नलिखित का अनुसरण किया जा सकता हैः
  - यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है उसकी शिक्षा पुनः शुरू करना/उसे फिर से नामांकित करना सुनिश्चित करना। यदि बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है, तो इस पर चर्चा कर समाधान निकाला जा सकता है, और बच्चे को फिर से शिक्षा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
  - सहायक व्यक्ति शिक्षा विभाग के छात्रवृत्ति कार्यक्रमों तक पहुँचने में बच्चे की सहायता कर सकते हैं।
  - एक सहायक व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित आवासीय, शैक्षणिक संस्थानों जैसे जवाहर नवोदय शैक्षणिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय या राज्य द्वारा संचालित अन्य आवासीय विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने में बच्चे की सहायता कर सकता है।
  - वित्तीय कठिनाइयो की स्थिति में, सहायक व्यक्ति परोपकारी संगठनों या बच्चे को स्पॉन्सर करने के इच्छुक व्यक्तियों से भी जुड़ सकते हैं या उनकी शिक्षा के लिए उन्हें, उनके क्षेत्र में लागू की गई सरकारी योजनाओं को भी संदर्भित कर सकते हैं।
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग करें।

कभी–कभी एक सहायक व्यक्ति के रूप में हमारा काम निर्धारित भूमिकाओं और कानूनी प्रावधानों से आगे निकल जाता है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवारों को यह नहीं पता होगा कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। एक बच्चे के माता–पिता एक झोपड़ी में रहते थे और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हमें जिला प्राधिकरण से संपर्क कर उनका आधार कार्ड बनवाना पड़ा।

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

- **व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षणः**
  - जहाँ कोई बच्चा स्कूल जाने का इच्छुक नहीं है या वह फिर से स्कूल शुरू नहीं कर सकता है, सहायक व्यक्ति उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास केंद्रों

से जोड़ सकते हैं जो उनमें कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। ऐसा करना बच्चे की वित्तीय स्वतंत्रता को सक्षम बनाता है।

- सहायक व्यक्ति बच्चे और परिवार की सहमति से उन्हें प्रशिक्षण संस्थानों को संदर्भित कर सकते हैं, और सी.डब्ल्यू.सी. की मदद से इस प्रक्रिया को सुविधाजनक भी बना सकते हैं।

- **दस्तावेज तैयार करने में सहायताः**
  - सहायक व्यक्ति परिवारों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड जैसे पहचान दस्तावेज प्राप्त करने, बैंक खाते खोलने में सी.डब्ल्यू.सी./डी.सी.पी.यू./सी.सी.आई. के समन्वय और सहायता से मदद कर सकते हैं।
  - परिवारों को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों को इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने में सहायता की जा सकती है, जैसे कि एफ.आई.आर. की प्रति, चिकित्सा रिपोर्ट, बयान और चार्जशीट।

सहायक व्यक्तियों के संबंध में बच्चे और माता–पिता के कथन

मैं अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित था। मुझे नहीं पता था कि मैं 12वीं से आगे पढूंगा या नहीं। सहायक व्यक्ति ने मुझे सब कुछ सुलझाने में मेरी मदद की – मुझे कौन सा कॉलेज और कौन सा विषय चुनना चाहिए। उन्होंने रहने के लिए एक अच्छी जगह खोजने में भी मदद की क्योंकि जिस जगह पर मैं पहले रह रहा था, वह भयानक थी। उन्हें मेरे लिए 15–20 दिनों के भीतर एक प्रायोजक भी मिल गया। मेरे प्रायोजक मेरी ट्यूशन, बोर्डिंग और कभी–कभी मेरे अन्य खर्चों की देखभाल करते रहे, यदि मुझे तत्काल मदद की जरूरत होती, तो वे वहां होते थे। जब भी मैं उन्हें बताता था कि जो प्रकरण चल रहा है, उसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, तो वे हमेशा समर्थन के लिए मौजूद रहते थे।

–बाल पीड़ित, बेंगलुरु

एक खराब शैक्षणिक पृष्ठभूमि के चलते मुझे ज्यादा सांसारिक ज्ञान नहीं है। सभी प्रकरणों में सहायक व्यक्ति मेरे साथ खड़े रहे हैं। कोर्ट में केस की पूरी अवधि के दौरान एक सहायक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद थे। अस्पताल के खर्च के लिए उन्होंने अस्पताल में चिकित्सकों के साथ चर्चा और समन्वय से हमारी मदद की। सहायक व्यक्ति के बात करने के तरीके, व्यवहार, भरोसे और जिस तरह से वे गोपनीयता बनाए रखते हैं, उसने मुझे जबरदस्त साहस दिया है। जब मैं 3 महीने के लिए अस्पताल में थी, अपने बच्चे की देखभाल कर रही थी, सहायक व्यक्ति अस्पताल के खर्च और मेरे घर के किराए का भुगतान करने के लिए पैसे जुटाने में पूरी मदद कर रहे थे।

–एक बाल पीड़िता की मां, बेंगलुरु

सहायक व्यक्ति से मिलने से पहले, मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को वापस गांव ले जाऊंगी। उनसे मिलने के बाद मैंने अंदर से ताकत महसूस की और मैने सोचा कि मैं इस स्थिति से भागूंगी नहीं। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। हमने सोचा था कि हम चले जाएंगे क्योंकि हमारा बेंगलुरु में कोई नहीं था, लेकिन अब नहीं। सहायक व्यक्ति से मिलने और उनसे बात करने के बाद हमें ताकत मिली। मेरी बेटी को फिर से स्कूल में भर्ती कराया गया है और अब वो पिछले 3 वर्षों से पढ़ाई कर रही है।

–एक बाल पीड़िता की मां, बेंगलुरु

पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायक व्यक्तियों के कथन

एक प्रकरण में बालिका के माता–पिता भी सह आरोपी थे। बालिका को बहुत समर्थन और भावनात्मक सहयोग की जरूरत थी। ऐसे परिदृश्य में, परिवार में पुनः वापसी कठिन है, लेकिन सी.डब्ल्यू.सी. और हम बच्चे को माता–पिता के साथ फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमारे हस्तक्षेप से, उसने अपने बड़े भाई से बात करना शुरू कर दिया।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

मेरे लिए, पुनर्एकीकरण जीवन को 'सामान्य' करने में नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और इसका अर्थ है बच्चे को पूरी व्यवस्था में वापस लाना...बच्चे को, परिवार को जो भी चाहिए, जो भी स्थिति की मांग हो –उनकी सहायता करना, उन्हें सामान्य परिस्थितियों में वापस लाना।

–सहायक व्यक्ति, चेन्नई

2. पुर्नवास हेतु बाल देखरेख संस्था में बच्चे का स्थानन

एक परिवार को बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। जे.जे. अधिनियम यह भी दोहराता है कि किसी भी बच्चे को संस्थागत करना, अंतिम उपाय होना चाहिए। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जहां बच्चे अपने घरों और अन्य स्थानों पर, जहां वे अपने परिवार के सदस्यों/अभिभावकों के साथ रहते हैं, लैंगिक हिंसा का सामना करते हैं। इसलिये उन्हें अस्थायी या लंबी अवधि के लिए सी.सी.आई. में रखने की आवश्यकता हो सकती है।

2.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

धारा 39(3), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें किसी भी कारण से उनके परिवारों के साथ नहीं रखा गया है, उन्हें एक पंजीकृत सी.सी.आई. में या किसी उचित व्यक्ति के साथ या एक उचित सुविधा में, अस्थायी या दीर्घकालिक आधार पर, पुनर्वास की

	प्रक्रिया में रखा जा सकता है। जहां भी बच्चे को रखा जाता है, वहीं से एकीकरण किया जाना चाहिए।
धारा 3(12) किशोर न्याय अधिनियम, 2015	सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, एक बच्चे को उचित जांच करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा।
धारा 3(13), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को अपने परिवार के साथ जल्द से जल्द फिर से मिलाने और उसी सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होने का अधिकार है जिसमें वे थे; केवल तभी जब इस तरह की बहाली और प्रत्यावर्तन बच्चे के लिए एक स्वस्थ और पोषण वातावरण प्रदान करने के लिए अनुकूल हो।

सी.सी.आई. में रहने वाले पीड़ित बच्चे की सहायता करने में सहायक व्यक्ति की भूमिका

- जाँच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से सी.सी.आई. के केसवर्कर्स के साथ काम कर सकते हैं।
- व्यक्तिगत देखभाल योजना (आई.सी.पी.) और सामाजिक जाँच रिपोर्ट (एस.आई.आर.) तैयार करते समय सी.सी.आई. को जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
- जाँच और परीक्षण के दौरान बच्चे के साथ रहें और सी.डब्ल्यू.सी. को अपडेट करें।
- केस वर्कर के माध्यम से या जब आप बच्चे से सी.सी.आई. में मिले, बच्चे को प्रकरण की प्रगति, चार्जशीट जमा करने, आरोपी की स्थिति और साक्ष्य के लिए निर्धारित तारीखों के बारे में सूचित करें।

बच्चों, परिवार और देखभाल कर्ताओं हेतु पुनर्वास के हिस्से के रूप में पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास

पुनर्स्थापनात्मक अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग बच्चों, परिवारों, नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) और प्रभावित समुदाय के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है, ताकि घटना की प्रकृति को समझा जा सके और एक ऐसा रास्ता अपनाया जा सके जिसमें मुख्य केन्द्र में पीड़ित और परिवार का उपचार हो। प्रक्रिया, व्यवहार बदलने, संबंधों को बहाल करने, स्वीकृति और कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने पर केंद्रित होती है। विशेषज्ञ टूटे हुए रिश्तों को पुनः जोड़ने के लिए एक पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और सभी प्रभावित पक्षों को आगे बढ़ने में सक्षम बना सकते हैं।

यहाँ अपराधी के लिए दंड के विकल्प के रूप में पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण और अभ्यासों की पैरवी कतई नहीं की जा रही है। यहाँ उन लोगों के साथ बच्चे के संबंध को ठीक करने के

लिए इन अभ्यासों का सहारा लिया जाना चाहिए, जो घटना में शामिल तो नहीं हैं लेकिन जो पहली बार में बच्चे की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, जिससे उस वयस्क पर से बच्चे का विश्वास टूट जाता है। उदाहरण के लिए, जब आरोपी बच्चे का पिता होता है, और माँ को शुरू में बच्चे पर विश्वास नहीं होता – पुनर्स्थापनात्मक दृष्टिकोण और अभ्यास रिश्ते को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सी.सी.आई. में, स्टाफ़ और अन्य बच्चों के साथ परिवार के सदस्यों सहित उपचार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शोषण पीड़ितों के लिए पुनर्स्थापनात्मक चक्र भी अपनाए जा सकते हैं। स्थिति जो भी हो, इस बात का ऑकलन किया जाना चाहिए कि क्या बच्चे को पुनर्स्थापन प्रक्रिया से लाभ होगा!! बच्चे की उचित उम्र होने पर बच्चे की सहमति ली जानी चाहिए।

जिन प्रकरणों में आरोपी उसी घर का होता है, वहां अक्सर परिवार बिखर जाते हैं। उस प्रकरण में अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है, और बच्चा जो चाहता है, और जो गैर अपराधी माता–पिता और उनके भाई–बहन चाहते हैं, के बीच एक अंतर होता है। न्यायालय में गवाही देने के बाद बच्चों को राहत की अनुभूति होती है क्योंकि वे मानते हैं कि न्यायालय ने उनकी बात सुनी। लेकिन बच्चे के पास परिवार से मिलने वाले समर्थन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, या वे यह समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनके साथ क्या हुआ है!! मुझे लगता है कि इन स्थितियों में संबंधों को सुधारने और आघात से उपचार प्रदान करने के लिए पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाएं मदद कर सकती हैं।

–सहायक व्यक्ति, दिल्ली

चुनौतियां तथा संभावित समाधान

बच्चे के पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान, सहायक व्यक्तियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध किये गये है:

रेणु (बाल पीड़ित) और उसकी मां के पास मुआवजे का आवेदन करने के लिए बैंक खाता या वैध आई.डी.नहीं है। सहायक व्यक्ति उनकी कैसे मदद कर सकता है?

सहायक व्यक्ति ने इस क्षेत्र में काम कर रहे एक स्थानीय एन.जी.ओ. से संपर्क किया और स्थानीय पार्षद की मदद से आधार कार्ड बनवाने और बैंक खाता खोलने में बच्ची और उसकी मां की मदद की। इसके बाद, वह बच्ची डी.एल.एस.ए. से मुआवजे की राशि अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करने में सक्षम थी। सी.डब्ल्यू.सी. और डी.सी.पी.यू. की सहायता से सहायक व्यक्ति भी इस प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं।

15 वर्षीय सीमा को उसके पिता ने प्रताड़ित किया और मामला दर्ज किया गया। उसे उसकी सुरक्षा के लिए सी.सी.आई. में रखा गया था, लेकिन वह अपने परिवार को याद करती थी और अक्सर उनसे मिलने के लिए कहती थी। सीमा के गिरफ्तार पिता के बाद मां ने अपने परिवार का भरण–पोषण करने के लिए दो जगह काम किया और इसलिए सीमा को घर पर नहीं रख सकी। सीमा के भाई का भी ख्याल रखना था। क्या इस प्रकरण में सहायक व्यक्ति पुनःएकीकरण में मदद कर सकता है?

घर जाने के बाद और सीमा के पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद ऐसा लगा कि सीमा अपने घर पर सुरक्षित होगी। सहायक व्यक्ति ने सिफारिश की कि सी.डब्ल्यू.सी. सीमा को उसकी मां के पास वापस भेज दे और सीमा और उसके भाई को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए स्पान्सरशिप के लिए आदेश पारित करे। तदनुसार, सीमा को उसकी माँ के साथ रखा गया, और सहायक व्यक्ति ने बच्चे और परिवार के साथ अपना फॉलो–अप् जारी रखा।

आर्थिक रूप से परिवार का भरण–पोषण करने वाले चेतन के चाचा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद, परिवार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 17 साल के चेतन को जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी और उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। चेतन और उसके परिवार की मदद करने के लिए सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

सहायक व्यक्ति ने सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय की पहचान की और सी.डब्ल्यू. सी. से सिफारिश की, कि चेतन को यहां रखा जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी शिक्षा जारी रखे। सहायक व्यक्ति ने चेतन के माता–पिता को अंतरिम मुआवजे के लिए विशेष न्यायालय में एक आवेदन जमा करने में मदद की – पॉक्सो नियम 2020 का नियम 9(1) – जो मामला दर्ज होने के छः महीने के भीतर दिया जाता है। सहायक व्यक्ति, सी. डब्ल्यू.सी. से अनुरोध कर सकता है कि वह पॉक्सो नियम, 2020 के नियम 8(1), के अतर्गत भोजन, कपड़े, परिवहन और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए विशेष राहत आदेश पारित करे।

अध्याय 8
न्यायिक प्रक्रियायें



1 विषेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रियायें

2 जाँच/परीक्षण के दौरान तथा उपरांत

3 जब प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष हो

4 विशेष न्यायालय द्वारा प्रकरणों की समाप्ति

5 चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान

पॉक्सो अधिनियम, 2012 और नियम, 2020 बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए और प्रक्रिया को यथा संभव बाल अनुकूल बनाने के प्रयास में, विशेष न्यायालय के प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं। प्रावधानों के बावजूद, निराशाजनक वातावरण और अपने आसपास कई वयस्क अजनबियों की उपस्थिति को देखते हुए, न्यायालय अभी भी बच्चों के लिए एक अपरिचित और अक्सर डरावनी जगह हो सकती हैं।

एक सहायक व्यक्ति यह सुनिश्चित कर सकता है कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रदान की गई प्रक्रियाओं का विशेष न्यायालयों में पालन किया जाता है और बाल पीड़ित के लिए आवश्यक मानव संसाधन और पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व की सहायता प्राप्त हो।

1. विशेष न्यायालय/किशोर न्याय बोर्ड का परीक्षण

सहायक व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही की तैयारी में एक बच्चे और परिवार की सहायता कर सकता है।

1.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों की सुनवाई की कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर. पी.सी.) और पॉक्सो अधिनियम द्वारा शासित होती है।

धारा 28(1), पॉक्सो अधिनियम, 2012	त्वरित सुनवाई की सुविधा के लिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालयों या बाल न्यायालयों को अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया जाना चाहिए।
वयस्क अपराधी	जब कथित अपराधी एक वयस्क (18 वर्ष से अधिक आयु का) है, तो विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।
धारा 34(1), पॉक्सो अधिनियम, 2012	जब कथित अपराधी 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है और उसे कानून के उल्लंघन की स्थिति वाले बच्चे (सी.सी.एल.) के रूप में माना जाता है, तो जे.जे.बी. द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार जांच की जानी है।
धारा 32(1), पॉक्सो अधिनियम, 2012	राज्य सरकार को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामलों में मुकद्मा चलाने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक (एस.पी.पी.) नियुक्त करना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार, एस.पी.पी. एक ऐसा वकील होना चाहिए जो 'कम से कम सात साल से अभ्यास/वकालत कर रहा हो'।

धारा 35(1), पॉक्सो अधिनियम, 2012	पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 (1) के अनुसार विशेष न्यायालय को प्रकरण का संज्ञान लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे के साक्ष्य दर्ज करने का प्रावधान करता है।
धारा 4, पॉक्सो अधिनियम, 2012	पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, एक बच्चे को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अपनी पसंद के कानूनी अभ्यासकर्ता की सहायता लेने की अनुमति देती है। यदि परिवार या बच्चे के अभिभावक ऐसे वकील की सेवायें लेने में असमर्थ हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) उन्हें एक वकील प्रदान करेगा।

1.2 परीक्षण/जाँच के पूर्व सहायक व्यक्ति की भूमिका

- पुलिस अधिकारी से कोर्ट रूम नंबर, केस नंबर और एस.पी.पी. का विवरण प्रदान करने का अनुरोध करें।
- एक स्वतंत्र वकील नियुक्त किये जाने के प्रावधान के बारे में बच्चे और परिवार को सूचित करें तथा यदि बच्चा/परिवार ऐसे वकील के लिए अनुरोध करता है तो डी. एल.एस.ए. के माध्यम से ऐसे वकील या निःशुल्क कानूनी सहायता पाने में उनकी सहायता करें।
- न्यायालय का दौरा करें और प्रकरण के लिए एस.पी.पी. से मिलें। बच्चे के साक्ष्य से पहले बच्चे और परिवार/अभिभावक और एस.पी.पी. के बीच एक बैठक की व्यवस्था करवायें।
- प्रकरण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए पुलिस, एस.पी.पी. और कोर्ट क्लर्क से संपर्क करें।

1.3 जमानत के संदर्भ में सहायक व्यक्ति की भूमिका

पॉक्सो नियम, 2020, के नियम 4(15)(8) व सी.आर.पी.सी. की धारा 439(1ए), के अंतर्गत आरोपी की जमानत की कार्यवाही के बारे में बच्चे और परिवार को सूचित करने का अधिकार है। जमानत की सुनवाई के दौरान एस.पी.पी. और बच्चे के वकील को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सहायक व्यक्ति विशेष न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक व्यक्ति निम्न कर सकते हैं:

- जांच अधिकारी और/या एस.पी.पी. से आरोपी द्वारा जमानत अर्जी दाखिल करने के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुनवाई

के दौरान बच्चे के वकील/और/या बच्चे का परिवार मौजूद रहे और उनके समक्ष आदेश पारित किए जायें। इस बारे में बच्चे और परिवार को अपडेट करें।[37]

- जिस घटना में आरोपी को जमानत दी जाती है:
  - एस.पी.पी. या बच्चे के वकील से जमानत आदेश की एक प्रति प्राप्त करें, इसे परिवार को सौंप दें, और उसे समझाएं।
  - जब आरोपी, परिवार का सदस्य हो और जमानत पर रिहा हो तो सी.डब्ल्यू.सी. को सूचित करें और यदि आवश्यक हो तो बच्चे की सुरक्षा की मांग करें।
  - यदि आरोपी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है और बच्चे/परिवार को धमकी दी जाती है या संपर्क किया जाता है तो पुलिस और एस.पी.पी./बच्चे के वकील को सूचित करें।
  - बच्चे/परिवार से एसपीपी/बच्चे के वकील को जमानत रद्द करने के अनुरोध के बारे में बताएं और पुलिस के साथ समन्वय करें।

कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा है –'यदि व्यक्ति जमानत पर बाहर आ गया तो क्या होगा?' 'आरोपी जमानत पर क्यों छूट रहा है?' किसी बच्चे को यह समझाना बहुत कठिन है कि जिस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, उसे जमानत देने का अधिकार क्यों है !! लेकिन हमें परिवार के साथ यथार्थवादी होने की जरूरत है जिससे उन्हें बताया जा सके कि जमानत काफी हद तक अदालत पर निर्भर है और हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो... इस तरह बच्चे और परिवार से ईमानदार बातचीत करना यकीनन मदद करता है।

–सहायक व्यक्ति, दिल्ली

1.4 साक्ष्य के लिये बच्चे को तैयार करने में सहायक व्यक्ति की भूमिका

- ई–कोर्ट पोर्टल की जाँच करके या परिवार को सम्मन जारी किए जाने की जानकारी एस.पी.पी. या अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से प्राप्त करके बच्चे के साक्ष्य की तारीख का फॉलो–अप् करें।
- बच्चे और परिवार को न्यायालय की आगामी सुनवाई की जानकारी देकर, सहायक व्यक्ति और एस.पी.पी. की भूमिका को स्पष्ट करते हुए और उनके प्रश्नों का उत्तर देकर तैयार करें।
- न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में, बच्चे/परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए अनुरोधों तथा किसी विशेष चिंता को एस.पी.पी. और विशेष न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए जिससे बच्चे को अनुचित कठिनाई का सामना न करना पड़े। उदाहरण के

[37] HAQ, Centre for Child Rights, (2-21), Practice Note - Rights of Complainants in POCSO Bail Applications

लिए, किसी बच्चे की साक्ष्य की तिथि को यदि उसके स्कूल की परीक्षा है या यदि बच्चा अस्वस्थ है तो ऐसी तारीख को स्थगित करने हेतु अनुरोध करें।

- यदि बच्चे को एक विशेष शिक्षक, अनुवादक, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर (एम.एच.पी.) या सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों जैसे किसी अन्य विशेषज्ञ की आवश्यकता है, तो एस.पी.पी. से अनुरोध करें कि वह इसके लिए अग्रिम रूप से न्यायालय में आवेदन करें। बच्चे को विशेषज्ञ से परिचित कराने के लिए साक्ष्य की तारीख से पहले विशेषज्ञ और बच्चे के बीच एक बैठक की व्यवस्था करें।
- बच्चे और परिवार को सूचित करें कि उन्हें मुख्य परीक्षा और बहस के लिए एक से अधिक बार न्यायालय जाना पड़ सकता है, और सुनवाई स्थगित भी हो सकती है।
- एक सहायक व्यक्ति, बच्चे से पूछकर सबूत के लिए बच्चे को तैयार कर सकता है, 'क्या आपको याद है कि आपके साथ क्या हुआ था और केस दर्ज होने पर आपने पुलिस अधिकारी से क्या कहा था? जज आपसे इस बारे में सवाल पूछेंगे तो, कृपया कोशिश करें और अपनी याददाश्त पर ज़ोर दें।'

न्यायालय में आरोपी, जो एक पारिवारिक मित्र था और बच्चे को जानता था, ने हमें कुछ धनराशि देने की कोशिश की और हमें मामला बंद करने के लिए कहा, लेकिन मैं यह विकल्प नहीं लेना चाहती थी, बल्कि (मैं चाहती थी) प्रकरण को आगे बढ़ाना चाहती थी। आरोपी ने हमारे भरोसे को तोड़ा था; इसलिए मैंने सहायक व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को साझा किया और मेरी बात सुनकर सहायक व्यक्ति ने मुझे कानूनी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

–पीड़ित बच्ची की मां

2. जाँच/परीक्षण के दौरान तथा उपरांत

2.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

धारा 32(2), पॉक्सो अधिनियम, 2012	एस.पी.पी. और आरोपी के वकील को परीक्षण और बहस के दौरान अपने प्रश्नों को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश से पहले से बताना होगा, जिससे वह बच्चे से प्रश्नों को अपनी तरह से पूछेंगें।
धारा 33(3), पॉक्सो अधिनियम, 2012	पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(3) के अनुसार विशेष न्यायालय सुनवाई के दौरान बच्चे को बार–बार ब्रेक की अनुमति दे सकता है।
धारा 33(4), पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को परिवार के किसी सदस्य, अभिभावक, मित्र या रिश्तेदार को बच्चे के साक्ष्य के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देकर बच्चे के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता होती है।

धारा 33(5), पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे को न्यायालय में गवाही देने के लिए बार–बार न बुलाया जाए।
धारा 33(6), पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को, बच्चे से आक्रामक प्रश्नों या चरित्र हनन की अनुमति नहीं देनी चाहिए और मुकदमे के दौरान हर समय बच्चे की गरिमा को बनाए रखना चाहिए।
धारा 33(7) पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को, यह सुनिश्चित करना होता है कि जाँच या मुकदमे के दौरान बच्चे की पहचान का खुलासा न किया जाए।
धारा 36(1) व (2) पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा, साक्ष्य दर्ज कराने के समय आरोपी के संपर्क में नहीं आये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी बच्चे के बयान को सुन सके और अपने वकील के साथ संवाद कर सके। इसे सुगम बनाने हेतु, विशेष न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या एक तरफ से दिखने वाले शीशे या पर्दे का उपयोग करके बच्चे के बयान को रिकॉर्ड कर सकता है।
धारा 37, पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को कैमरे में और बच्चे के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चे का भरोसा या विश्वास है, की उपस्थिति में प्रकरण की सुनवाई करनी चाहिये।
धारा 37, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधान	जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बच्चे की जांच न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर करने की आवश्यकता है, तो उसे सी.आर.पी.सी. की धारा 284 के प्रावधानों का पालन करते हुए एक आदेश जारी करना चाहिए।
धारा 38(1) व (2) पॉक्सो अधिनियम, 2012	यदि आवश्यक हो तो न्यायालय बच्चे के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक या किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

बच्चे के साक्ष्य के दौरान सहायक व्यक्ति की भूमिका

निम्नलिखित प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल हैं जिन्हें सहायक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए:

- न्यायाधीश/एस.पी.पी. छुट्टी पर हों, न्यायालय की छुट्टी या खाली कोर्ट जैसे कारणों से संभावित स्थगन के बारे में एस.पी.पी. या पुलिस के माध्यम से पुनर्विचार करें ताकि बच्चे और परिवार द्वारा न्यायालय में अनावश्यक दौरे से बचा जा सके।
- पुष्टि करें कि क्या बच्चा दी गई तारीख पर कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। यदि किसी कारण से (परीक्षा, बीमारी, आघात या भय) बच्चा किसी विशेष तिथि पर साक्ष्य नहीं दे सकता है, तो एस.पी.पी. से दूसरी तारीख मांगने का अनुरोध करें।

- बच्चे और परिवार को आश्वस्त करने के लिए साक्ष्य की सुबह बच्चे और परिवार तथा एस.पी.पी. के बीच एक बैठक का अनुरोध करें।
- बच्चे के साक्ष्य की पहली तारीख को, बच्चा और परिवार चिंतित हो सकते हैं। उन्हें शांत कराने के लिए निम्नलिखित कहा जा सकता हैः

  – आप चिंतित या डर महसूस कर रहे होंगे। कानून में बाल अनुकूल प्रक्रियाएं हैं। मुकदमे की प्रगति के दौरान हम भी आपका समर्थन करने के लिए आपके साथ होंगे'।

  – 'एस.पी.पी. और आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कोर्ट में होंगे। जज आपसे सवाल पूछेंगे। यदि आपको कुछ याद या समझ में नहीं आता है, तो जवाब सिर्फ इसलिये न दें क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे बार–बार पूछ रहा है, ऐसे में जवाब न दें। एस.पी.पी. या बचाव पक्ष के वकील की अपेक्षा अपने जवाब जज को संबोधित करें'।

  – 'न्यायाधीश या एस.पी.पी. आपसे न्यायालय में आपके साक्ष्य के दौरान आरोपी की पहचान करने के लिए कह सकते हैं। आरोपी आपसे दूर खड़ा होगा। यह आरोपी की पहचान करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।'

- साक्ष्य के लिये शुरू होने वाले दिन का एक मोटा–मोटा परिचय दें, वे दृश्य जो वे अदालत परिसर में दिखेंगे, जिसमें न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, अभियुक्त की पहचान, हथकड़ी में अन्य व्यक्ति, पुलिस और अजनबियों का आना, शामिल है।

- प्रकरण की सुनवाई की प्रतीक्षा करते हुए बच्चे को अदालत कक्ष से दूर रखें और आरोपी और/या उनके सहयोगियों का सामना करने से रोकें। यदि बच्चों के लिए निर्दिष्ट प्रतीक्षालय है, तो बच्चे को वहाँ ले जाया जा सकता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल से अनुरोध करें कि बच्चे को कोर्ट रूम में तभी बुलाएं जब उनका प्रकरण आए।

- न्यायालय कक्ष में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बच्चे को सूचित करें, जैसे कि आरोपी के लिए एक स्क्रीन या कठघरा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा आरोपी के आमने–सामने नहीं आता है।

- सहायक व्यक्ति को बच्चे को आश्वस्त करना चाहिए कि जब बच्चे की गवाही दर्ज

की जायेगी तो उस समय परिवार का कोई सदस्य और सहायक व्यक्ति कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे। जो प्रकरण से जुड़े नहीं हैं उन्हें कोर्ट रूम छोड़ने के लिए कहा जाएगा।

- यदि बच्चा असहज या थका हुआ महसूस करता है, तो एस.पी.पी. को सूचित करें, जो न्यायालय से विराम के लिए अनुरोध कर सकता है या कार्यवाही जारी रखने के लिए दूसरी तारीख दे सकता है।

संवेदनशील गवाहों के बयान केंद्र (वी.डब्ल्यू.डी.सी.)

कुछ न्यायालय परिसरों में गतिविधियों और खिलौनों, प्रतीक्षालय, शौचालय सुविधाओं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ अलग वी.डब्ल्यू.डी.सी./बाल अनुकूल क्षेत्र हैं। हालाँकि, यह बुनियादी ढांचा कुछ राज्यों में कुछ जिला न्यायालयों में ही उपलब्ध है।

दिल्ली साकेत कोर्ट रूम में, हमारे पास संवेदनशील गवाहों हेतु परिसर नामक कुछ है, जहां उन बच्चों के लिए पृथक कमरे हैं जो गवाही देने आते हैं। इस कोर्ट रूम का प्रवेश बहुत ही निजी है जिससे बच्चों को मुख्य कोर्ट रूम के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है। यह सब गवाही देने के लिए बच्चे के डर को कम करने और आरोपी या आरोपी के परिवार के दवाब में बच्चे के बयान से पलट जाने के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। उनके पास कमरे में कई चीजें भी हैं, जैसे खेल और चित्रकला की किताबें और वह सब कुछ जो बच्चों के अनुकूल है।

– सहायक व्यक्ति, दिल्ली

''परीक्षण के दौरान सहायक व्यक्ति के अनुभव''

थाने में मामला दर्ज होने के बाद मैं चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार नहीं करता। मैं एस. पी.पी. से मिलता हूं और उन्हें प्रकरण की जानकारी देता हूं और बच्चे के साथ बैठक सुगम करता हूँ, जिससे सरकारी वकील के साथ एक सहज संबंध विकसित हो सके। यह सहायक व्यक्ति को जमानत की कार्यवाही के संबंध में एस.पी.पी. के साथ जुड़ने की अनुमति देता है जो चार्जशीट से पहले हो सकती है।

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरू

मैंने कोर्ट में इंतजार करते हुए बच्चे को यह पूछकर व्यस्त रखा है कि 'क्या आपके पास दोस्त हैं, आप सब एक साथ क्या करते हैं? और जब आप स्कूल से वापस आते हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या होती है? धीरे–धीरे किसी समय, मैं कहूँगा 'आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, है न?' और मैं उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में और बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, यह बताने के लिए उन्हें थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 'क्या आपको याद है कि क्या हुआ था?' वे

आपसे इसके बारे में पूछने जा रहे हैं।' यदि बच्चा कई बार गया है, तो सहायक व्यक्ति कह सकते हैं 'मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार होगा जब आपको बताना होगा कि क्या हुआ। मुझे खेद है कि आपको इतनी बार आना पड़ा।'

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

चाइल्डलाइन के रूप में, हमें कुछ प्रकरणों में गवाह के रूप में बुलाया जाता है और न्यायालय से सम्मन प्राप्त होता है। साथ ही, जब हमें बच्चे के साक्ष्य की तारीखों का पता चलता है, तो हम प्रक्रिया के बारे में बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं। हम उनकी सहायता करते हैं और एक विशेष लोक अभियोजक की भूमिका के बारे में भी बताते हैं और यह भी जोर देते हैं कि एस.पी.पी. मुकदमे से पहले उनसे मिले। बच्चा परीक्षण के लिए तैयार है और यदि बच्चा न्यायालय कक्ष में अपना साक्ष्य देने में सहज नहीं है, तो हम बच्चे और परिवार को वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायाधीश से अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

कर्नाटक में, एक बार विशेष सी.सी. नंबर मिल जाने के बाद, विशेष केस नंबर और/या एफ. आई.आर. नंबर का संदर्भ देकर, विशेष रूप से बेंगलुरु जिले में इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट (ई–कोर्ट) पोर्टल के माध्यम से प्रकरण की स्थिति की जाँच की जा सकती है। पोर्टल में आरोपी, प्रकरण के चरण, सुनवाई की आगामी तारीखों से संबंधित जानकारी भी है और प्रमुख गवाहों की गवाही अपलोड रहती है। हम इस मंच का उपयोग बच्चे और परिवार से जानकारी जानने और साझा करने के लिए करते हैं।

–सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

2.2 बच्चे के साक्ष्य के दौरान सहायक व्यक्ति की भूमिका

- विशेष न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय से बच्चे/परिवार के व्यथित होने की स्थिति में, सहायक व्यक्ति अभियुक्त को बरी करने के कारणों की व्याख्या कर सकता है और उनके आदेश को चुनौती देने के पक्ष–विपक्ष के बारे में सूचित करते हुये अपील को प्राथमिकता देने का सुझाव दे सकता है, यदि बच्चा/परिवार चाहे तो।
- यदि आरोपी को बरी कर दिया जाता है, तो सहायक व्यक्ति को बच्चे और परिवार की सुरक्षा चिंताओं को दूर करना चाहिए।
- ऐसे मामलों में जहां निर्णयों ने अंतिम मुआवजा का आदेश दिया है, सहायक व्यक्ति डी.एल.एस.ए. के साथ तेजी से मुआवजा देने के लिए इसका फॉलो–अप् कर सकते हैं।

सहायक व्यक्तियों के लिए टिप्स

1. सहायक व्यक्तियों को विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. के न्यायाधीशों या एस.पी.पी. के साथ मेलजोल नहीं करना चाहिए। बचाव पक्ष के वकील इस तरह की बातचीत को हितों के टकराव के रूप में चुनौती दे सकते हैं।
2. परिवार को सुझाव दें कि प्रतीक्षा करते समय कोर्ट में नाश्ता–पानी ले जाएं।
3. सुनवाई के लिए बुलाए जाने की प्रतीक्षा करते हुए बच्चे को व्यस्त रखने के लिए बच्चे के माता–पिता से आयु–उपयुक्त गतिविधियाँ करने का अनुरोध करें। यदि आवश्यक हो, तो सहायक व्यक्ति स्वयं ऐसी गतिविधियाँ कर सकते हैं।
4. दिन की कार्यवाही के अंत में, बताएं कि प्रकरण में क्या प्रगति हुई, आगे क्या और कब होगा ?

3. जब प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष हो

3.1 प्रासंगिक कानूनी प्रावधान

धारा 34(1), पॉक्सो अधिनियम,2012	यदि कोई बच्चा कथित रूप से पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध करता है, तो बच्चे के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
धारा 8 (1) व 10(1), किशोर न्याय अधिनियम, 2015	जब कथित अपराधी नाबालिग (18 वर्ष से कम) है, तो किशोर न्याय अधिनियम (2015) के अंतर्गत प्रक्रिया अनुसार जे.जे.बी. द्वारा जाँच की जानी है। पुलिस को कथित अपराधी को जे.जे.बी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

3.2 किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सहायक व्यक्ति की भूमिका

- सहायक व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि पीड़ित और आरोपी दोनों बच्चे हैं।
- जे.जे.बी. के लोक अभियोजक (पी.पी.) को सहायक व्यक्ति नियुक्ति आदेश की एक प्रति दें।
- साक्ष्य के लिए पीड़िता को जे.जे.बी. के पास ले जाएं।

- परीक्षण से संबंधित मामलों के लिए पी.पी. के साथ जुड़ें और बच्चे और परिवार को तदनुसार अपडेट करें।
- पीड़ित और कथित अपराधी दोनों की निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि जे.जे.बी. में कथित अपराधी और पीड़ित आमने–सामने न आएं।
- मानव संसाधन और समय सीमा से संबंधित प्रक्रियायें, पॉक्सो विशेष अदालतों में पालन की जाने वाली बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के समान होनी चाहिये।
- यदि बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का कोई उल्लंघन होता है, तो बच्चे/परिवार को जे. जे.बी. या पी.पी. को शिकायत दर्ज कराने में मदद करें।

3.3 किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पॉक्सो प्रकरणों के दौरान आने वाली चुनौतियाँ

- बच्चों की गवाही में सालों की देरी हो रही है, प्रकरण बार–बार स्थगित हो रहे हैं और जमानत में भी बेतहाशा देरी हो रही है।
- ज्यादातर मुकदमों में परिवार इस बात से अनभिज्ञ रहता हैं कि उनके वकील (पी.पी) कौन हैं। जे.जे.बी., पुलिस और परिवारों के बीच उचित तालमेल नहीं है।
- ज्यादातर मामलों में, जे.जे.बी. पॉक्सो अधिनियम में सुपरिभाषित बाल अनुकूल प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पीड़ित और आरोपी दोनों नाबालिग हैं तो वह एक ही स्थान पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पीड़ित की गवाही के दौरान, पीड़ित को अपराधियों से बचाने के लिए उचित स्क्रीन नहीं है।
- सहायक व्यक्तियों को जे.जे.बी. की बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है, भले ही सहायक व्यक्ति ने सी.डब्ल्यू.सी. से नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किया हो।
- सहायक व्यक्ति, जे.जे.बी. से प्रकरण की स्थिति जानने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जे.जे.बी. परिवारों को मुआवजा, विशेष रूप से अंतरिम मुआवजे का आदेश नहीं दे रहे हैं।
- उन जिलों में जहां जे.जे.बी. के सदस्य संपर्क में हैं, एक सहायक व्यक्ति मुद्दों को उनके ध्यान में ला सकता है और उन्हें जिला स्तर पर संबोधित कर सकता है। जिन स्थितियों में जिला स्तर पर मुद्दों का समाधान नहीं किया जा सकता है, एक सहायक व्यक्ति उन्हें राज्य के अधिकारियों के ध्यान में और समाधान के लिए उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के समक्ष ला सकता है।

4. विशेष न्यायालय द्वारा प्रकरणों का समापन

4.1 प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

धारा 35(2), पॉक्सो अधिनियम,2012	जहां तक संभव हो, विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के एक वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जब परीक्षण एक वर्ष से आगे बढ़ गए हों।

सहायक व्यक्तियों द्वारा विलंब के लिये चिन्हित किये गये कुछ कारण

- जमानत पर छूटने के बाद आरोपी का पता नहीं चल रहा है या फरार है।
- गवाह, बाल पीड़ित और उनका परिवार, सुनवाई के लिए लापता या अनुपस्थित है।
- जांच अधिकारी और/या अन्य विशेषज्ञ गवाहों का तबादला होने या समय पर सम्मन न मिलने के कारण अनुपस्थित रहना।
- पीठासीन अधिकारी का तबादला या छुट्टी पर होना।
- विशेष न्यायालय द्वारा एस.पी.पी. नहीं नियुक्त किये गये।
- राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट प्राप्त करने में विलम्ब।
- बच्चे की परीक्षा, बीमारी, लैंगिक हिंसा के आघात या आपराधिक न्याय प्रणाली के डर से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता।
- पीड़िता ने अपने 'रोमांटिक' संबंधों के कारण आरोपी के खिलाफ गवाही देने से इन्कार कर दिया।
- बीमारी/आघात या अन्य कारणों से बच्चे के साथ जाने में असमर्थ परिवार।

5. चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान

सहायक व्यक्तियों ने न्यायिक कार्यवाही के दौरान सामने आई कई स्थितियों/चुनौतियों को साझा किया है। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं।

जब अंशु, एक सहायक व्यक्ति, किसी विशेष प्रकरण के बारे में एस.पी.पी. से बात करने के लिए आते है, तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में विशेष न्यायालय को सूचित नहीं किया था। अंशु क्या कर सकता है?

अंशु सी.डब्ल्यू.सी. के नियुक्ति आदेश की एक प्रति एस.पी.पी. को न्यायिक कार्यवाही में शामिल करने और उसके पीठासीन अधिकारी को सूचित करने के अनुरोध के साथ स्वतः प्रस्तुत कर सकता है।

जब 8 साल की स्मिता को अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी स्मिता की गवाही के दौरान उसकी मां की मौजूदगी की इजाजत नहीं देता।

पीठासीन अधिकारी कारण बताते हैं कि चूंकि पिता आरोपी था तो मां अभियोजन पक्ष की गवाह है। इस प्रकरण में सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

सहायक व्यक्ति, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 33 का हवाला देते हुए, बच्चे और परिवार को मां की उपस्थिति की अनुमति देने के संबंध में एस.पी.पी. को लिखित अनुरोध करने में मदद कर सकता है। सहायक व्यक्ति यह भी सुझाव दे सकता है कि मां के साक्ष्य, बच्चे के साक्ष्य के सामने दर्ज किए जाएं जिससे जब बच्चा गवाही दे तो वह न्यायालय में उपस्थित हो सके।

6 साल की सुमन कोर्ट में आरोपी की पहचान नहीं कर पा रही है, घटना को दस महीने बीत चुके हैं। सहायक व्यक्ति क्या कर सकता है?

सहायक व्यक्ति, एस.पी.पी. को अग्रिम रूप से सूचित कर सकता है कि समय बीतते जाने और/या सुमन की कम उम्र के कारण, बच्चा आरोपी को पहचानने में सक्षम नहीं हो सकता है और एस.पी.पी. से अनुरोध करता है कि कोर्ट में आरोपी की पहचान करने के लिए बच्चे से पूछे जाने पर इसे ध्यान में रखें।

एस.पी.पी. सहयोग नहीं कर रहे हैं और परिवार को बता रहे है कि प्रकरण कमजोर है। एस.पी.पी. यह भी सुझाव देते हैं कि प्रकरण आरोपी के बरी होने के साथ समाप्त हो सकता है और परिवार समझौता कर सकता है। इस परिदृश्य में सहायक व्यक्ति क्या भूमिका निभा सकते हैं?

सहायक व्यक्ति, परिवार को यह बताने के लिए कि मामला कमजोर है/समझौता किया जा सकता है, उनके कारणों को समझने के लिए एस.पी.पी. के साथ संवाद करने का प्रयास कर सकता है। यदि एस.पी.पी. अभी भी असहयोगी है, तो माता–पिता को अभियोजन निदेशालय को इस मुद्दे को संबोधित करने या यदि आवश्यक हो तो एस.पी.पी. को बदलने के लिए एक पत्र प्रस्तुत करने में सहायता की जा सकती है। यदि एस.पी.पी. सहयोग नहीं करता है, तो सहायक व्यक्ति को सत्र न्यायालय के मुख्य लोक अभियोजक या लोक अभियोजन निदेशालय या कानून और संसदीय कार्य विभाग के सचिव के साथ इसे उठाना चाहिए।

सीता, एक 16 साल की, बौद्धिक अक्षमता (3–4 साल की मानसिक उम्र) वाली बालिका है और उसे न्यायालय में अपना सबूत देने के लिए बुलाया जाता है। माता–पिता आशंकित हैं और सीता के न्यायालय में पेश होने में असमर्थता के बारे में अपनी चिंता साझा करते हैं। सहायक व्यक्ति सीता की सहायता कैसे कर सकता है?

सीता को समझने में संभावित चुनौती से अवगत होने के कारण, सहायक व्यक्ति एस.पी.पी. से अग्रिम रूप से एक विशेष शिक्षक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सेवाओं की तलाश करने का अनुरोध कर सकता है जिससे यह व्याख्या की जा सके कि सीता क्या संवाद करना चाहती है।

सहायक व्यक्ति, एस.पी.पी. को विशेष न्यायालय में यह प्रस्तुत करने में सहायता कर सकता है कि बाल गवाह को इस प्रकरण में मुख्य परीक्षा देने से छूट दी जाए। परीक्षा प्रभारी या मुख्य परीक्षा बयान के स्थान पर मजिस्ट्रेट के सामने सी.आर.पी.सी. की धारा 164 (5ए) (बी) के तहत दिए गए बयान का इस्तेमाल किया जा सकता है।

14 वर्षीय जमुना से आरोपी की ओर से पेश वकील ने बहस रिकॉर्ड करते हुए सवाल किया। कुछ सवाल चरित्र हनन पर आक्रामक आदेश देने वाले थे जिसके परिणामस्वरूप वह फिर से परेशान और आघातपूर्ण महसूस कर रही थी। क्योंकि वह टूट गई थी और न्यायालय में रोने लगी, सुनवाई स्थगित कर दी गई और दूसरी तारीख दे दी गई। वह बहस पूरी करने के लिए दोबारा न्यायालय नहीं आना चाहती थी। ऐसी स्थिति में सहायक व्यक्ति और अभियोजक द्वारा क्या किया जा सकता है?

सहायक व्यक्ति वकील से परामर्श कर सकता है और न्यायालय में यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि सीधे बच्चे से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और इसकी अपेक्षा प्रश्नों को विशेष न्यायालय में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे न्यायाधीश द्वारा बच्चे के सामने रखा जा सकता है जैसा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(2) में अनिवार्य किया गया है। आक्रामक पूछताछ के संबंध में क्योंकि यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(6) का उल्लंघन है, विशेष अदालत से बचाव पक्ष के वकील द्वारा फटकारने और आपत्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे की गरिमा हर समय बनी रहे।

बच्चे को आघात से उबारने के लिए परामर्श या उपचार के लिए ले जाया जा सकता है और तब तक स्थगन की मांग की जा सकती है जब तक कि वह अपनी जिरह जारी रखने के लिए न्यायालय में वापस आने के लिए तैयार और सहज न हो जाए।

अध्याय 9
मुआवजा तथा विशेष राहत



1 विशेष राहत तथा मुआवजा तक पहुँच

2 अन्य वित्तीय राहतें

3 चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान

यद्यपि घटना के आघात के लिए बच्चे या परिवार को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। पर पीड़ित मुआवजे के रूप में प्राप्त धनराशि बच्चे के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पीड़ित को विशेष राहत, अंतरिम और अंतिम मुआवजे का समय पर भुगतान बच्चे और परिवार के वित्तीय बोझ को कम करता है। यह अक्सर धीरे–धीरे सामान्य स्थिति में लौटने के लिए बच्चे और परिवार का समर्थन करता है।

1. विशेष राहत तथा मुआवजे तक पहुँच

बच्चे और परिवार अक्सर पॉक्सो अधिनियम और राज्य की अन्य योजनाओं के अंतर्गत मुआवजा पाने के अपने अधिकारों से अनजान होते हैं। इस तरह के मुआवजे तक पहुँचने में बच्चे और परिवार की सहायता करने में सहायक व्यक्ति एक अहम भूमिका निभा सकता है।

1.1 प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

धारा 357 ए, सी. आर.पी.सी.	प्रत्येक राज्य सरकार को पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजा के रूप में धन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हुई है या क्षति पहुंची है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। चाहे आरोपी का पता लगा लिया गया हो या नहीं और इस बात की परवाह किए बिना कि अपराधी को दोषी ठहराया गया, बरी किया गया या छोड़ दिया गया है, मुआवजा देय है। मुआवजा आदेश विशेष न्यायालय द्वारा दिया जाना है, और मुआवजा राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एस.एल.एस.ए.) द्वारा निर्धारित की जानी है।[38]
धारा 33(8), पॉक्सो अधिनियम, 2012	विशेष न्यायालय को उचित मामलों में कारावास की सजा के अलावा जुर्माना अदा करने का आदेश देना चाहिए। बच्चे को हुए किसी भी शारीरिक/मानसिक आघात के लिए और बच्चे के तत्काल पुनर्वास के लिए बच्चे को मुआवजा दिया जा सकता है।
नियम 9(3), पॉक्सो नियम, 2020	विशेष न्यायालय को बच्चे को होने वाली हानि या चोट से संबंधित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि शोषण का प्रकार, तीव्रता का स्तर, बच्चे को होने वाली शारीरिक और मानसिक हानि की गंभीरता, जिसमें यौन संचारित संक्रमण या लैंगिक हमले

[38] 357A Cr.P.C.
The Centre for Police Studies and Public Security, TISS and BPRD, Government of India (2018), A Handbook on the Legal Processes for the Police in respect of Crimes Against Children

	के फलस्वरुप दिव्यांगता शामिल है, घटना के परिणामस्वरूप, बच्चे के चिकित्सा उपचार के लिए किए गए खर्च, शैक्षिक अवसर की हानि, क्या अपराध के परिणामस्वरूप बालिका गर्भवती हो गयी, रोजगार की हानि, अपराधी से संबंध, शोषण की आवृत्ति, और परिवार की वित्तीय स्थिति।
नियम 9(2), पॉक्सो नियम, 2020	जहाँ आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, या जहाँ आरोपी के बरी होने या छोड़ देने पर प्रकरण समाप्त होता है, या आरोपी का कुछ पता नहीं लगता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, और विशेष न्यायालय की राय में उस घटना के परिणामस्वरूप बच्चे को हानि या क्षति पहुँची है, तो विशेष अदालत अतिरिक्त मुआवजे की सिफारिश कर सकती है।
धारा 357ए, सी. आर.पी.सी. 1973, नियम 9(4), पॉक्सो नियम, 2020	विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजे का भुगतान डी.एल.एस.ए. द्वारा पीड़ित मुआवजा कोष या पीड़ितों की मुआवजा और पुनर्वास के लिए स्थापित किसी अन्य योजना या निधि से किया जाना है।
नियम 9(5), पॉक्सो नियम, 2020	राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित मुआवजे का भुगतान ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर करेगी।
नियम 9(1), पॉक्सो नियम, 2020	**अंतरिम** मुआवजा विशेष न्यायालय, उपयुक्त मामलों में, स्वयं या बच्चे की ओर से या उसकी ओर से दायर आवेदन पर, अंतरिम मुआवजे के लिए आदेश पारित कर सकता है।
नियम 9(1), पॉक्सो नियम, 2020	विशेष न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करने के बाद किसी भी स्तर पर बच्चे के राहत या पुनर्वास के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश पारित कर सकता है। इस तरह के मुआवजे को अंतिम मुआवजा, यदि कोई हो, के साथ समायोजित किया जाएगा।
नियम 9(6), पॉक्सो नियम, 2020	पॉक्सो नियमों में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बच्चे या बच्चे के माता–पिता या अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बच्चे का भरोसा है, जिसमें सहायक व्यक्ति भी शामिल है, को केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी नियम या योजना के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से रोकता है।
नियम 10(1), पॉक्सो नियम, 2020	बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) यह सुनिश्चित करने के लिए डी.एल.एस.ए.के साथ समन्वय करेगी कि अधिनियम के अंतर्गत विशेष

	न्यायालय द्वारा आदेश की गई किसी भी राशि का भुगतान पीड़ित को किया जाना है।

बच्चे और परिवार के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

- बच्चे और उनके परिवार को उनके लिए उपलब्ध सरकारी सहायता या राहत योजनाओं, विशेष रूप से पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में सूचित करें।
- यदि बच्चा मुआवजे के लिए पात्र है, तो उसके माता–पिता को बताएं और विशेष लोक अभियोजक (एस.पी.पी.) के माध्यम से विशेष न्यायालय/जे.जे.बी. के समक्ष आवेदन जमा करने में उनकी सहायता करें। विशेषकर जब बच्चे के पास पारिवारिक समर्थन न हो तो सहायक व्यक्ति भी सभी विवरण प्रदान करते हुये, बच्चे की ओर से मुआवजा के लिए आवेदन कर सकता है।
- उन कारकों को समझें जिनके कारण किसी बच्चे के लिए मुआवजे की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, धमकी के कारण बच्चे और परिवार के रहने के स्थान पर परिवर्तन और आरोपी के प्रभाव के कारण उनके रहने के स्थान पर लांछन लगना।
- महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग/डी.एल.एस.ए. जैसे कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों को मुआवजा के लिए एफ.आई.आर., चिकित्सा रिपोर्ट, आय प्रमाण पत्र जैसे प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने में बच्चे और परिवार की सहायता करें।

हितधारकों के साथ सहायक व्यक्ति की भूमिका

- डी.एल.एस.ए. (राज्य प्रतिकर योजना) और एस.पी.पी. (विशेष न्यायालय) के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु, बच्चे और परिवार को आवेदन की स्थिति और बाद में धनराशि जारी करने के लिए डी.एल.एस.ए. के साथ संवाद करें।
- अंतरिम मुआवजे का भुगतान किसी भी स्तर पर किया जा सकता है और यह बच्चे के साक्ष्य से जुड़ा नहीं है। अंतरिम मुआवजा जल्द से जल्द पारित कराने के लिए सहायक व्यक्ति एस.पी.पी. की मदद ले सकता है।
- एक बार विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम या अंतिम मुआवजे का आदेश पारित करने के बाद सहायक व्यक्ति ऐसी धनराशि जारी करने के लिए डी.एल.एस.ए. के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं।
- बच्चे के लिए किसी भी वित्तीय राहत के आदेश के संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एन.ए.एल.एस.ए.) योजना[39]

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण योजना, लैंगिक हमले और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं पर लागू होती है। एस.एल.एस.ए. और डी.एल.एस.ए. क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 565/2012 के आदेश दिनांक .05.09.2018 में, मा. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एन.ए.एल. एस.ए. योजना को सी.एस.ए. के पीड़ितों को मुआवजा देने वाले विशेष न्यायालयों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना चाहिए।

एन.ए.एल.एस.ए. योजनाः कुछ प्रमुख विशेषताएं

- एस.एल.एस.ए. मुआवजा संवितरण
  - पीड़ित/आश्रित (आश्रितों) के संयुक्त या एकल नाम में बैंक खातों में सीधे जमा के रूप में।
  - यदि पीड़ित के पास कोई बैंक खाता नहीं है, तो डी.एल.एस.ए. पीड़ित के नाम पर एक बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगी।
  - यदि पीड़ित नाबालिग है और अभिभावक के साथ है, या नाबालिग बाल देखरेख संस्था में है, तो बैंक खाता संस्था के अधीक्षक के पास अभिभावक के रूप में खोला जाएगा।
  - यदि पीड़ित एक विदेशी नागरिक/शरणार्थी है, तो मुआवजे को नकद कार्ड के रूप में वितरित किया जा सकता है।

- अंतिम मुआवजा राशि
  - इसकी 75 प्रतिशत राशि कम से कम तीन साल की अवधि के लिए सावधि जमा (एफ.डी.) में रखी जाएगी;
  - शेष 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) राशि, जैसा भी प्रकरण हो, पीड़ित/आश्रितों के उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के लिए उपलब्ध होगी।

- नाबालिग के प्रकरण में
  - इस प्रकार प्रदान की गई मुआवजा राशि का 80 प्रतिशत सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा और केवल वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर ही इसे आहरित किया जाएगा, लेकिन जमा के तीन वर्ष से पहले नहीं।
  - असाधारण मामलों में, एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए. के विवेक पर शैक्षिक या चिकित्सा या अन्य आवश्यक और लाभार्थी की तात्कालिक जरूरतों के लिए राशि

[39] National Legal Services Authority (NALSA) scheme

निकाल ली जा सकती है।

- यदि यह एफ.डी.आर. फॉर्म में है तो, राशि पर ब्याज सीधे पीड़ित/आश्रित (आश्रितों) के बचत खाते में बैंक द्वारा हर महीने जमा किया जाएगा, जिसे लाभार्थी निकाल सकता है।

- अंतरिम राहत

  - जैसा भी प्रकरण हो, एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए., तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या निःशुल्क चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने का आदेश दे सकते हैं।
  - पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए उपयुक्त समझे जाने पर कोई अन्य अंतरिम राहत (अंतरिम आर्थिक मुआवजा सहित) दी जा सकती है। (पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र पर, जो थाने के प्रभारी अधिकारी या संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो या पीड़ित/आश्रितों के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से)
  - जैसे ही एस.एल.एस.ए./डी.एल.एस.ए. को मुआवजा के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो सचिव, डी.एल.एस.ए. या सदस्य सचिव, एस.एल.एस.ए. द्वारा एक राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से पीड़ित को तुरंत प्रकरण के अनुसार रु. 5000/–या रु. 10,000/–वितरित किया जाएगा।
  - लागू की गई अनुसूची के अनुसार पीड़ित को दी जाने वाली अंतरिम राहत अधिकतम मुआवजा के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जिसका भुगतान पीड़ित को समग्र रूप से किया जाएगा।



सहायक व्यक्तियों के लिए टिप्स

1. बच्चे और उनके परिवार को जल्द से जल्द बच्चे के नाम (माता–पिता के साथ एक संयुक्त खाता) से एक बैंक खाता खोलने में सहायता करें।
2. मुआवजा पाने के लिए आवेदन जमा करते समय बेहतर समन्वय के लिए अपने जिले में डी.एल.एस.ए. और डी.सी.पी.यू. के अधिकारियों से मिलें।
3. बच्चे के तत्काल चिकित्सा/आकस्मिक खर्चों हेतु राज्य में उपलब्ध मुआवजा/राहत योजनाओं के लिए डी.सी.पी.यू./सी.डब्ल्यू.सी. से संपर्क करें।



2. अन्य वित्तीय राहतों के बारे में जानकारी

कुछ राज्यों ने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए बच्चों और उनके परिवारों को वित्तीय राहत देने के लिए योजनाएं बनाई हैं। अन्य राज्यों की योजनाओं की जानकारी उन राज्यों की वेबसाइटों पर देखी जा सकती है। इनमें से कुछ योजनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है।

प्रासंगिक कानूनी संदर्भ

नियम 8(1), पॉक्सो नियम, 2020	विशेष राहतः सी.डब्ल्यू.सी. किसी स्तर पर आवश्यकतानुसार भोजन, कपड़े, परिवहन और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए विशेष राहत के तत्काल भुगतान की सिफारिश निम्न को कर सकती हैः (1) डी.एल.एस.ए. को धारा 357ए के अंतर्गत (2) डी.सी.पी.यू. को राज्य द्वारा उनके निपटान में रखी गई ऐसी निधियों में से, या (3) जे.जे. अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 105 के अंतर्गत रखी गई धनराशि में से। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा अनुशंसित विशेष राहत का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी.एल.एस.ए.) द्वारा धारा 357ए, सी.आर.पी.सी., 1973 या जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनिमय 2015 की धारा 105 के अंतर्गत किया जाना है)।
नियम 8(2), पॉक्सो नियम, 2020	सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा इस तरह की सिफारिश करने के एक सप्ताह के भीतर विशेष राहत का भुगतान किया जाना चाहिए।

राज्य–विशेष की योजनाएँ

नालसा योजना के अंतर्गत डी.एल.एस.ए. द्वारा भुगतान किये गये पीड़ित मुआवजे के अतिरिक्त, कुछ राज्यों में लैंगिक हिंसा का सामना करने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं हैं। (प्रोटोकॉल और वितरण एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं।) कुछ नीचे सूचीबद्ध हैंः

- **कर्नाटकः** बाल न्याय निधि।
- **महाराष्ट्रः** मनोधैर्य योजना।
- **उत्तर प्रदेशः** उ. प्र. रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष।

- **केरलः** अश्वनिधि बाल संरक्षण योजना।

''बच्चे और परिवार के लिए मुआवजे **तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायक व्यक्ति के अनुभव''**

हम जानते हैं कि पीड़ित को दिया जाने वाला मुआवजा कानून द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन जब हम एस.पी.पी. की सहायता के साथ बच्चे की ओर से पीड़ित के मुआवजा के लिए आवेदन करते हैं, तो न्यायाधीश द्वारा सवाल उठाए गए हैं, 'उन्हें पैसे की आवश्यकता क्यों है? वे ठीक दिखते हैं'।

– सहायक व्यक्ति, दिल्ली

मैंने अंतरिम मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया। आमतौर पर, वे बच्चे और परिवार के लिए बहुत सौहार्दपूर्ण और चिंतित होते हैं लेकिन धन की कमी के कारण विशेष न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करने में देरी के लिए खेद व्यक्त करते हैं।

– सहायक व्यक्ति, बेंगलुरु

कई प्रकरणों में पीड़िता ने 18 साल की उम्र के बाद आरोपी से शादी कर ली थी। यदि बालिका 18 साल की उम्र पार कर जाती है, जबकि प्रकरण अभी भी चल रहा है, तो न्यायालय को लगता है कि मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बालिका मुकर जाएगी। इसमें कोर्ट का दोष नहीं है।

– जिला बाल संरक्षण ईकाई, कर्नाटक

3. चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान

पॉक्सो अधिनियम और नियमों में मुआवजे और विशेष राहत के प्रावधान होने के बावजूद, बच्चे और परिवार को उन्हें प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित मुआवजा तक पहुंचने में बच्चे और परिवार के समक्ष आई कई स्थितियों/चुनौतियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया हैः

रीना एक ऐसे प्रकरण में सहायक व्यक्ति हैं जहां चार साल से अधिक समय से मुकदमा चल रहा है। वह मुआवजा **के लिए फॉलो––अप् कर रही है क्योंकि परिवार को आर्थिक रूप से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। रीना क्या कर सकती है?**

रीना यह पता लगा सकती है कि क्या विशेष न्यायालय ने अंतरिम मुआवजा का आदेश पारित किया है। वह एस.पी.पी. के साथ इसकी जांच कर सकती है। सहायक व्यक्ति पॉक्सो

नियमों के नियम 9 (1), का उल्लेख कर सकता है, जो कि विशेष न्यायालय को अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है।
मान लीजिए कि विशेष न्यायालय ने आदेश पारित किया है, लेकिन बच्चे और परिवार को 30 दिनों से अधिक समय तक राशि नहीं दी गई है (जैसा कि पॉक्सो नियमों के नियम 9(5), में निर्धारित है)। उस प्रकरण में, सहायक व्यक्ति प्रकरण को डी.एल.एस.ए. के सदस्य सचिव के ध्यान में ला सकता है। बच्चे और परिवार को मुआवजे का भुगतान न करने और इस तरह के भुगतान में देरी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एस.एल.एस.ए.), उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) जैसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है।)

अंजु और उसके परिवार को मुआवजे के लिए आवेदन पर कार्रवाई करने, दस्तावेज जमा करने, हस्ताक्षर करने और कभी–कभी उन्हें सत्यापित करने के लिए डी.एल.एस.ए. में बार–बार बुलाया जा रहा था। इस स्थिति में सहायक व्यक्ति अंजु की क्या मदद कर सकता है?

सहायक व्यक्ति डी.एल.एस.ए. के सदस्य सचिव से संपर्क कर सकता है और बता सकता है कि डी.एल.एस.ए. में बार–बार आने से माता–पिता जो दिहाड़ी मजदूर हैं और उन दिनों में बच्चे का स्कूल छूटने से, बड़ी कठिनाई हो रही है। सहायक व्यक्ति डी.एल.एस.ए. से समझ सकते हैं कि बच्चे और परिवार से कौन से दस्तावेज और जानकारी की आवश्यकता है और उन्हें डी.एल.एस.ए. में जमा करने में उनकी सहायता करें।

अध्याय 10
सहायक व्यक्तियों के समक्ष आई चुनौतियाँ



1 प्रशिक्षित सहायक व्यक्तियों की कमी

2 संस्थाओं में बच्चों के साथ भूमिकाओं में स्पष्टता की कमी

3 खोये हुये/न मिलने वाले परिवार

4 सहायक व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा

5 सहायक व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य

6 कम मानदेय

7 हितधारकों के साथ अभिसरण का अभाव

8 अवास्तविक अपेक्षायें

9 रेफरल सेवा द्वारा कार्रवाई में देरी

10. जांच पूरी होने के बाद नियुक्ति

एक सहायक व्यक्ति होने के लिए, किसी व्यक्ति को कई तरह के कौशल, योग्यताओं, पेशेवर और व्यक्तिगत मूल्यों की आवश्यकता होती है। सहायक व्यक्तियों को भी उच्च दबाव और स्थिति अनुरुप परिस्थितियों में संवेदनशील रूप से काम करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। सहायक व्यक्तियों ने हितधारकों के साथ बातचीत करते समय विभिन्न चुनौतियों का अनुभव किया है, जैसे रेफरल सेवाओं द्वारा त्वरित कार्रवाई का अभाव, बच्चे/परिवार की मांगे जो एक सहायक व्यक्ति के रूप में उनके कर्तव्यों के अनुरूप नहीं हैं।

1. प्रशिक्षित सहायक व्यक्तियों की कमी

देश भर के अधिकांश जिलों में सीमित संख्या में उपलब्ध सहायक व्यक्तियों की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति के साथ, निम्नलिखित मुद्दे सामने आए हैं:

- बच्चों के अनुपात में सहायक व्यक्ति कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सहायक व्यक्ति को उनकी क्षमता से अधिक मामलों में नियुक्त किया जाता है।
- सभी जिलों में सहायक व्यक्ति नहीं होते हैं, और कुछ राज्यों में, वे खुद को पड़ोसी क्षेत्राधिकार वाले जिलों में भी काम करते हुए पाते हैं।
- कुछ जिले/राज्यों के हितधारक पुनर्वास और अन्य पीड़ित सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं।
- सहायक व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन की कमी है; बच्चों/परिवारों को निरंतर सहायता प्रदान करते समय उन्हें भी सलाह और समर्थन की आवश्यकता होती है।
- पारिश्रमिक का अभाव जो लोगों को सहायक व्यक्ति बनने के लिए आकर्षित नहीं करता है।

संभावित समाधानः सहायक व्यक्ति, बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) और/या जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.) से अनुरोध कर सकते हैं कि वे गैर सरकारी संगठनों, चाइल्डलाइन, डी.सी.पी.यू. स्टाफ, पूर्व सी.डब्ल्यू.सी. सदस्यों और पैरा लीगल वालंटियर्स में से अधिक सहायक व्यक्तियों की पहचान करें और उन्हें प्रशिक्षित करें।

जब सहायक व्यक्तियों के पास प्रकरणों का भार अधिक होता है तो वे निर्धारित समय में हमें रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमें लगता है कि बहुत कम प्रशिक्षित, भरोसेमंद और शिक्षित सहायक व्यक्ति उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, मेरे जिले में सहायक व्यक्तियों की

संख्या बहुत कम है। तो, ऐसे में हम उपलब्ध सहायक व्यक्तियों को कितने प्रकरणों के लिये संदर्भित कर सकते हैं?

–सी.डब्ल्यू.सी. सदस्य, अहमदनगर

2. संस्थाओं में बच्चों के साथ भूमिकाओं में स्पष्टता की कमी

सहायक व्यक्ति और सामाजिक कार्यकर्ता/केसवर्कर/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के बीच भूमिकाओं और सीमाओं में भ्रम हो सकता है, खासकर बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले बच्चों के मामलों में। एक प्रकरण में बच्चे और परिवार की सहमति से एक सहायक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और आपराधिक न्याय प्रणाली के माध्यम से उनकी यात्रा में उनका समर्थन करने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा बच्चा सी.सी.आई. में है, तो सामाजिक कार्यकर्ता/केसवर्कर/बाल कल्याण अधिकारी सी.सी.आई. में रहने के दौरान किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत बच्चे के कल्याण और पुनर्वास में समान रूप से शामिल होता है और उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई करता है। कभी–कभी केसवर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता और सहायक व्यक्ति एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं, जिससे जवाबदेही के मुद्दे पैदा होते हैं।

संभावित समाधानः यह महत्वपूर्ण है कि नियुक्त होने पर सहायक व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के अनुसार उस बच्चे/परिवार की जरूरतों की पहचान करे, इससे संबंधित एक नोट तैयार करे और यह सुनिश्चित करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी. के साथ बात करे कि केसवर्कर्स/सी.सी.आई. के सामाजिक कार्यकर्ता जो पूर्व से ही उसी बच्चे/प्रकरण से जुड़े हो सकते हैं, उनके साथ भूमिकाओं में ओवरलैप न हो। यदि बच्चा सी.सी.आई. में है, तो अन्य पदाधिकारियों के साथ चर्चा करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका सुपरिभाषित हो, ओवरलैप न हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

3. खोये हुये/न मिलने वाले परिवार

लैंगिक हिंसा के शिकार व्यक्ति संपर्क खो सकते हैं/संपर्क से बाहर हो सकते हैं; शोषण या आरोपी की धमकी के डर से जुड़े कलंक और भेदभाव के कारण परिवार अपना निवास स्थान बदल सकते हैं। ऐसे मामलों में आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत प्रक्रियाओं के लिए अनुवर्ती कार्रवाई तथा बच्चे और परिवार से संपर्क करना एक चुनौती बन जाता है। सहायक व्यक्ति द्वारा बच्चे और परिवार को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सीमित हो जाती हैं।

संभावित समाधानः सहायक व्यक्ति को बच्चे/परिवार के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए जिससे वे संपर्क न तोड़ें और स्थायी या अस्थायी किसी भी बदलाव की स्थिति में सहायक व्यक्ति को सूचित करें।

सहायक व्यक्ति बच्चे या परिवार से संपर्क करने में असमर्थता के बारे में पुलिस, सी.डब्ल्यू. सी. और विशेष लोक अभियोजक को सूचित कर सकते हैं। एक बार जब पुलिस उनका पता लगाने में सक्षम हो जाती है, तो सहायक व्यक्तियों के साथ संपर्क पुनः शुरू किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब बच्चा/परिवार चाहे।

4. सहायक व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा

ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां सहायक व्यक्ति को आरोपी और/या उनके सहयोगियों से धमकियां मिलती हैं। सहायक व्यक्तियों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें संबोधित किया जाना चाहिये। इस स्थिति से निपटने के तरीकों के लिए, कृपया अध्याय 4 चुनौतियों और समाधानों का संदर्भ लें।

संभावित समाधानः सहायक व्यक्तियों को पहले उस पुलिस थाने से संपर्क करना चाहिए जो पॉक्सो प्रकरणों से संबंधित है और उससे हस्तक्षेप करने हेतु संबंध स्थापित करना चाहिये, जिसके अंतर्गत सबूत को प्रस्तुत करने के लिये धमकी दी गई थी। धमकी को प्रमाणित करने हेतु प्रमाण भी उपलब्ध कराना चाहिये। इसे एस.पी.पी. के संज्ञान में भी लाया जा सकता है।

5. सहायक व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य

सहायक व्यक्ति लैंगिक हिंसा के पीड़ितों के साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरह का हस्तक्षेप कुछ व्यक्तियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य, निजी संबंधों, शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रभावित करने वाले संभावित ट्रिगर्स (विकृत आघात) की ओर अग्रसर कर सकता है। सहायक व्यक्ति अक्सर स्वयं को पीड़ितों और परिवार के साथ जुड़ते हुए पाते हैं, और कुछ मामलों में, पेशेवर सीमाएँ धुंधली (पीछे रह जाती हैं) हो जाती हैं। सहायक व्यक्ति अधिक जिम्मेदारियाँ लेने या सीमाओं को लांघने से थका हुआ महसूस कर सकता है।

संभावित समाधानः सहायक व्यक्ति के भावनात्मक और सामान्य कल्याण के संरक्षण के लिए सहायक व्यक्ति और अन्य हितधारकों द्वारा साझा की गई कुछ रणनीतियाँ हैंः

- इस पेशे से जुड़े साथी व अपनी टीम के सदस्यों के साथ अपने अनुभवों और चुनौतियों के बारे में चर्चा करें और विस्तार से समझायें।
- परामर्श या चिकित्सा जैसे नियमित हस्तक्षेप की तलाश करना और इससे उबरने हेतु तंत्र की पहचान करना।
- यह भी आवश्यक है कि सहायक व्यक्तियों को जब यह ज्ञात हो कि कब पीछे हटना है जिससे परिवार अन्य मुकाबला तंत्रों और समर्थन प्रणालियों की पहचान कर सके।
- सहायक व्यक्ति की भागीदारी की भूमिका और सीमाओं के बारे में शुरुआत में ही

परिवार के साथ स्पष्ट/मुखर होकर बातचीत करें।
उदाहरण के लियेः *''हम जब आपकी सहायता करते हैं, उसके संबंध में कुछ सीमाएँ हैं। लेकिन हम आवश्यकता पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी मामलों में काम करने वाले विशेषज्ञों और संगठनों की सेवाएं लेने में आपकी मदद करेंगे।''*

- कुछ स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने के लिए, सहायक व्यक्ति यह भी कह सकते हैं किः *''जिस तरह आप रविवार को स्कूल नहीं जाते हैं और घर पर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उसी तरह हमें भी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ निजी समय रखने की जरूरत होती है। जब तक यह वास्तव में महत्वपूर्ण या आपातकालीन न हो, कृपया काम के नियमित घंटे/छुट्टियों में कॉल करने से बचें।''*

चूंकि हम परिवारों के साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। हम कुछ महीनों में बच्चे और परिवार से उनकी उम्मीदों के बारे में जानबूझकर बात करते हैं। हम भी लगातार एक टीम के रूप में एक साथ बैठते हैं और आश्वस्त करते हैं कि क्या हम परिवार की एजेंसी को छीन रहे हैं? हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें अपने निर्णय लेने में मदद करें या वे चीजों को स्वयं करें और हम पर निर्भर न रहें।

– सहायक व्यक्ति, मुंबई

6. कम मानदेय

एक सहायक व्यक्ति को बच्चे और परिवार के साथ बहुत समय बिताना पड़ सकता है, बच्चे के निवास स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है, उनके साथ कई मौकों पर पुलिस स्टेशन, अस्पताल, न्यायालय जाना पड़ सकता है, जिससे कई तरह के खर्च हो सकते हैं। अधिकांश राज्यों ने सहायक व्यक्तियों को पारिश्रमिक देने के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है, जो उनकी भूमिकाओं को निभाने में एक बाधा हो सकती है। मौजूदा प्रचलन से संकेत मिलता है कि वर्तमान में सहायक व्यक्तियों को भुगतान की जा रही राशि काफी कम है। कुछ राज्यों में, गैर सरकारी संगठनों के सहायक व्यक्तियों को डी.सी.पी.यू. द्वारा जे.जे. फंड से भुगतान किया जाता है। यह एकमुश्त भुगतान 1000/–रुपये से लेकर 2000/–रुपये प्रति प्रकरण प्रति वर्ष तक है। अन्य राज्यों में जहां सहायक व्यक्ति, पैरा लीगल वालंटियर हैं, वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पी.एल.वी. के लिए अधिसूचित राशि के अनुसार प्रतिदिन के आधार पर भुगतान करता है।

पीड़ित बच्चे के कल्याण के लिए सहायक व्यक्ति का काम सर्वोपरि है और यह अपर्याप्त पारिश्रमिक लंबे समय में सहायक व्यक्तियों को अपनी भूमिकायें निभाने की क्षमता को सीमित करता है। प्रणाली को सहायक व्यक्तियों को ऐसे पेशेवरों के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिनके पास कौशल और अनुभव है, न कि परोपकारी/धर्मार्थ स्वयंसेवकों के रूप में। पारिश्रमिक की कमी के कारण, केवल गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत और वेतन प्राप्त करने

वाले ही सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए आगे आ सकते हैं, जिससे सहायक व्यक्तियों की संख्या सीमित हो जाती है।

संभावित समाधानः

- सहायक व्यक्तियों की सेवाओं के लिए वित्तीय पारिश्रमिक को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह व्यक्तियों को एक सहायक व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सहायक व्यक्तियों के रूप में नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- पॉक्सो नियम, 2020 का नियम 5(7) और (8), परिभाषित करता है कि एक सहायक व्यक्ति को कैसे पारिश्रमिक दिया जाना है (अध्याय 2 देखें)। कुछ राज्य इन नियमों के आधार पर सहायक व्यक्तियों और अन्य विशेषज्ञों को पारिश्रमिक देने के लिए एक तंत्र स्थापित कर रहे हैं। राजस्थान ने सहायक व्यक्तियों और अन्य विशेषज्ञों के भुगतान के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। अन्य राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। (राजस्थान राज्य बाल मित्र योजना)
- संबंधित विभागों/राज्य प्रशासन से पारिश्रमिक के संबंध में किसी भी अधिसूचना की जानकारी के लिए सहायक व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र की सी.डब्ल्यू.सी. और डी.सी.पी.यू. से संपर्क कर सकते हैं, और राज्य के संबंधित विभाग के साथ इस प्रयास को तेज किया जा सकता है।

7. हितधारकों के मध्य अभिसरण का अभाव

प्रकरणों, प्रणालीगत चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करने हेतु हितधारकों के मध्य अभिसरण करने के लिए एक सहायक व्यक्ति को बातचीत और सहयोग करना पड़ता है। हितधारकों और सहायक व्यक्तियों के बीच सीमित अभिसरण या अभिसरण के अभाव में, बच्चों को उन सेवाओं तक पहुँच नहीं हो पाती है, जिनके वे हकदार हैं। पॉक्सो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों तथा सहायक व्यक्तियों की भूमिका के बारे में कुछ हितधारकों के बीच जागरूकता की भी कमी है, जिससे इस तरह का अभिसरण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

अन्य अध्यायों में विशिष्ट हितधारकों से संबंधित कुछ चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की गई है।

संभावित समाधानः

सहायक व्यक्तियों को सक्रिय होना चाहिए और बच्चे के हित को सुनिश्चित करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने हेतु नये–नये तरीकों को अपनाना चाहिए। सहायक व्यक्तियों को बाल अधिकार संरक्षण में उनकी भूमिका के महत्व के बारे में आश्वस्त होना

चाहिए।

सहायक व्यक्ति और डी.सी.पी.यू. जिला स्तर के अधिकारियों के साथ नियमित केस सम्मेलनों और अभिसरण बैठकों की शुरुआत और सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

सहायक व्यक्ति हितधारकों के साथ नेटवर्किंग करके और समान परिस्थितियों में सहायक व्यक्ति के अनुभवों को साझा करके अभिसरण की दिशा में काम कर सकते हैं। समय के साथ, सहायक व्यक्ति सभी हितधारकों के साथ तालमेल विकसित करते हैं तथा विश्वसनीयता और विश्वास बनाने वाले प्रकरणों के संबंध में नियमित समर्थन, सूचना और अपडेट प्राप्त करते हैं।

यदि हितधारकों के साथ कोई समस्या है, तो हम एक टीम के रूप में समाधान ढूंढते हैं, और यह सामूहिक निर्णय होता है। मेरी टीम में कोई ऐसा होगा जिससे मैं संपर्क कर सकूंगा जो मुझे समाधान निकालने में मदद करेगा। इसलिए, एक–दूसरे के लिए एक साथ आने वाली टीम वास्तव में मेरी मदद करती है और मुझे सकारात्मक रखती है।

– सहायक व्यक्ति, दिल्ली

8. अवास्तविक अपेक्षायें

पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सहायक व्यक्ति की भूमिका लैंगिक अपराध से संबंधित है, लेकिन अक्सर बच्चे/परिवार द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए कहा जा सकता है।

संभावित समाधानः

- सहायक व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और बच्चे/परिवार को स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए कि वे अकेले उनकी सभी जरूरतों का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं।
- यदि सहायक व्यक्ति को लगता है कि किसी विशेष तरह की समस्या के समाधान की जरूरत है, तो वे बच्चे/परिवार को संबंधित पेशेवर के पास भेज सकते हैं।
- हितों के टकराव के प्रकरण में, सहायक व्यक्ति तुरंत उस प्रकरण से अलग हो सकता है और सी.डब्ल्यू.सी. को यह अनुरोध करते हुए सूचित कर सकता है कि किसी अन्य सहायक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए।

9. रेफरल सेवा द्वारा कार्रवाई में देरी

पॉक्सो अधिनियम, और पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के कार्यों को

परिभाषित किया गया है, लेकिन बच्चे और परिवार की ज़रूरतें कई गुना हैं, जिन्हें अकेले संभालने के लिए सहायक व्यक्ति पर्याप्त नहीं है। सहायक व्यक्ति, बच्चे/परिवार को अन्य उपयुक्त पेशेवरों को संदर्भित कर सकता है जो अन्य काम में व्यस्त हो सकते हैं और बच्चे/परिवार की जरूरतों का तुरंत जवाब न दें, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे/परिवार का सहायक व्यक्ति से विश्वास उठ जाता है। हालांकि, इस तरह की देरी सहायक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है।

संभावित समाधानः

- एक सहायक व्यक्ति को उन पेशेवरों और विशेषज्ञों की एक सूची बनाकर रखनी चाहिए जिनके पास विशिष्ट मुद्दों के संदर्भ में बच्चे और परिवार को भेजा जा सके।
- ऐसे पेशेवरों की भूमिका बच्चे के परिवार को समझाई जानी चाहिए और उन्हें अपनी पसंद के प्रासंगिक पेशेवर के पास जाने या रेफरल के लिए डी.सी.पी.यू. से सहायता मांगने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए।
- बच्चे के परिवार को किसी प्रासंगिक पेशेवर के पास भेजने से पहले, सहायक व्यक्ति को ऐसे पेशेवरों से संपर्क करना चाहिए कि क्या उनके पास उस प्रकरण से निपटने के लिए समय और झुकाव है और यदि आवश्यक हो तो उनका, बच्चे के साथ एक सहज रिश्ता बनाने में मदद करें।
- बच्चे/परिवार को सूचित करें कि जिस पेशेवर को उन्हें संदर्भित किया जा रहा है वह कुशल और अनुभवी हैं, लेकिन काम के बोझ के कारण, हो सकता है कि वे आपके प्रकरण को लेकर बातचीत की स्थिति में न हों।

10. जाँच पूरी होने के बाद नियुक्ति

हालांकि पॉक्सो अधिनियम और पॉक्सो नियम, 2020 'जांच और परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से' सहायक व्यक्तियों को पीड़ित की सहायता के लिए उपलब्ध करता है। आम तौर पर सहायक व्यक्ति को परीक्षण के चरण के दौरान नियुक्त किया जाता है; इसलिए, एक बाल पीड़ित, एफ.आई.आर./धारा 161 सी.आर.पी.सी. और धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान को दर्ज कराते समय; फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह, चिकित्सा परीक्षण और उपचार के दौरान और पुनर्वास प्रक्रियाओं जैसे महत्वपूर्ण चरणों में सहायक व्यक्ति की सहायता से वंचित रहता है।

इस अंतिम चरण में सहायक व्यक्ति का प्रवेश बच्चे को अकेले, परिवार के साथ, जाँच को पार करने के लिए मजबूर करता है, जो अधिकांशतः प्रक्रिया से अनजान हैं, और एक सहायक व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण बहुत कुछ खो जाते है, जो प्रकरण के परिणाम को प्रभावित करता है।

संभावित समाधानः

- सहायक व्यक्ति के रूप में कार्य करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन को जब भी आवश्यकता हो, अपनी सेवाएं देने के लिए डी.सी.पी.यू., सी.डब्ल्यू.सी. और पुलिस/एस.जे.पी.यू. से संपर्क करना चाहिए।
- यदि एक सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए संपर्क किया जाता है, तो उन्हें इस तरह के अनुरोध पर सहमत होना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, सी.डब्ल्यू. सी. को सूचित करना चाहिए।
- जो व्यक्ति अपना काम लगन से करते हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसी भूमिका निभाने के लिए पुलिस, सी.डब्ल्यू.सी./डी.सी.पी.यू. द्वारा संपर्क किया जाना चाहिए।

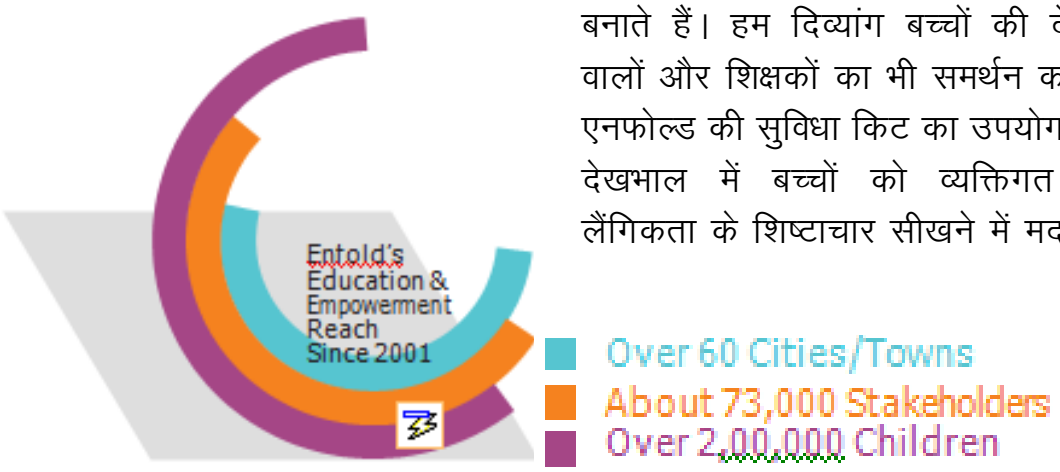
प्रेरणा का शोध – पॉक्सो के 4 वर्ष बादः महाराष्ट्र में पॉक्सो अधिनियम की शुरूआत –2018[40] में जारी, राज्य में सहायक व्यक्ति के प्रावधान के कम उपयोग पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त देश भर में पॉक्सो मामलों पर काम कर रहे संगठनों के साथ साझा मंचों पर, यह देखा गया है कि कुछ टियर –1 और टियर –2 शहरों के अतिरिक्त कहीं भी सहायक व्यक्ति के प्रावधान का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

[40] Patkar, P., Kandula, P., (2-18), Aarambh India, 4 years Since POCSO: Unfolding of the POCSO Act in Maharashtra

लेखकों पर संक्षिप्त नोट

एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट वर्ष 2001 से –

एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट 2001 से बाल संरक्षण और लैंगिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो अब भारत के 60 से अधिक शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में, 2 लाख से अधिक बच्चों, लगभग 73000 माता–पिता, शिक्षकों, छात्रों, पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य हितधारकों तक पहुंच चुका है। एनफोल्ड का विजन स्वस्थ और सुरक्षित बच्चों का है जो सहानुभूतिपूर्ण वयस्कों द्वारा समर्थित गरिमा के साथ रह रहे हैं और जिसके लिये उन्होंने 360 डिग्री अखिल भारतीय रणनीति अपनाई है। हम बाल लैंगिक शोषण, इसकी रोकथाम और बच्चों व किशोरों के लैंगिक विकास के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करते हैं। हम जीवन कौशल आधारित लैंगिकता और व्यक्तिगत सुरक्षा शिक्षा के माध्यम से माता–पिता, शिक्षकों और बच्चों को संवेदनशील बनाते हैं। हम दिव्यांग बच्चों की देखभाल करने वालों और शिक्षकों का भी समर्थन करते हैं जिससे एनफोल्ड की सुविधा किट का उपयोग करके उनकी देखभाल में बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा और लैंगिकता के शिष्टाचार सीखने में मदद मिल सके।



एनफोल्ड, सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ बड़े पैमाने पर बच्चों से संबंधित नीतियों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए काम करता है, जिसमें पॉक्सो अधिनियम, 2012 और जे.जे. अधिनियम, 2015, शामिल हैं। पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत लैंगिक हिंसा की रोकथाम और प्रबंधन तथा उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर वयस्क हितधारकों सहित स्कूल स्टाफ, माता–पिता, पुलिस, परामर्शदाता, चिकित्सा कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, न्यायपालिका और मीडिया का क्षमता निर्माण किया जाता है। प्रक्रियाओं के माध्यम से बाल पीड़ित को मनो–सामाजिक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए टीम के सदस्यों को पॉक्सो नियमों के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों के रूप में भी नामित किया गया है। 2016 के बाद से स्टाफ को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा पुनर्स्थापनात्मक न्याय/अभ्यासों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया गया है। टीम के सदस्य अनुसंधान करते हुए, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, किशोर न्याय प्रणाली में बाल देखरेख संस्थानों, परिवारों और व्यापक समुदाय जैसे विभिन्न (समूहों) सेटिंग्स में काम करने

वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हुए निरंतर सीख रहें हैं। टीम बच्चों के लिए सरकार द्वारा संचालित गृहों में पुनर्स्थापनात्मक चक्रों की सुविधा में भी शामिल है। एनफोल्ड ने पिछले दो दशकों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक पार्टनरशिप विकसित की हैं। नीति निर्माण, पैरवी और बाल संरक्षण व बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

भारत में बाल संरक्षण और लैंगिक सशक्तिकरण पर सहायता और समन्वयन के लिए हमसे संपर्क करें।

enfoldindia.org
info@enfoldindia.org

EnfoldIndia
enfoldindia
@enfoldindia
Enfold Proactive Health Trust
Enfold India - Creating Safe Spaces

enfold

सहयोगियों पर संक्षिप्त नोट

प्रेरणा 1986 से –

प्रेरणा एक नागर समाज संगठन है जिसने 1986 में मुंबई के रेड–लाइट एरिया (आरएलए) में काम करना शुरू कर दिया था ताकि इंटर–जेनरेशनल ट्रैफिकिंग को खत्म किया जा सके, जैसे, सेक्स–ट्रैफिकिंग में काम कर रही यौन कर्मियों के बच्चों को देह व्यापार, इसकी संबद्ध गतिविधियों में ट्रैफिक करना या शोषक–श्रम। प्रेरणा ने आर.एल.ए. की यौन कर्मियों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने हस्तक्षेप के दायरे का विस्तार किया, विशेष रूप से उनके खिलाफ हिंसा से लड़ने और उनके कानूनी और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए। प्रेरणा ने बाल लैंगिक शोषण और इस तरह के अन्य बाल संरक्षण मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने काम को आगे बढ़ाया।

ट्रैफिकिंग का मुकाबला करने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरणा की पहल और हस्तक्षेप को राज्य और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। प्रेरणा, सक्रिय रूप से उन बाल पीड़ितों के साथ काम करता है जिन्हें व्यावसायिक लैंगिक शोषण से बचाया गया है, जिनके साथ लैंगिक शोषण हुआ हैं, जिन्हें भीख मांगने से बचाया गया है और उन बच्चों के साथ भी जो बाल देखरेख संस्थाओं में हैं। प्रेरणा, व्यावसायिक लैंगिक शोषण और ट्रैफिकिंग, बच्चों के खिलाफ हिंसा के अन्य रूपों को समाप्त करने में अपने प्रयासों के लिए 360–डिग्री दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें शामिल है, संरक्षण, रोकथाम, सतर्कता, बचाव, बचाव के बाद के काम, पीड़ित देखभाल सेवाओं, परीक्षणों के माध्यम से पीड़ितों की सहायता, (अभियोजन), पीड़ितों का सशक्तिकरण, पैरवी, कानूनी समर्थन, नीतिगत स्तर व प्रशासनिक सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण तथा सामाजिक चेतना। प्रेरणा अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, संवेदीकरण तथा विशेष अधिकारियों (जैसे पुलिस, न्यायपालिका, आदि) के प्रशिक्षण तथा साथी संगठनों की क्षमता वृद्धि व नेटवर्किंग में भी शामिल है।

इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, प्रेरणा ने कई हस्तक्षेप विकसित किए, उन्हें संचालित किया, प्रत्येक हस्तक्षेप से एक सफलता की कहानी विकसित की, और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए उनका प्रसार किया।

भारत में ट्रैफिकिंग की रोकथाम और पीड़ित को सहायता प्रदान करने हेतु हमसे संपर्क करें।

preranaantitrafficking.org

एनफोल्ड के सशक्त ऐप्स

गूगल प्लेस्टोर पर

एनफोल्ड प्रोएक्टिव हेल्थ ट्रस्ट, बाल संरक्षण संचालनालय (कर्नाटक सरकार), यूनिसेफ इंडिया, सीडीएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित ऐप को लॉन्च किया:

गूगल प्लेस्टोर पर एंड्रॉयड के लिए उपलब्ध



सुरक्षित
11 भारतीय भाषाओं में

बच्चों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा सूचना ऐप। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा नियम, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, सुरक्षित वयस्क और 6 से 18 वर्ष के बच्चों की कहानियां शामिल हैं। सुरक्षित ऐप – 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।



बाल सुरक्षा
10 भारतीय भाषाओं में

यह ऐप ऐसे वयस्क हितधारकों के लिए है जो कि बाल लैंगिक शोषण के खिलाफ प्रतिक्रिया देने में शामिल हैं – जैसे कि माता–पिता, स्कूल प्रबंधन, पुलिस, चिकित्सा, न्यायिक और मीडिया कर्मी। यह पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार रोकथाम रणनीतियों और प्रबंधन दिशानिर्देशों को विस्तारपूर्वक बताता है। यह 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।



स्त्री सुरक्षा
10 भारतीय भाषाओं में

महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सजग लोगों के लिए एक सूचना ऐप। इसमें बताया गया है कि घर, सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल और साइबर स्पेस में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। प्रासंगिक कानूनों और धाराओं, प्रतिरोध करने, सक्रिय होने, हस्तक्षेप करने और समुदाय आधारित पुर्नस्थापनात्मक न्याय के बारे में जानना। रिपोर्ट करने के लिए आपातकालीन नंबर और उबरने के लिए अभ्यास भी शामिल हैं। यह ऐप 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

कोड को स्कैन करने के लिए अपने स्मार्टफोन का कैमरा चालू करें।

अगर हम बच्चों के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो हम किसी के लिए खड़े नहीं होते हैं।

— मैरियन राइट एडेलमैन, बाल अधिकार कार्यकर्ता

सहायक व्यक्तियों के लिए हैंडबुक 2021

लैंगिक हिंसा से पीड़ित बच्चों की सहायता करना।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 और पॉक्सो नियम, 2020 के संदर्भ में।

यह हैंडबुक पॉक्सो अधिनियम, 2012, पॉक्सो नियम, 2020, पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 के तहत मॉडल दिशानिर्देश, किशोर न्याय (जे.जे.) अधिनियम, 2015 तथा जे.जे. नियम, 2016 के अंर्तगत सहायक व्यक्तियों की भूमिका, उत्तरदायित्वों तथा कानूनी पहलुओं की व्यापक व्याख्या करती है। हैंडबुक उन सहायक व्यक्तियों के अनुभवों से ली गई है जो आपराधिक न्याय और बाल संरक्षण प्रणाली के माध्यम से बच्चों और उनके परिवारों की सहायता कर रहे हैं।

हैंडबुक, बाल लैंगिक शोषण (सीएसए) के आयाम, रिपोर्टिंग के प्रभाव, विभिन्न हितधारकों जैसे पुलिस, बाल कल्याण समिति, चिकित्सा व्यवसायी, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों के साथ एक सहायक व्यक्ति की भूमिका और उनके संवाद तथा बाल पीड़ित के पुर्नवास पर चर्चा करती है। बचे हुए बच्चों की। इसके अलावा, समर्थन व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावित समाधान और/या कानूनी सहारा पर भी प्रकाश डाला गया है।

enfold | प्रेरणा PRERANA | unicef for every child